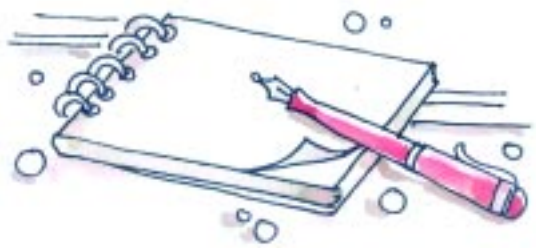

I. प्रस्तावना

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने मई, 2004 में नई दिल्ली में सरकार बनाई थी और हमारे धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणतंत्र की नींव को मजबूत करने, एक मिल-जुले समाज का निर्माण करने और एक प्रभावी तथा समानता पर आधारित अर्थव्यवस्था कायम करने का संकल्प लिया था। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने जनता के सम्मुख किए गए अपने वादों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम अपनाया था।

सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले वर्ष की समाप्ति पर जनता के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और दूसरी रिपोर्ट इस वर्ष के शुरूमें प्रस्तुत की। यह भारतीय राजनीति के इतिहास में एक अभूतपूर्व पहल है। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि चुनावी वादों को पूरा करने की दिशा में उठाए गए कदमों के बारे में जनता के सम्मुख कोई वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हो। यह ऐसी तीसरी रिपोर्ट है और इसमें संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार द्वारा अपनाई और कार्यान्वित की गई महत्वपूर्ण नीतियों को प्रस्तुत किया गया है।

दो वर्षों की अल्पावधि में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में किए गए बहुत सारे वादों को पूरा कर दिया है। लेकिन इसमें आत्मसंतुष्ट होकर ही बैठे नहीं रहना है। इसलिए सरकार अपने जनादेश को पूरा करने और लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए लगातार कठिन मेहनत करती रहेगी।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने विकास की अनेक बड़ी पहलें की हैं। इनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं: ऐतिहासिक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम; राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (जननी सुरक्षा योजना सहित); जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन; विस्तारित सर्वशिक्षा अभियान और राष्ट्रीय मध्याह्न पका-भोजन कार्यक्रम; तथा भारत निर्माण।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लोगों से किया गया एक ऐतिहासिक वादा है क्योंकि सरकार ने पहली बार कानूनी तौर पर न्यूनतम मजदूरी पर न्यूनतम रोजगार की गारंटी दी है जिससे गांवों के गरीब लोगों को भुखमरी और गरीबी से बचाने के लिए सामाजिक सुरक्षा मिली है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा में नई जान डालेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के कार्य में सुधार लाने हेतु पंचायतों को सशक्त बनाएगा। राष्ट्रीय मध्याह्न पका-भोजन कार्यक्रम सहित सर्वशिक्षा अभियान से स्कूलों में बच्चों के दाखिले और उपस्थिति में वृद्धि होगी तथा बच्चों के पोषाहार स्तर में सुधार आएगा।

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन शहरों में रहने वाले निर्धन लोगों, विशेषकर मलिन बस्तियों के लोगों के जीवन-स्तर में सुधार लाएगा और इसके साथ-साथ शहरी बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाएगा तथा शहरी शासन में भी सुधार लाएगा। "भारत निर्माण" ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक समयबद्ध कार्य-योजना है जिसमें सिंचाई, ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़कों, ग्रामीण दूरसंचार-व्यवस्था, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण पेयजल आपूर्ति पर जोर दिया गया है।

इन नई पहलों के अलावा, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने बुनियादी ढांचे का विकास करने, किसानों को आसान ऋण दिलाने, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने तथा राष्ट्रीय सुरक्षा में सुधार लाने हेतु वित्तीय परिव्यय में अभूतपूर्व वृद्धि सुनिश्चित की है।

सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम बनाकर आम नागरिक को जहां सशक्त बनाया है वहीं शासन में अधिक पारदर्शिता भी सुनिश्चित की है। सूचना का अधिकार अधिनियम विश्व में सामाजिक कानून के सर्वाधिक प्रगतिशील कार्यों में से एक है और इससे न केवल बेहतर शासन ही सुनिश्चित हो सकेगा, बल्कि अधिक परिव्यय से अच्छे परिणाम भी मिल सकेंगे।

आतंरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से और सोच-समझकर संभाला गया है। साम्प्रदायिक हालात में उल्लेखनीय सुधार दिखाई दे रहा है। सामाजिक और जातिगत तनाव काफी कम हुए है। नक्सली समस्याओं को आज बेहतर ढंग से समझा जाने लगा है। सभी स्तरों पर यह महसूस किया जाने लगा है कि एक ऐसी द्वि-आयामी नीति होनी चाहिए जिसमें एक ओर कारगर ढंग से पुलिस कार्रवाई हो और दूसरी ओर, क्षति कम करने तथा पराएपन की भावना को दूर करने पर ध्यान दिया जाए।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने विदेश मामलों में भी भारत के पक्ष को मजबूत बनाया है तथा विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। पिछले दो वर्षों में अपने पड़ोसियों, सभी बड़ी शक्तियों और सभी आर्थिक भागीदारों के साथ हमारे संबंध सुधरे हैं। आज अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय माहौल पहले से कहीं अधिक भारत के अनुकूल और हमारे आर्थिक विकास तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के अनुकूल है। भारत आज विकास और प्रगति की एक नई दहलीज पर खड़ा है।

इन सभी नई पहलों से और मौजूदा कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाने से विकास को बढ़ावा मिलेगा, अधिक मिले-जुले और समानता पर आधारित समाज का निर्माण होगा, हमारी अर्थव्यवस्था और अधिक कारगर तथा प्रतिस्पर्धी बनेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाएं और बच्चे अधिकार सम्पन्न होंगे और हमारा देश दुनिया के राष्ट्रों के बीच अपना उचित स्थान पाएगा।

सरकार को पूरी उम्मीद है कि सभी संबंधित नागरिक इस रिपोर्ट का पूरा अध्ययन करेंगे और इसमें निहित बातों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएंगे ताकि लोग संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के उन कदमों के बारे में जान सकें जो उसने अपने नागरिकों के जीवन-स्तर में सुधार लाने और एक ऐसे भारत का निर्माण करने के लिए उठाए हैं जो सभी का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखे, सबका हो, आधुनिक और प्रगतिशील हो।

II. स्वास्थ्य

1. **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन आर एच एम):** इस मिशन की शुरुआत अप्रैल 2005 में की गई जिसका उद्देश्य लोक स्वास्थ्य प्रबंधन तथा सेवा उपलब्धता को बेहतर बनाना तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 और सहस्राब्दि के विकास से जुड़े लक्ष्यों के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सब लोगों को एक समान, किफायती और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है जो लोगों की आवश्यकताओं के प्रति, जच्चा-बच्चा मृत्यु-दर में कमी लाने तथा आबादी के स्थिरीकरण के लिए और लिंग तथा जनसांख्यिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए जवाबदेह तथा उत्तरदायी हो। मिशन के मुख्य संघटक है; 18 उच्च प्राथमिकता वाले राज्यों में प्रत्येक गाँव में प्राथमिक स्वास्थ्य प्रबंधक, जिसे 'आशा' कहा जाता है, की व्यवस्था करना, ऐसी ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं तैयार करना जिसमें कई क्षेत्रों को शामिल किया गया हो, स्वास्थ्य के संबंध में स्थानीय कार्रवाई की शुरुआत करने के लिए ए एन एम/बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता के साथ पर्याप्त निधियों की व्यवस्था करना, गाँव के अस्पतालों को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सुधार करना, तथा स्थानीय प्राथमिकताओं पर आधारित प्रासंगिक जिला स्वास्थ्य योजनाएं तैयार करना, जिसमें उन क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल, सफाई-व्यवस्था तथा पोषण जैसे अनुपूरक प्रयासों के साथ-साथ स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी कार्रवाई करना है। मार्च, 2006 तक 1.73 लाख से ऊपर 'आशा कार्यकर्त्ताओं' का चयन किया जा चुका था तथा इस वर्ष से सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी प्रयासों की शुरुआत करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कई जिलों में जिला योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा यह कार्य इसी वर्ष तक पूरा हो जाएगा। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभागों को केंद्रीय स्तर पर एकीकृत कर दिया गया है जबकि राज्यों ने राज्य तथा जिला स्तरों पर एकल स्वास्थ्य समितियां गठित की हैं, जिसके परिणामस्वरूप सम-स्तरीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के संबंध में स्वास्थ्य सेवाओं का एकीकरण किया गया है। संपूर्ण देश में 3,222 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लगभग एक तिहाई भाग को प्रथम रेफरल यूनिटों के रूप में अपग्रेड किया गया है जबकि शेष को वर्ष 2006-2007 तक अपग्रेड करने का लक्ष्य है। ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जा रहे हैं, जो चरणबद्ध रीति से 24 घंटे सेवाएं प्रदान कर सकें। संपूर्ण देश में समस्त 1.42 लाख उप केन्द्रों को पहली बार पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराई गईं जिससे कि वे स्थानीय स्तर पर अपनी कुछ आवश्यताओं की पूर्ति कर सकें। मिशन के अधीन स्वास्थ्य बीमा के विविध प्रतिमान तैयार किए जा रहे हैं। मिशन के अधीन संक्रामक रोगों के नियंत्रण, निराकरण या उन्मूलन के संबंध में समयबद्ध लक्ष्यों के अनुसार कार्य किया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू एच ओ) के मानकों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर 'कुष्ठ रोग' निवारण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है तथा अभी भी कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें 10,000 की आबादी पर एक कुष्ठ रोगी का मामला पाया जाता है अतः कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए ऐसे राज्यों को लक्ष्य बनाया जा रहा है।

2. **एच आई वी/एड्सः** राष्ट्रीय एड्स परिषद का गठन एड्स पर नियंत्रण पाने के लिए किया गया जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। इस परिषद की बैठक फरवरी, 2006 में आयोजित की गई जिसमें एड्स को प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा मामला बनाने के लिए और सभी मंत्रालयों के कार्यक्रमों तथा योजनाओं में एच आई वी/एड्स से संबंधित मुद्दों को मुख्य धारा में लाने के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चरण-III के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। वर्ष 2006-07 में एड्स के लिए योजना परिव्यय पिछले दो वर्षों के वास्तविक वार्षिक व्यय की अपेक्षा दुगुने से भी ज्यादा है।

3. **जनसंख्या स्थिरीकरणः** राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन आर एच एम) के माध्यम से परिवार नियोजन को आधार बनाते हुए व्यापक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम का विस्तार करने का प्रयास किया गया है तथा उम्मीद है कि यह जनसंख्या स्थिरीकरण में सहायक होगा। अब 'जनसंख्या नियंत्रण ' शब्द का प्रयोग हटा दिया गया है। राज्य से प्राप्त निर्देशों के माध्यम से लक्ष्योन्मुख विचार धारा पर बल देने की बजाए जनता में जागरूकता पैदा करके तथा बेहतर पहुँच कायम करके ऐच्छिक स्वीकार्यता पर बल दिया गया है। 'एन आर एच एम' के तहत परिवार नियोजन के क्षेत्र में कार्य करने वाले 'आशा कार्यकर्त्ताओं' को प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। इस संबंध में जननी सुरक्षा योजना शुरू की गई है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं अस्पतालों में जाकर प्रसूति सुविधाएं प्राप्त करें। राज्यों को यह सलाह दी गई है कि वे स्वास्थ्य, शिक्षा तथा महिलाओं के सशक्तीकरण से जुड़े कार्यक्रमों में निवेश करके जनसंख्या स्थिरीकरण में सहयोग दें। दक्षिणी राज्य से

प्राप्त अनुभवों को जनसांख्यिकीय रूप से कमजोर राज्यों में, उनकी विशिष्ट स्थितियों का अध्ययन करने के बाद, उपयुक्त कार्यनीतियों के माध्यम से लागू किया जाएगा। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग को ज्यादा सुसम्बद्ध बनाने के लिए उसका पुनर्गठन किया गया तथा इसकी बैठक जुलाई, 2005 में की गई।

4. **प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाः** अल्पसुविधा प्राप्त राज्यों में तृतीय स्तर की स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधाओं के अंतर्गत कमी को पूरा करने के लिए तथा साथ ही साथ बेहतर चिकित्सा शिक्षा सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने तीन वर्ष के भीतर बिहार, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तथा उत्तरांचल में छः नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित करने के लिए तथा ऐसे ही कई और संस्थानों का उन्नयन करने के लिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना अनुमोदित की है। प्रत्येक संस्थान में 850 बिस्तर वाला अस्पताल होगा जिसमें 39 विशिष्ट/अतिविशिष्ट विषयों में कारगर रेफरल प्रणाली के जरिए अद्यतन चिकित्सा उपचार सुविधाएं प्रदान की जाएंगी तथा इसमें प्रतिवर्ष सौ पूर्व स्नातक विद्यार्थियों को दाखिला देकर चिकित्सा शिक्षा दी जाएगी, इसके साथ -साथ विशिष्ट/अति विशिष्ट विषयों में स्नातकोत्तर तथा डाक्टरीय पाठ्यक्रमों की भी व्यवस्था होगी।

5. **रियायती दरों पर दवाईयां उपलब्ध कराना:** फार्मास्यूटिकल उद्योग की विकास संबंधी अपेक्षाओं के साथ कीमत नियंत्रण संबंधी मुद्दों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए तथा कीमत निर्धारण एवं कीमत मॉनीटरन से संबंधित प्रक्रिया को सरलीकृत करने के लिए एक प्रारूपी राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सरकार ने पैकेजों का अनुमोदन किया है जिनमें दो केन्द्रीय फार्मास्यूटिकल सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों अर्थात् हिंदुस्तान एंटीबायटिक लिमिटेड तथा हिंदुस्तान आर्गेनिक केमिकल लिमिटेड का पुनरुत्थान करने के लिए विभिन्न रूपों में लगभग 800 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई है।

6. **व्यवस्थापनः** सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में विनियमन को सशक्त करने के कई उपाय कर रही है। इनके अंतर्गत प्रदान की गई सेवाओं की क्वालिटी के संबंध में अस्पतालों, नर्सिंग होम तथा डायग्नोस्टिक सेंटरों आदि को विनियमित करने तथा उन्हें मान्यता प्रदान करने के संबंध में विधेयक प्रस्तुत करना; लोक स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों की रोकथाम, नियंत्रण तथा प्रबंधन के लिए लोक स्वास्थ्य आपातस्थिति विधेयक प्रस्तुत करना; तथा उन संगठनों से संबंधित विधि में संशोधन करना शामिल है जो चिकित्सा शिक्षा को मान्यता प्रदान करते हैं जिससे कि उनका स्वरूप ज्यादा प्रातिनिधिक हो सके तथा उनकी जवाबदेही बढ़ सके। सरकार का भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम में संशोधन करने का विधेयक प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है जिससे कि सेवा प्रदान तंत्र की स्वायत्तता, पारदर्शिता, जवाबदेही तथा गुणवत्ता की अपेक्षाओं को सुसंगत रूप से पूरा किया जा सके।

7. **आई सी डी एस का सर्वव्यापीकरणः** सरकार ने पहले चरण में 1.88 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों को मंजूरी दी जिससे कि 1,000 (जनजातीय/पर्वतीय/मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए 700) की आबादी के लिए एक केंद्र के मौजूदा आबादी मापदंड के अनुसार प्रत्येक आवासीय क्षेत्र में आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित किया जा सके। इसके साथ आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या में लगभग 25% तक वृद्धि हो जाएगी। वर्ष 1975 में आई सी डी एस की शुरुआत से लेकर अब तक 7.44 लाख केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। अक्टूबर 2004 से अनुपूरक पोषक खाद्य पदार्थों की आपूर्ति से संबंधित वित्तीय सहायता को दुगुना बढ़ाकर प्रतिदिन प्रति लाभार्थी दो रुपये तक कर दिया गयी है जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि लाभार्थियों को पोषक खाद्य पदार्थों की अपेक्षित मात्रा प्राप्त हो रही है। राज्य सरकारें बिना किसी समस्या के अनुपूरक पोषक आहार उपलब्ध कराने में समर्थ हो सकें, इस संबंध में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार द्वारा वहन किए गए व्यय के 50% भाग तक सहायता राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है। आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित करने के लिए आबादी संबंधी नए मानक तैयार किए जा रहे हैं। पोषक खाद्य पदार्थ अब सभी गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं तथा बच्चों को प्रदान किए जाते हैं तथा ये अब केवल उन लोगों तक ही सीमित नहीं है जो गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर कर रहे परिवारों से संबंधित हों।

- **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई; 18 उच्च प्राथमिकता वाले राज्यों में सभी गांवों में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य** कार्यकर्त्ताओं - आशा की व्यवस्था की गई; 1.73 लाख कार्यकर्त्ताओं का चयन किया गया तथा उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है; वर्ष 2007-08 तक 4 लाख को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है;
- वर्ष 2003-04 से लेकर अब तक **तीन वर्षों में स्वास्थ्य योजना परिव्यय में 81% तक वृद्धि** कर दी गई जिसकी राशि बढ़कर 11,305 करोड़ रुपये हो गई।
- व्यापक स्वास्थ्य सुरक्षा को परिवार नियोजन के आधार रूप में मान्यता प्रदान की गई।
- **जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत** की गई जिससे कि महिलाओं को अस्पतालों में प्रसूति सुविधाएं प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
- **प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना** के अंतर्गत 6 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जैसे संस्थानों को अनुमोदित किया गया तथा अल्पसुविधा प्राप्त राज्यों की तृतीय स्तर की स्वास्थ्य सुरक्षा सेवाओं तथा मेडिकल शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्यों को अपग्रेड किया गया
- स्वास्थ्य क्षेत्र में विनियमन को सशक्त करने के लिए कई उपाय किए गए।
- **आंगनवाड़ी केन्द्र** - 1.88 लाख नए केन्द्र स्थापित किए गए; **केन्द्रों के माध्यम से पोषक आहार के लिए वित्तीय सहायता दुगुनी कर दी गई; तीन वर्षों में आई सी डी एस के लिए परिव्यय राशि 171% तक बढ़ा दी गई** जो वर्ष 2006-07 में 4,543 करोड़ रुपये हो गई; सभी गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं तथा बच्चों को पोषक खाद्य पदार्थ प्रदान करना; यह सुविधा अब केवल गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों तक ही सीमित नही है।

III. शिक्षा

8. **प्रारंभिक शिक्षा:** सर्वव्यापी प्रारंभिक शिक्षा मुहैया कराने के लिए संसाधनों की व्यवस्था करने के लिए शिक्षा उपकर (प्रमुख केन्द्रीय करों पर 2% की दर से) लगाया गया है। सर्वशिक्षा अभियान (एस एस ए)- तथा मध्यांतर भोजन स्कीम सहित प्रारंभिक शिक्षा को वित्त प्रदान करने के लिए शिक्षा उपकर से प्राप्त आय को हासिल करने के लिए अव्ययगत निधि यानी "प्रारंभिक शिक्षा कोष" की स्थापना की गई है। सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा वर्ष 2010 तक लिंग आधार पर तथा सामाजिक वर्गों के आधार पर अंतरालों को कम करने का प्रयास किया गया है। सर्वशिक्षा अभियान में आदर्श जीवन पर बल देने के साथ-साथ संतोषजनक स्तर की प्रारंभिक शिक्षा पर भी बल दिया गया है। वर्ष 2010 तक सर्वव्यापी रूप से विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति को आगे तक बनाए रखना भी सर्वशिक्षा अभियान का एक अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्य है। वर्ष 2005-06 में 35,306 विद्यालय खोले जाने, 1,56,610 अध्यापकों की नियुक्ति करने, 34,262 विद्यालय भवनों तथा 1,41,886 अतिरिक्त क्लासरुमों का निर्माण करने, 65,771 शौचालय बनाने तथा 40,760 पेयजल सुविधाएं प्रदान करने का अनुमोदन किया गया।

9. **शिक्षा का अधिकार:** शिक्षा के अधिकार से संबंधित मॉडल विधेयक तैयार किया जा रहा है तथा राज्यों को उक्त विधान लागू करने के लिए कहा जाएगा।

10. **शिक्षा के सांप्रदायिककरण की प्रवृत्ति को बदलना:** इसके लिए कई कदम उठाए गए हैं -

(i) इतिहासकारों के एक पैनल ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एन सी इ आर टी) की इतिहास की पाठ्य पुस्तकों की जल्द से जल्द समीक्षा की तथा सरकार ने उनकी सिफारिशों को लागू किया है।

(ii) स्कूली शिक्षा से संबंधित राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रणाली में संशोधन किया गया है।

(iii) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत सभी स्वायत्त निकायों से यह अनुरोध किया गया कि वे अपने उन कार्यकलापों की समीक्षा करें जिनसे संभवतः शिक्षा के सांप्रदायिककरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है तथा इस संबंध में उपयुक्त सुधारक कार्रवाई करें।

(iv) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सी ए बी ई) को पुनः प्रवर्तित किया गया जिससे कि परिसंघीय भावना से व्यापक परामर्श एवं सहमति प्रदान की जा सके।

11. **पका हुआ मध्यांतर आहार:** विद्यालय जाने की आयु प्राप्त कर चुके बच्चों के दाखिले, उनकी उपस्थिति तथा स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए सरकार ने संपूर्ण देश में सरकारी तथा सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के लिए नेशनल कुक्ड मिड डे मील (मध्यांतर आहार) प्रोग्राम की शुरुआत की है। कार्यक्रम का प्रायः सर्वव्यापीकरण कर दिया गया है तथा इस कार्यक्रम के अंतर्गत 9.5 लाख से भी ज्यादा विद्यालयों के लगभग 12 करोड़ विद्यार्थियों को मध्यांतर आहार दिया जाता है तथा यह विद्यालय पर विश्व का सबसे बड़ा आहार कार्यक्रम है। राज्यों को पहले केवल निःशुल्क बिना पके खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाते थे। अब वर्ष 2004-05 से विद्यालय में हर रोज प्रति विद्यार्थी 1 रुपये की दर से खाना पकाने की लागत पूरी करने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान की जा रही है। वर्ष 2004-05 से राज्यों को परिवहन सब्सिडी की दरें विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 100% तक और अन्य राज्यों के लिए 50% तक बढ़ा दी गई है। बेहतर पर्यवेक्षण तथा मॉनीटरन के लिए वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में गर्मियों में मध्यांतर आहार के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। प्राथमिक स्तरों तक कार्यक्रम का विस्तार करने का कार्य शुरू कर दिया गया है।

12. **उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा को कम खर्चीली बनाना:** ए आई पी एम टी तथा ए आई ई ई ई में भाग लेने वाले सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में नामांकित चिकित्सा तथा इंजीनियरी के विद्यार्थियों के लिए योग्यता (मेरिट) आधारित चार छात्रवृत्ति स्कीमें प्रारंभ की गयी हैं जिसमें इंजीनियरी विषय के विद्यार्थियों के लिए प्रतिवर्ष 350 छात्रवृत्तियां तथा एम बी बी एस के लिए प्रति वर्ष 150 छात्रवृत्तियां

शामिल हैं। बैंकों ने विद्यार्थी द्वारा संतोषजनक गारंटी दिए जाने पर विद्यार्थियों को दिए जाने वाले शिक्षा ऋण की पूर्व अधिकतम सीमा 4 लाख रुपए से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपये कर दी है तथा संपार्श्विक प्रतिभूति की आवश्यकता समाप्त कर दी है। इसके परिणामस्वरूप, विद्यार्थियों को दिए जाने वाला ऋण की राशि बढ़ा दी गई है। आयकर अधिनियम के अंतर्गत कटौती की 40,000 रुपये की पूर्व सीमा की तुलना में, अब विद्यार्थी विशेष द्वारा पिछले वर्ष के दौरान उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के प्रयोजन हेतु लिए गए ऋण पर ऋण की चुकौती अथवा ब्याज के लिए प्रदत्त् राशि पर व प्रदत्त ब्याज की संपूर्ण राशि पर निर्धारित सीमा के बिना कर में कटौती की अनुमति दी गयी है। एक व्यापक तथा इंटरएक्टिव पोर्टल (www.educationsupport.nic.in) सरकारी तथा निजी क्षेत्र में प्रदान की जा रही सभी छात्रवृत्तियों, फैलोशिप तथा शिक्षा-ऋण संबंधी सुविधाओं के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने के लिए तैयार करके प्रारंभ किया गया है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को अकादमिक पदों पर चयन तथा डाक्टरेट अध्ययन के लिए तैयार करने के वास्ते, राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप स्कीम प्रारंभ की गयी है जिसमें प्रतिवर्ष 2,000 फैलोशिप देने के लिए निधीयन का प्रावधान किया गया है। निजी व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों (शिक्षा तथा शुल्क के निर्धारण का विनियमन) अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया गया है। आई आई एम के सभी ऐसे विद्याथियों जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय 2 लाख रुपये तक है, को शिक्षा शुल्क में पूर्ण छूट देने की व्यवस्था की गई है। उच्चत्तर शिक्षा के वित्त पोषण के लिए बहुत से बैंकों के विद्यार्थी ऋण स्कीमों में समन्वय करके तथा ऋण तथा छात्रवृत्ति सीधे उपलब्ध कराने के लिए एक निकाय की स्थापना पर विचार किया जा रहा है।

13 **उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना:** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए योजना आबंटन को वर्ष 2003-04 तथा वर्ष 2006-07 के मध्य दोगुना करके 615 करोड़ रुपये से 1270 करोड़ रुपये कर दिया गया है जिससे पूर्वोत्तर में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालयों को दी जाने वाली सहायता राशि में वृद्धि की जा सकेगी। सहायता प्राप्त राज्य विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि की जा सकेगी। अनुसंधान अवसंरचना को सुदृढ़ बनाया जा सकेगा, महिला छात्रावासों में वृद्धि की जा सकेगी तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए कोचिंग केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा सकेगी। मणिपुर विश्वविद्यालय तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालयों का दर्जा देने, अरुणाचल प्रदेश में राजीव गांधी विश्वविद्यालय तथा त्रिपुरा विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालयों का दर्जा देने के लिए विधान पेश करने का निर्णय करने तथा सिक्किम में एक नया केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की आशा की जाती है ताकि मौजूदा विश्वविद्यालयों के ती विकास से उच्चतर शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार को सुनिश्चित किया जा सके। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को शिक्षा के उत्कृष्ट केंद्र बनाने में सहायता देने, स्नातकोत्तर शिक्षा तथा अनुसंधान को बढ़ावा देने तथा स्वायत्तता प्रदान करने के लिए, सरकार संसद में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक, 2006 प्रस्तुत कर रही है। विज्ञान, शिक्षा तथा अनुसंधान के नए भारतीय संस्थानों की स्थापना करने का अनुमोदन कर दिया गया है तथा भारतीय विज्ञान केंद्र को अपनी बुनियादी सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए 100 करोड़ रुपये का विशेष अनुदान स्वीकृत किया गया है।

14. **राष्ट्रीय शिक्षा आयोग:** राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना के संबंध में यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापक विचार विमर्श किया जा रहा है कि की जाने वाली कार्रवाई आयोग की आवश्यकता के लिए उपयुक्त हो।

15. **शैक्षणिक संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान करना:** बहुत से उपाय यह सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं कि उच्चतर शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा के सभी संस्थान अपनी स्वायत्तता कायम रख सकें। इसमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:

i. आई आई एम को अपनी शुल्क संरचना पर निर्णय लेने के अधिकार को बनाए रखना।

ii. अब भारत शिक्षा कोष के जरिए वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता नहीं रह गयी।

iii. देशभर में विश्वविद्यालयों के सुशासन के मानकीकरण के लिए मसौदा मॉडल विश्वविद्यालय अधिनियम वापस लेना।

iv इससे संबद्ध उपायों पर सी ए बी ई की समिति द्वारा एक रिपोर्ट तैयार करना ताकि उच्चतर शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता में वृद्धि करने के लिए सहमति आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सके।

v. विश्वविद्यालयों द्वारा अनुसंधान क्षेत्रों में विदेशी संस्थानों के साथ सहयोग करने के लिए समझौता करने हेतु पूर्व अनुमति प्राप्त करने से संबंद्ध अपेक्षित आदेशों को वापस लेना।

vi. वित्तीय स्वायत्तता की पुनःबहाली के लिए संस्थानों के ब्लाक अनुदान उपलब्ध कराने की व्यवस्था को पुनः लागू करना।

vii. ए आई ई ई ई वैकल्पिक में विश्वविद्यालयों को भागीदार बनाना।

16. **प्रत्यायन निकाय:** सी बी एस सी, यू जी सी तथा एन ए ए सी जैसे निकायों, जो शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता प्रदान करते हैं, अथवा उनके दर्जे को बढ़ाते हैं, में ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए एक पद्धति तैयार की गई है। जबकि ए आई सी टी ई तथा एन बी ए में

ऐसी व्यवस्था करने पर कार्य चल रहा है। शिकायत दूर करने की प्रक्रिया तथा प्राप्त शिकायतों के निपटान के लिए समय निर्धारण की योजना लागू करने पर कार्य किया जा रहा है। ताकि ऐसे शैक्षणिक निकायों में कार्य अधिक आसान, पारदर्शी तथा बाधामुक्त किया जा सके।

- सर्वशिक्षा अभियान (एस एस ए) तथा मध्याह्न भोजन स्कीम (मिड डे मील) समेत प्रारंभिक शिक्षा के वित्त पोषण के लिए **शिक्षा उपकर लागू किया गया तथा प्रारंभिक शिक्षा कोष स्थापित** किया गया। इस कार्य के लिए 8,746 करोड़ रुपये अन्तरित किए गए।
- वर्ष 2003-04 की तुलना में वर्ष 2006-07 में बजट परिव्यय संशोधित किया गया, **सर्व शिक्षा अभियान का वार्षिक योजना परिव्यय तीन वर्षों में चार गुना बढ़ाकर 11,000 करोड़ रुपये किया गया, मध्याह्न (मिड डे) भोजन योजना के परिव्यय में तीन वर्षों में लगभग चार गुना बढ़ाकर 5.348 करोड़ रुपये किया गया। प्रारंभिक शिक्षा तथा साक्षरता योजना के परिव्यय को तीन वर्षों में तीन गुना बढ़ाकर 17,128 करोड़ रुपये किया गया। शिक्षा योजना के परिव्यय में तीन वर्षों में 180 प्रतिशत तक वृद्धि करके 20,744 करोड़ रुपये किया गया।**
- **शिक्षा के सम्प्रदायीकरण के रुझान को समाप्त किया गया।**
- **शिक्षा के अधिकार पर मॉडल विधेयक तैयार किया जा रहा है।**
- **कुक्ड मिड-डे मील स्कीम लागू की गयी।**
- **निर्धन लोगों में शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए छात्रवृत्तियां,** विद्यार्थी ऋण, संपार्श्विक अधत्याग सीमा में वृद्धि, विद्यार्थी ऋण चुकौती पर कर-छूट में कोई सीमा नहीं, छात्रवृत्तियां तथा ऋण पोर्टल, अल्पसंख्यक उम्मीदवारों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग के लिए निजी कोचिंग संस्थानों का मसौदा तैयार, निजी व्यवसायिक शिक्षा संस्थानों का विनियमन आदि अनेक उपाय किए गए।
- **चार विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए कार्रवाई तथा सिक्किम के लिए एक नये केंद्रीय विश्वविद्यालय का प्रस्ताव।**
- **तीन वर्षों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को दी जाने वाली सहायता राशि बढ़ाकर दुगुनी करना।**
- **एन आई टी तथा आई आई एस सी को सुदृढ़ किया जा रहा है, नए आई आई एम तथा भारतीय शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थानों की स्थापना की जा रही है।**

IV. पोषण तथा आहार सुनिश्चित करना

17. **पोषकता प्रदान करना:** नेशनल कुक्ड मिड-डे मील स्कीम, आई सी डी एस, किशोरी शक्ति योजना, किशोरावस्था की बालिकाओं के लिए पोषण कार्यक्रम तथा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के जरिए नेशनल कुक्ड मिड-डे मिल स्कीम को लगभग संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया है, जबकि आई सी डी एस के प्रथम चरण को संपूर्ण देश में लागू करने की मंजूरी दी गयी है। सरकार ने 11 से 18 वर्ष की आयु-वर्ग की बालिकाओं के पोषण तथा स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करने के लिए किशोरी शक्ति योजना को भी संपूर्ण देश में लागू कर दिया है।

18. **खाद्य सुरक्षा:** राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना बनाकर, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत लागत व्यय में वृद्धि करके अंत्योदय अन्न योजना में विस्तार करके तथा ग्रामीण अनाज बैंक स्कीम को संशोधित करके खाद्य सुरक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है। अंत्योदय अन्न योजना को विस्तृत करके इसमें एक करोड़ अतिरिक्त परिवारों को शामिल किया गया है जिससे 67% की वृद्धि हुई है। उचित दर दुकानों को व्यवहार्य बनाने के लिए उन्हें पी.सी.ओ.के तौर पर इस्तेमाल करने के अनुदेश जारी किए गए हैं और उन्हें ऋण देने के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र माना गया है। प्राकृतिक विपत्तियों तथा मंदे सीजन के दौरान भुखमरी की स्थिति उत्पन्न न होने देने के लिए ग्रामीण अनाज बैंक स्कीम को व्यापक बनाया गया है तथा इसे अधिक विशद् आधार प्रदान किया गया है। पहले इस स्कीम में केवल अनुसूचित जनजातियों के लोगों तथा जनजातीय क्षत्रों में रहने वाले अनुसूचित जाति के इच्छुक लोगों को ही इसमें शामिल किया गया था अब इस स्कीम में सूखा संभावित क्षेत्रों,मरूस्थलों व देश के भोजनाभाव ग्रस्त दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले सभी इच्छुक परिवारों को शामिल कर लिया गया है।

- प्राथमिक विद्यालयों में सर्वव्यापी राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन स्कीम के माध्यम से पोषण सुरक्षा, आंगनवाड़ी केन्द्रों को सर्वव्यापी बनाने के कार्यक्रम, **सर्वव्यापी किशोरी शक्ति योजना** तथा **सर्वव्यापी प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना** का चरणबद्ध प्रारंभन।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम प्रारंभ करके संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के लागत व्यय में वृद्धि करके, **अंत्योदय अन्न योजना में 67% तक विस्तार करके, ग्रामीण अनाज बैंक स्कीम को संशोधित करके खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना।**

V. बाल अधिकार सुनिश्चित करना

19. **बाल अधिकार:** बाल अधिकारों की सुरक्षा हेतु आयोग विधेयक, 2005 संसद में पेश किया गया है। विधेयक में बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग के साथ-साथ राज्य आयोग गठित करने तथा बच्चों के प्रति किए गए अपराधों एवं बाल अधिकारों के उल्लघन पर शीघ्र परीक्षण के लिए बाल न्यायालय बनाने की व्यवस्था की गई। यह आयोग बाल अधिकारों से संबंधित मामलों का अध्ययन व मॉनीटरन करेगा, कानूनी सुरक्षाउपायों की जांच व समीक्षा करेगा, कानूनों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के उपायों की सिफारिश करेगा, मौजूदा कानूनों की समीक्षा करेगा तथा उनमें आवश्यक संशोधनों की सिफारिश करेगा, बाल अधिकारों के उल्लंघन संबंधी मामलों पर ध्यान देगा तथा बच्चों के लिए बनाए गए कानूनों व कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग करेगा। एक और विधेयक तैयार किया जा रहा है जिसमें बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार व हिंसा सहित बच्चों के प्रति किए जाने वाले सभी अपराधों से निपटने के लिए कानून बनाए जा रहे हैं। किशोर न्याय (बालकों की देख रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 को संशोधित करने के लिए एक विधेयक पुनः स्थापित किया गया है जिसका प्रयोजन इसमें कुछ ऐसे उत्तरोत्तर सुरक्षा उपाय शामिल करना है जैसे किशोर अपराधियों को संप्रेक्षण गृहों में बंदी बनाने के बजाय, अन्य विकल्प के रूप में उन्हें 24 घंटे के भीतर किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने को अनिवार्य बनाना, जांच पड़ताल कार्य पुलिस को न सौंपना और अधिनियम मे आदर्श नियमों को शामिल करना।

20. **बाल-विवाह:** बाल विवाह अवरोध अधिनियम को संशोधित करने के लिए एक विधेयक पटल पर रखा गया है इसमें उस बालक के विकल्प पर बाल विवाह को समाप्त घोषित करने के लिए व्यवस्था की गई है जिसका ऐसा विवाह कर दिया गया हो। इसमें यह व्यवस्था भी की गई है कि ऐसी नाबालिग लड़की जिसका बाल विवाह कर दिया गया हो उसका पुनर्विवाह होने तक उसका पति या उसके नाबालिग पति का अभिभावक इसके भरण पोषण का प्रबंध करेगा। इसमें बाल विवाह के बाद पैदा होने वाली संतान के संरक्षण व भरण पोषण के लिए भी व्यवस्था की गई है तथा यह उपबंध किया गया है कि ऐसे विवाह संबधों के अकृत हो जाने पर भी ये संतान धर्मज संतान मानी जाएगी। प्रभावी कार्रवाई को सुनिश्चित करने के लिए अपराधों को संज्ञेय बनाने और बाल विवाह अवरोध अधिकारियों की नियुक्ति करने का प्रस्ताव रखा गया है।

21. **देखभाल और विकास:** महिला और बाल विकास के लिए एक नए मंत्रालय का गठन किया गया है ताकि महिलाओं व बच्चों से संबंधित समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। सरकार ने एक व्यापक व समग्र राष्ट्रीय बाल विकास कार्य योजना, 2005 तैयार की है ताकि शिशु व बाल मृत्यु दर एवं बच्चों में एच आई वी होने के मामलों को कम करने, सभी को पीने का पानी उपलब्ध कराने और बुनियादी सफाई व्यवस्था करने तथा बाल विवाह को समाप्त करने के साथ -साथ पोलियो के कारण होने वाली अशक्तता की घटनाओं को समाप्त करने के लिए समयबद्ध लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। इस संबंध में कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करके अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। शिशु सदनों एवं दिवस देखभाल केंद्रो के लिए बनाई गई स्कीम के लिए लागत व्यय बढ़ा इसे संशोधित किया गया है ताकि बच्चों और कामकाजी माताओं को बेहतर शिशु सदन सेवाएं मिल सके तथा सेवा प्रदाताओं को भी प्रशिक्षण दिया जा सके साथ ही 'बच्चों' व कामकाजी महिलाओं के लिए राजीव गांधी शिशु सदन स्कीम' नाम से एक नई स्कीम भी प्रारंभ की गई है। आई सी डी एस की सर्वव्यापकता के लिए इसका चरणबद्ध विस्तार सर्वव्यापी राष्ट्रीय मध्याह्न्-भोजन कार्यक्रम तथा सर्वव्यापी किशोरी शक्ति योजना ऐसे प्रमुख उपाय है जो सरकार ने बच्चों के अधिकारों को यथार्थ स्वरूप प्रदान करने के लिए किए हैं। आई सी डी एस में बालकों व किशोरियों के उपयुक्त विकास की नींव रखने के लिए तथा बच्चों की स्वास्थ्य व पोषण आवश्यकताओं की देखभाल करने में माताओं को अधिक सक्षम बनाने के लिए स्वास्थ्य, पोषण व शिक्षा सेवाओं का एक समेकित पैकेज उपलब्ध कराया गया है। किशोरी शक्ति योजना 11 से 18 वर्ष तक की बालिकाओं के पोषण व स्वास्थ्य स्तर को सुधारने, उन्हें अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने, उनके कौशल को विकसित करने, उन्हे जागरूक बनाने, बालिग हो जाने पर ही विवाह के लिए तैयार होने को बढ़ावा देने तथा रचनात्मक व उपयोगी कार्यकलापों में भाग लेने को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है।

- **बाल अधिकार संरक्षण के लिए आयोग विधेयक, 2005 पुनर:स्थापित किया गया**
- **बच्चों के प्रति किए जाने वाले अपराधों से निपटने के लिए विधेयक तैयार किया जा रहा है।**
- **किशोरों के लिए बनाए गए कानूनों में उत्तरोत्तर सुरक्षा उपाय करने के लिए विधेयक पुनः स्थापित किया गया।**
- **बाल विवाह अवरोध अधिनियम को संशोधन करने के लिए विधेयक पटल पर रखा गया है।**
- **महिला व बाल विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नए मंत्रालय का गठन किया गया।**
- **समयबद्ध लक्ष्य पूर्ति हेतु बच्चों के लिए समग्र राष्ट्रीय कार्य योजना, 2005 बनाई गई।**
- **कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु सदन स्कीम प्रारंभ की गई।**
- आई सी डी एस के सर्वव्यापीकरण के लिए चरणबद्ध विस्तार द्वारा समग्र देखभाल की गई, सर्वव्यापी पका हुआ मध्यांतर - आहार स्कीम प्रारंभ की गई, किशोरी शक्ति योजना का सर्वव्यापीकरण किया गया।

VI. सांप्रदायिक सद्भाव एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण

22. **सांप्रदायिक सद्भावना** - राष्ट्रीय एकीकरण परिषद को पुनगर्ठित किया गया है और अगस्त, 2005 में इसकी बैठक संपन्न हुई है। संसद में एक विधेयक पेश किया गया है जिसका प्रयोजन सांप्रदायिक हिंसा को रोकना व नियंत्रित करना, राहत व पुनर्वास के लिए तत्काल एवं प्रभावी उपाय करना, सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों को मुआवजा देना और संबंधित मामलों की जांच-पड़ताल व विचारण को जल्दी से पूरा करवाना है।

23. **शिक्षा के सांप्रदायिककरण को रोकना:** शिक्षा के सांप्रदायिककरण की प्रवृत्ति को बदला गया है।

24. **अल्पसंख्यकों संबंधी कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना:** अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय बनाकर अल्पसंख्यकों की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अल्पसंख्यक आयोग को सांविधानिक हैसियत प्रदान करने के लिए संसद में एक विधेयक पुनर:स्थापित किया गया है। यह पता लगाने के लिए एक आयोग का गठन किया गया है कि अल्पसंख्यकों में से सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों का सर्वोत्तम कल्याण कैसे किया जा सकता है। इसमें शिक्षा व सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का मुद्दा भी शामिल है। न्यायमूर्ति सच्चर की अध्यक्षता में गठित की गई समिति अल्पसंख्यकों की स्थिति पर गहराई से अध्ययन कर रही है तथा शीघ्र ही उनके आर्थिक व सामाजिक विकास एवं सशक्तीकरण के संबंध में सिफारिश प्रस्तुत करने वाली है।

25. **अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के लिए राष्ट्रीय आयोग (एम सी एम ई आई):** संसद में बनाए गए एक अधिनियम के द्वारा पहली बार एन सी एम ई आई की स्थापना यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि संविधान के उन उपबंधों का कार्यावन्यन कारगर तरीके से हो जो अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद के शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने और उनका प्रबंध करने का अधिकार देते हैं। इसमें अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपनी पंसद के विश्वविद्यालय से संबद्ध हो सकते हैं, ऐसे संस्थानों को स्थापित करने के लिए अनापत्ति प्राप्त करने में आने वाली समस्याओं को निपटा सकते हैं तथा शैक्षिक संस्थानों की अल्पसंख्यक हैसियत से संबंधित विवादों का आयोग से समाधान करवा सकते हैं।

26. **अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15-सूत्रीय कार्यक्रम:** इस कार्यक्रम की समीक्षा की जा रही है तथा इसके उद्देश्यों को कारगर तरीके से पूरा करने के लिए और अल्पसंख्यकों की सामाजिक, शैक्षिक व आर्थिक उन्नति के साथ गहराई से जुड़े मुद्दों पर की जाने वाली कार्रवाई पर पूर्णत: ध्यान केंद्रित करने के लिए इसे दुबारा से तैयार किया जा रहा है। सांप्रदायिक दंगों की रोकथाम तथा ऐसे दंगों के पीड़ितों को राहत पहुंचाने की व्यवस्था करने को पहले की ही भांति संशोधित कार्यक्रम में भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है परन्तु ऐसे नए मुद्दों को शामिल किया गया है जो अल्पसंख्यक पिछड़े वर्गों के विकास से निकटता से जुड़े हैं।

27. **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम (एन एम डी एफ सी):** एन एम डी एफ सी को सशक्त बनाया गया है। राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए यथानुपात इक्विटी अंशदान की शर्त समाप्त कर दी गई है और केंद्र ने प्राधिकृत शेयर पूंजी को बढ़ाकर अपना इक्विटी शेयर बढ़ा दिया है। केंद्र ने वर्ष 2004-05 में 71.79 करोड़ व वर्ष 2005-06 में 73.65 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं जो दशक का अधिकतम इक्विटी अंशदान है और वर्ष 2003-04 में दिए गए 21.79 करोड़ रुपये की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। परिणामस्वरूप एन एम एफ डी सी ने 41 अल्पसंख्यक-बहुल जिलों में से प्रत्येक को एक करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराई है। यह शहरी क्षेत्रों में और शहरों के आसपास विशेषकर रहने वाले कारीगरों व बुनकरों तक पहुंचने के अपने प्रयासों में तेजी ला रहा है तथा इस संदर्भ में कौशल संवर्धन, क्रेडिट व प्रौद्योगिकी-प्रबंधकीय समर्थन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

28. **अल्पसंख्यकों में शिक्षा को बढ़ावा देना:** इस मुद्दे पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। 21 राज्यों के शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में एक हजार से अधिक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले जाने की योजना को संस्वीकृति दे दी गई है। इसका उद्देश्य निर्धन बालिकाओं को उच्च प्राथमिक स्तर पर मुफ्त आवासीय शिक्षा प्रदान करना है। अल्पसंख्यक समुदाय बहुल क्षेत्रों में स्थित पोलीटेक्नीक स्तर के 84 संस्थानों को

उन्नत बनाने के लिए चुना गया है। जबकि इन क्षेत्रों में 12 नए ऐसे संस्थान खोले जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। अल्पसंख्यकों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए यू जी सी ने सामान्य योजना के अलावा विशेष रूप से निधियों का नियतन किया है। अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा-पूर्व कोचिंग, सरकारी संस्थानों में पहले से सीटें नियत कर देने की स्कीमों में विस्तार करके ऐसे प्रतिष्ठित निजी कोचिंग संस्थानों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है जिनका प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम प्रस्तुत करने का ट्रेक रिकॉर्ड है। वर्ष 2005-06 में मौलना आज़दी एजुकेशन फाउंडेशन की संग्रह निधि को 70 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ करने के लिए अनुदान दिया गया है ताकि फाउंडेशन अपने छात्रवृत्ति, पुरस्कार, प्रशिक्षण आदि कार्यक्रमों के माध्यम से शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक वर्गों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अधिक सक्षम कर सके।

29. **हज़ यात्रियों के लिए बेहतर प्रबंधः** यात्रियों के लिए सुविधाओं में सुधार लाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इनमें मक्का में बेहतर आवास मानक बढ़ाना, मदीना में अधिक समीपस्थ आवास सुविधाएं उपलब्ध कराना और उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं देना शामिल हैं। राज्य हज समिति एवं वक्फ़ बोर्ड के कर्मचारियों को सहायक या खादिम-उलहजीज, आदि के रूप में प्रतिनियुक्त करके उन्हें निजी टूर आपरेटरों की गतिविधियों का विनियमन करने का कार्य देकर हज़ प्रबंधन में हज समितियों की भूमिका को बढ़ाया गया है।

- **राष्ट्रीय एकता परिषद को पुनः चालू करना**
- **साम्प्रादायिक हिंसा (पीड़ितों का निवारण,नियंत्रण एवं पुनर्वास) विधेयक पेश।**
- **शिक्षा के सांप्रदायिककरण की प्रवृत्ति पर रोक लगाई गई।**
- **अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय बनाया गया।**
- **अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए विधेयक प्रस्तुत किया गया।**
- **अल्पसंख्यकों में पिछड़ा वर्गों के कल्याण के उपाय करने के लिए आयोग का गठन किया गया।**
- **अल्पसंख्यकों की स्थिति का गहन अध्ययन करने के लिए सच्चर समिति का गठन।**
- अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रभावी ढंग से उपयोग करते समय अल्पसंख्यकों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग** का गठन।
- अल्पसंख्यकों के सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक उत्थान पर बल देने तथा इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए **अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी 15 सूत्री कार्यक्रम** को नया रूप दिया गया।
- **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त कार्पोरेशन को मजबूत बनाया गया।**
- **अल्पसंख्यकों की शिक्षा के उन्नयन पर विशेष बल दिया गया।**
- **हज यात्रियों के लिए बेहतर प्रबंध।**

VII. महिलाओं का सशक्तीकरण

30. **विधिः** घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के संरक्षण संबंधी अधिनियम 2005 के द्वारा परिवार में होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं को अधिक कारगर ढंग से संरक्षण प्रदान किया गया है। यह अधिनियम महिलाओं को अनिंदात्मक एवं अहिंसक वैवाहिक या अन्य घरेलू संबंधों पर वार्ता करने का अवसर प्रदान करता है तथा उनके लिए सिविल उपचार की व्यवस्था करता है जो अब तक आपराधिक विधि प्रणाली में उपलब्ध नहीं था। राज्यों में हिन्दू महिलाओं को सहदायाद सम्पति में पुरुषों के समान पैतृक अधिकार देने के लिए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1955 को संशोधित किया जाएगा। विवाह संबंधी अनिवार्य पंजीकरण विधेयक भी विचाराधीन है। अधिनियम के उपबंधों को अधिक कड़ा, निवारक एवं प्रभावी बनाने तथा सती होने का प्रयास करने के मौजूदा बोध को अपराधी के रूप में पुनः निश्चित करने तथा दीर्घ सामाजिक व्यवस्था की पीड़िता के रूप में व्यवहार करने की बजाए उसकी सहायता करने के लिए सती (निवारक) अधिनियम, 1987 में संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं।

31. सूर्यास्त के बाद एवं सूर्योदय से पूर्व महिलाओं की गिरफ्तारी पर रोक लगाने, बलात्कार करने या करने का प्रयास करने वाले अभियुक्तों की चिकित्सा जांच करवाने, पुलिस हिरासत में रहते हुए बलात्कार के मामले में अनिवार्य न्यायिक जांच करवाने के लिए संसद ने संशोधन पारित कर दिया हैं। यौन-उत्पीड़न के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने संबंधी विधेयक को शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जा रहा है। कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। नियोक्ता से अपेक्षा रखते हुए कि वह महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण सुनिश्चित करेगा, रात्रि के समय महिलाओं के रोजगार के संबंध में लचीलापन लाने के लिए सरकार ने कारखाना अधिनियम,1948 को संशोधित करने के लिए संसद में विधेयक पेश किया है। यह आशा की जाती है कि इससे महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

32. सरकार ने अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा है जिससे कि अवैध व्यापारियों, दलालों तथा चकला-मालिकों के खिलाफ कानून के उपबंधों को और अधिक सख्त, निवारक तथा प्रभावी बनाया जा सके, अधिनियम के उन उपबंधों को छोड़ा जा सके जो उन महिलाओं में भेदभाव करते हैं जो व्यावसायिक रूप से यौन शोषण की शिकार हैं, पीड़ित महिलाओं की गोपनीयता तथा गरिमा को बचाने के लिए गुप्त कार्यवाहियाँ की जा सकें तथा लोगों में अवैध व्यापार को प्रभावपूर्ण तरीके से रोकने तथा विरोध करने के लिए केंद्रीय प्राधिकरण एवं राज्य प्राधिकरणों के गठन की व्यवस्था हो।

33. **वित्तीय क्रिया-कलापः** राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम में महिलाओं के लिए एक-तिहाई हिस्सा निर्दिष्ट किया गया है। महिलाओं के कल्याण पर सरकारी खर्च का निर्धारण करने तथा उस पर बल देने और कार्यक्रमों एवं योजनाओं में जेंडर सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए बजट में महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। 40 मंत्रालयों में जेंडर बजटिंग सैल की स्थापना की गई है। बलात्कार की शिकार महिलाओं के राहत एवं पुनर्वास के लिए एक नई स्कीम विचाराधीन है।

34. **महिला आरक्षण विधेयकः** विधानमंडल में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण शुरू करने की बाबत एक प्रारूप विधेयक तैयार किया गया है तथा एकरूपता बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने समस्त विपक्षी दलों तथा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यू पी ए) के घटक दलों के साथ बैठकें आयोजित की हैं। महिला समूहों तथा अन्य सहभागियों के साथ चर्चाएं की गई हैं।

- घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम में गाली-गलौज पूर्ण/हिंसक संबंधों में महिलाओं के लिए कानूनी उपाय किए गए।
- हिंदू महिलाओं को पैतृक संपत्ति में संयुक्त रूप से हक दिलाने के लिए समान अधिकार दिए गए हैं
- रात में महिलाओं की गिरफ्तारी पर रोक लगाने, बलात्कार के अभियुक्त का डी एन ए परीक्षण तथा बलात्कार के मामले में पुलिस अभिरक्षा में होते हुए आवश्यक न्यायिक जांच के लिए कानून को अधिनियमित करना।
- महिलाओं के लिए कार्य के घंटों में परिवर्तन की स्वीकृति देने के लिए विधेयक लाया गया।
- महिलाओं को सती होने से रोकने के कानून को सख्त बनाने पर विचार।
- विवाह के अनिवार्य पंजीकरण पर विचार किया जा रहा है।
- कन्या भ्रूण हत्या को रोकने पर बल दिया जा रहा है।
- अनैतिक व्यापार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तथा अपने कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न की शिकार कामकाजी महिलाओं के साथ भेदभाव रहित बरताव के संबंध में कानून।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था करना।
- 40 से भी अधिक मंत्रालयों में बजट में महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था।
- बलात्कार की शिकार महिलाओं के राहत तथा पुनर्वास की नई स्कीम विचाराधीन।

VIII. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों का सशक्तीकरण

35. **नौकरियों में आरक्षण:** आरक्षण को सांविधिक अधिकार में का दर्जा देने से से संबंधित एक विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया है। सरकार ने आरक्षित पदों की रिक्तियों के बैकलॉग को भरने के लिए भर्ती की प्रक्रिया तेज कर दी है। पिछले रिक्त पदों में पिछड़े वर्गों के आरक्षण के प्रश्न से संबंधित समस्त आयामों को शामिल करने के लिए मंत्री समूह का गठन किया गया है। निजी क्षेत्र में सकारात्मक कार्रवाई के मुद्दे की जांच करने के लिए एक मंत्री समूह गठित किया गया है। इसने यह देखने के लिए कि निजी क्षेत्र किस प्रकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवाओं की महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकता है, उद्योग वर्ग के साथ बातचीत शुरू कर दी है।

36. **शिक्षा:** अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को अधिक से अधिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए संविधान में संशोधन किए गए हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में से अभ्यर्थियों को शैक्षिक हैसियतों तथा डॉक्टरीय अध्ययन के चयन हेतु तैयार करने के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति स्कीम हर साल से 2,000 अध्येतावृत्ति प्रदान करने के लिए शुरूकी गई है।

37. **जंगलों में रहने वाले अनुसूचित जन जातियों के अधिकार:** जंगलों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के लोगों को जंगलों में जमीन तथा लघु वन उत्पाद का स्वामित्व का अधिकार प्रदान करने के लिए संसद में एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया गया है। 1980 से पहले के जनजातीय वन अधिवासियों की पहचान की पद्धति को सुव्यवस्थित करने तथा सरल बनाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के सहयोग से नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। संयुक्त वन प्रबंधन (जे एफ एम) के अंतर्गत पूर्व के 0.61 लाख गांवों से बढ़ाकर समस्त 1.73 लाख वन प्रांत गांवों के लिए संयुक्त वन प्रबंधन को सर्वव्यापी बनाने का निर्णय लिया गया है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत जन सुविधा संबंधी परियोजनाओं/अवसंरचना परियोजनाओं को एक बार में मंजूरी देने की प्रक्रिया निर्धारित की जा रही है। वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम के तहत संरक्षण एवं सामुदायिक आरक्षितों के गठन की प्रक्रिया को और तेज करने के लिए राज्यों के साथ परामर्श करके दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

38. **पांचवें अनुसूचित क्षेत्रों में समुदाय के सदस्यों के अधिकार:** पंचायत (एक्सटेंशन टू शेड्यूलड एरियाज) एक्ट, 1996 (पी ई एस ए) को राज्यों में लागू करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय को आदेश दिया गया है। अन्य बातों के साथ-साथ पी ई एस ए को लागू करने सहित पंचायतों से संबंधित मुद्दों की छानबीन करने के लिए मंत्री समूह गठित किया गया है। पी ई एस ए के अनुसार उनके नियमों में संशोधन करने तथा खनन कार्यों में ग्रामसभाओं/पंचायतों के सहयोग के लिए दिशानिर्देश जारी करने के संबंध में राज्यों से अनुरोध किया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों वाले अधिकांश राज्यों ने यह कार्य कर लिया है।

39. **जनजातीय मामलों पर मंत्रिमण्डल समिति:** यह समिति जनजातीय विकास से संबंधित मुद्दों से नियमित आधार पर निपटने के लिए गठित की गई है। इसके विचारार्थ विषयों में विकास के लिए कार्यनीतियों से संबंधित मुद्दों की जांच करना, जनजातीय उप-योजनाओं को पुनः नई दिशा देना, जनजातीय विकास सूचकांक तैयार करना, आंकने योग्य लक्ष्यों को निर्धारित करना, कानून के अंतर्गत गारंटीकृत संसाधनों के संबंध में जनजातीय अधिकारों पर अतिक्रमण करने वाले मामलों पर मध्यक्षेप करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय को सशक्त बनाना, जनजातीय क्षेत्रों मे पदों को भरने के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित कार्यक्रमों के माध्यम से स्थितियां सुनिश्चित करना, पी ई एस ए के कार्यान्वयन को मॉनीटर करना तथा जनजातीय लोगों के पक्ष में गैर-इमारती वन उत्पाद का मूल्य संवर्धन सुनिश्चित करना सम्मिलित है। जहां तक जनजातीय भूमि के अधिग्रहण का संबंध है, पुनर्वास की वर्तमान नीति को कानून में परिवर्तन करने के मुद्दे की जांच की जा रही है।

40. **दलित मामलों पर मंत्रियों की समिति:** यह समिति दलित मामलों पर और अधिक बल देने के लिए गठित की गई है।

41. **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों की भूमि का विकासः** राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसानों के खेतों में सुधार की व्यवस्था की गई है। किसानों द्वारा प्रयोग किए जा रहे, विशेषकर शुष्कभूमि, दूरस्थ एवं जनजातीय क्षेत्रों में जल निकायों के सुधार, मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए एक राष्ट्रीय परियोजना 2005-06 में शुरू की गई है जिससे कि 13 राज्यों में 23 जिलों को शामिल करते हुए प्रायोगिक परियोजना के साथ शुरुआत करके जल निकायों की भंडार क्षमता को बढ़ाया जा सके तथा उनकी खोई हुई अथवा अपशिष्ट सिंचाई क्षमता को वापस लाया जा सके। 1.47 मिलियन हैक्टेयर के प्रभावित क्षेत्र के साथ 20,000 जल निकायों को 2006-07 के प्रथम चरण में पूरा किए जाने के लिए निर्धारित किए गए हैं। जिसकी अनुमानित लागत 4,481 करोड़ रुपये है। इस स्कीम में अनु.जा./अनु.जनजाति के खेतों को प्राथमिकता दी जाएगी। जनजातीय एवं सूखे की संभावना वाले क्षेत्रों के लिए सामान्य श्रेणी के राज्यों में सतही लघु सिंचाई शामिल करने के लिए ए आई बी पी के दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया है तथा यह अपेक्षा की जाती है कि इससे प्रमुख रूप से अनु.जाति एवं अनु.जनजाति को लाभ होगा। अनुसूचित जनजातियों से संबंधित भूमि के संबंध में सिंचाई योजनाओं के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए 200 करोड़ रुपये के परिव्यय की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। वित्त मंत्री ने 2004-2005 में अनु.जाति/अनु.जनजाति के किसानों के लिए जल संचयन की एक स्कीम की घोषणा की थी तथा 2005-2006 के बजट में 49 करोड़ रू का प्रावधान रखा गया था। भारत निर्माण के अंतर्गत 2009 तक भूमिगत जल से 10 लाख हैक्टेयर की सिंचाई क्षमता बढ़ाने से अनु.जाति एवं अनु.जनजाति के लोगों के बीच छोटे और सीमांत किसानों को प्रमुख रूप से लाभ होगा।

42. **परिव्ययः** अनु.जाति एवं अनु.जनजाति को लाभ प्रदान करने वाली स्कीमों के लिए 2006-07 के बजट आबंटन को 14 प्रतिशत तक बढ़ाकर 12,592 करोड़ रुपये कर दिया है।

- **निजी गैर सहायता प्राप्त संस्थाओं में आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन किया गया।**
- **जंगलों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों को वन एवं लघु वन उत्पाद के अंतर्गत भूमि के अधिकार देने से संबंधित विधेयक प्रस्तुत किया गया ।**
- **सांविधिक अधिकार के लिए आरक्षण बढ़ाने संबंधी विधेयक संसद में पुरःस्थापित किया गया।**
- पिछले रिक्त पदों में अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण की जांच की जा रही है।
- अनु.जाति/अनु.जनजाति निजी क्षेत्र में नौकरी पाने की संबंधी आकांक्षाओं को पूरा करने के संबंध में उद्योग वर्ग के साथ बातचीत की गई।
- **पंचायत (एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज) एक्ट (पी ई एस ए)** को राज्यों में लागू करने के लिए **पंचायती राज मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य सौंपा गया।**
- **अनु.जाति/अनु.जनजाति की खेती की जमीनों में सुधार करने के लिए कई स्कीम शुरू की गई।**
- **जनजातीय मामलों पर मंत्रिमंडल समिति तथा दलितों के मामलों के संबंध में मंत्रियों की समिति का गठन किया गया**
- **जनजातीय भूमि के अधिग्रहण के लिए पुनर्वास नीति को कानून में परिवर्तित करने की जांच की जा रही है।**
- **1980 के पहले के जनजातीय वन अधिवासियों के अभिनिर्धारण की प्रणाली को पंचायतों के साथ मिलकर सरलीकृत किया गया।**
- **समस्त 1.73 लाख वन प्रांत गांवों में संयुक्त वन प्रबंधन को सर्वव्यापी बनाने का निर्णय लिया गया।**
- **जन सुविधाओं/अवसंचना के लिए एक बार में अनुमति देने संबंधी कार्यविधियां तैयार की जा रही हैं।**
- **वन्यजीव कानून के अधीन संरक्षण एवं सामुदायिक प्रारक्षित निधि के गठन के कार्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है।**

IX. असंगठित क्षेत्र

43. **ग्रामीण रोजगार गारंटी:** ग्रामीण क्षेत्रों के असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू करके और फरवरी 2006 में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरू करके प्रमुख कदम उठाए गए हैं। शुरुआत में इस योजना में 200 जिलों को शामिल किया गया है तथा यह प्रतिबद्धता की गई है कि पांच वर्षों के अंदर इस योजना को देश भर में लागू किया जाएगा।

44. **असंगठित क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यम आयोग:** सितंबर, 2004 में असंगठित क्षेत्र में 3 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय उद्यम आयोग गठित किया गया है जो एक परामर्शदात्री निकाय तथा निगरानी करने वाले के रूप में कार्य करेगा तथा सरकार के समक्ष समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इसके विचारार्थ विषयों में व्यापक रूप से असंगठित क्षेत्र से संबंधित संपूर्ण मुद्दे शामिल हैं तथा इसमें इन कार्यकर्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा तथा अन्य स्कीमों सहित सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्धेश्य से सहभागियों विशेषकर राज्य सरकारों के साथ व्यापक स्तर पर परामर्श करके संगत विधि निर्माण पर महत्वपूर्ण कार्य किया है। आयोग ने टैक्सटाइल, सूचना प्रौद्योगिकी तथा एस ई जेड जैसे विभिन्न क्षेत्रों में श्रम अधिकारों के अनुरूप उत्पादकता बढ़ाने तथा और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक तथा रोजगार का सृजन सुनिश्चित करने के लिए भारत में श्रम कानून की समीक्षा भी की थी। समूह आधारित प्रगति बिंदु (क्लस्टर बेस्ड ग्रोथ पोल्स),सार्वजनिक - निजी भागीदारी के माध्यम से कौशल निर्माण, माइक्रो-फाइनेंस के प्रावधान को प्राथमिक क्षेत्रों के रूप में निर्धारित किया गया है। स्वनियोजित कामगारों के लिए क्रेडिट की व्यवस्था, सामान्य संपत्ति तथा प्राकृतिक संसाधन के अधिकार तथा आर्थिक कार्य में लगाने के लिए सार्वजनिक स्थान के प्रयोग की व्यवस्था करके जीविका की सुरक्षा तथा उसे बढ़ाने के उपाय भी किए जा रहे हैं।

45. **नेशनल पॉलिसी ऑन अरबन स्ट्रीट वेंडर्स:** नेशनल पॉलिसी ऑन अरबन स्ट्रीट वेंडर्स को कार्यान्वित करने की प्रगति की जांच की जा रही है तथा इस कार्य में भारत के नेशनल एलायंस ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स को शामिल किया गया है।

46. **पूर्ण सामाजिक सुरक्षा नेट:** सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए असंगठित क्षेत्र कार्यकर्ता सामाजिक सुरक्षा विधेयक को अंतिम रूप दिया जा रहा है। एल आई सी ने पूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बीमांकिक विश्लेषण किया है जिसमें स्वास्थ्य बीमा संबंधी पहलू पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

47. **कार्य का वातावरण और जीविकोपार्जन के साधन बढ़ाना:** कार्य का वातावरण प्रदान कराने तथा जीविका की सुरक्षा तथा उसे बढ़ाने के लिए साधन उपलब्ध कराने के लिए असंगठित क्षेत्र कार्यकर्ता (कार्य का वातावरण तथा जीविकोपार्जन के साधन बढ़ाना) विधेयक को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

48. **राष्ट्रीय निधि की स्थापना:** गैर सरकारी क्षेत्र में उद्यमों को तकनीकी, विपणन एवं क्रेडिट संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय निधि स्थापित करने संबंधी कार्यप्रणालियां तैयार की जा रही हैं।

49. **कार्य प्रणालियों को सरल और कारगर बनाना:** 16 श्रम अधिनियमितियों में विहित फार्मों एवं रजिस्टरों को सरल एवं सुव्यवस्थित बनाने के लिए तथा विहित विवरणियों को इलैक्ट्रानिक रूप से जमा करने की व्यवस्था करने के लिए संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

50. **खादी एवं ग्रामोद्योग:** खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग को यह सुनिश्चित करने के लिए नया रूप प्रदान किया गया है कि लघु एवं ग्रामोद्योग के माध्यम से अधिक रोजगार का सृजन होता है ।

- **ग्रामीण रोजगार गारंटी दी गई।**
- **असंगठित क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यम आयोग** का गठन किया गया है तथा श्रम कानूनों, समूह आधारित प्रगति बिंदु (क्लस्टर बेस्ड ग्रोथ पोल्स), कौशल निर्माण, क्रेडिट की व्यवस्था, सामान्य संपत्ति तथा प्राकृतिक संसाधन अधिकार, आर्थिक कार्य में लगाने के लिए सार्वजनिक स्थान के प्रयोग आदि की समीक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है।
- **सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने संबंधी विधेयक को अंतिम रूप दिया जा रहा है।**
- **कार्य के वातावरण तथा जीविकोपार्जन के साधन बढ़ाने संबंधी विधेयक को अंतिम रूप दिया जा रहा है।**
- **गैर-सरकारी क्षेत्र में उद्यमों को तकनीकी विपणन एवं ऋण सहायता देने के लिए राष्ट्रीय निधि की स्थापना के संबंध में कार्यप्रणालियां तैयार की जा रही है।**
- **नेशनल पॉलिसी ऑन अरबन स्ट्रीट वेंडर्स के कार्यान्वयन की समीक्षा की जा रही है।**
- **श्रम कानूनों के अधीन फॉर्मों और रजिस्टरों को सरल एवं सुव्यवस्थित बनाने के लिए विधेयक प्रस्तुत किया गया।**
- **खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग को नया रूप दिया गया।**

X. ग्रामीण विकास

51. **ग्रामीण रोजगार:** राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया गया है। इसमें पहली बार, काम करने के अधिकार को मौलिक कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है तथा ग्रामीण निर्धनों को सौ-दिनों के लिए गारंटीशुदा रोजगार का हकदार बनाया गया है। फ्लैगशिप कार्यक्रम 2006-07 के संभावित (आउटकम) बजट में यह अनुमान लगाया गया है कि ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई) के तहत वर्ष में 116 करोड़ श्रम दिवस सृजित किए जाएंगे जो पिछले वर्षों में सृजित श्रम दिवसों की तुलना में काफी अधिक हैं। वर्ष 2006-07 के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के लिए 11,300 करोड़ रुपये का बजट प्रावधन किया गया है जबकि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के लिए 3,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।

52. **ग्रामीण आधारिक संरचना:** भारत निर्माण चार वर्षीय कार्यक्रम (2005-09) है। इसका उद्देश्य ग्रामीण आधारिक संरचना के छः विशिष्ट क्षेत्रों- सिंचाई, पेय जल, आवास, सड़क, टेलीफोन और विद्युतीकरण में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना है। इनमें से चार सुविधाएं सभी गावों तक पहुँचाई जानी हैं। प्रत्येक गांव में टेलीफोन और बिजली सुविधा उपलब्ध होगी और प्रत्येक परिवार को शुद्ध पेय जल सुविधा उपलब्ध होगी और कम से कम एक हजार जनसंख्या अथवा पर्वतीय/जनजातीय क्षेत्रों में 500 जनसंख्या वाले गाँवों के लिए पक्की सड़क की व्यवस्था होगी। इसके अतिरिक्त हमारा विचार 60 लाख आवासों का निर्माण करने और एक करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का है। इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने पर 1,74,000 करोड़ रुपये का निवेश किए जाने का अनुमान है। इस कार्यक्रम के तहत निवेश के लिए आंतरिक और बाह्य बजटीय संसाधनों को जुटाया जा रहा है।

53. **सिंचाई:** सुनिश्चित सिंचाई परियोजनाओं के अधीन एक करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में चालू की गई बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं (42 लाख हेक्टेयर क्षेत्र), लघु सिंचाई स्कीमों (28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र), पूरी की जा चुकी परियोजनाओं के वर्धित उपयोग (20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र) और संभावित अप्रयुक्त भू जल (10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र) क्षेत्रों में भू-जल विकास द्वारा सिंचाई का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। वर्ष 2006-07 के लिए वार्षिक परिव्यय 7,121 करोड़ रुपये है जो तीन वर्ष पहले के परिव्यय से लगभग तीन गुणा है। कार्यान्वयन के पहले वर्ष अर्थात् 2005-06 में यह अनुमान लगाया गया है कि चालू बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाओं को पूरा कर लगभग 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जा सकी है। वर्ष 2006-07 में 3.2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की 17 अन्य संभावित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

54. **ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति:** जल के लिए लक्ष्य में यह सुनिश्चित करना है की लगभग 55,000 परिवार, जिन्हें सुरक्षित पेय जल नहीं मिल रहा है तथा लगभग 2.8 लाख परिवार, जो स्कीम कवरेज में शामिल होने से रह गए और लगभग 2.17 लाख परिवार, जो जल गुणवत्ता संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उन तक पेय जल पहुँचाया जाए। भारत निर्माण के पहले दो वर्ष के लिए इस पर कुल परिव्यय 9000 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है। इसमें शामिल न किए गए 7,596 परिवारों को पेय जल उपलब्ध कराया गया। "शामिल करने से रह गए" 46,106 परिवारों को पुनः वर्ष 2005-06 में शामिल किया गया। वर्ष 2006-07 के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय पेय जल मिशन के लिए परिव्यय 5,200 करोड़ रुपये है जिसमें तीन वर्षों में लगभग 80% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2006-07 के लिए निर्धारित लक्ष्यों में, शेष शामिल न किए गए 1,120 परिवारों, आंशिक रूप से शामिल किए गए 17,000 परिवारों और शामिल करने से रह गए 40,000 परिवारों तथा जल गुणवत्ता की समस्या से प्रभावित 15,000 परिवारों को शामिल करना है।

55. **ग्रामीण आवास:** इंदिरा आवास योजना के अधीन ग्रामीण आवासों के लिए वर्ष 2003-04 में बजट परिव्यय 1900 करोड़ रुपये था जिसे वर्ष 2006-07 के लिए 2,920 करोड़ रुपये बढ़ाया गया है। वर्ष 2005-06 में 10.99 लाख आवासों का निर्माण किया गया और वर्ष 2006-07 के दौरान 15.33 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

56. **ग्रामीण सड़क:** वर्ष 2005-09 के दौरान 1.46 लाख किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण कर और 1.94 लाख किलो मीटर लंबी मौजूदा

सड़कों में सुधार कर 66,802 गाँवों को उनसे जोड़े जाने का लक्ष्य रखा गया है जिस पर लगभग 48,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। वर्ष 2005-06 में भारत निर्माण कार्यक्रम के अधीन 4,068 परिवारों को सड़कों से जोड़ा गया। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अधीन इस कार्य के लिए वर्ष 2006-07 के दौरान 5,225 करोड़ रुपये का आबंटन और आर आई डी एफ XII के अधीन 4,000 करोड़ रुपये की अलग से व्यवस्था की गई है, जो तीन वर्ष पहले आबंटित 2,325 करोड़ रुपये से लगभग चार गुणा है। वर्ष 2006-07 के लिए 9,435 गाँवों को 27,250 कि. मी. लंबी सड़कों से जोड़े जाने का लक्ष्य रखा गया है।

57. **ग्रामीण टेलीफोन व्यवस्था:** टेलीफोन सुविधा से वंचित 66,822 गाँवों को सितंबर 2007 तक इस कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। तीन वर्षों में 50 मिलियन से अधिक ग्रामीण कनेक्शन दिए जाएंगे और इसके पश्चात मांग के आधार पर टेलीफोन कनेक्शन उपलबध होंगे। वर्ष 2005-06 में 24,687 गाँवों को टेलीफोन कनेक्शन दिए गए।

58. **ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण:** 1,00,000 से अधिक गाँवों में विद्युत सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने अप्रैल, 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना प्रारंभ की है। इसके लिए भारत निर्माण के पहले दो वर्षों के लिए संसाधनों पर होने वाला कुल खर्च 5,000 करोड़ रुपये नियत किया गया है। भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत न केवल शेष गाँवों को बिजली पहुँचाई जाएगी अपितु 2.3 करोड़ परिवारों को विद्युत कनेक्शन भी दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक 33/11 के.वी. क्षमता का एक सब-स्टेशन स्थापित किया जाएगा और प्रत्येक कस्बे में एक डिस्ट्रिब्यूशन ट्रांसफार्मर भी लगाया जाएगा। वर्ष 2005-06 में 6,580 गाँवों में बिजली पहुँचाई गई और इस कार्यक्रम के तहत 51,284 गांवों और 69 लाख ग्रामीण परिवारों को शामिल करते हुए परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। वर्ष 2006-07 के दौरान 40,000 गाँवों का विद्युतीकरण किया गया जिसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लगभग 40 लाख परिवारों को मुफ्त विद्युत कनेक्शन दिए गए और साथ ही 80 लाख ग्रामीण परिवारों को विद्युत सुविधा मुहैया कराई गई। विद्युत अधिनियम के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

- फरवरी, 2006 में 200 जिलों में **ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले निर्धन परिवारों को कार्य की गारंटी प्रदान करने वाला राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू** किया गया, जिसे पाँच वर्षों में देश-व्यापी बनाया जाएगा।
- वर्ष 2009 तक बिजली, सड़क, सिंचाई, दूर संचार, आवास और पेयजल के लिए ग्रामीण आधारिक संरचना पर विशेष बल देने के लिए **भारत निर्माण** कार्यक्रम प्रारंभ किया गया।

XI. कृषि और सहकारिताएं

59. **सिंचाई:** भारत निर्माण के अधीन वर्ष 2009 तक एक करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के अलावा, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से लघु सिंचाई कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसमें 10वीं योजनावधि की समाप्ति तक ड्रिप सिंचाई प्रणाली के माध्यम से 3.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के माध्यम से 2.4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल करने का प्रस्ताव है। वर्ष 2004-05 के दौरान ग्रामीण आधारिक संरचना विकास निधि (आर.आई. डी.एफ) को पुनर्जीवित किया गया और वर्ष 2006-07 में इसकी सीमा 10,000 करोड़ बढ़ाई गई है।

60. **राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण:** वर्षा अधिसूचित जल क्षेत्रों में जल संसाधनों के प्रबंधन के सभी आयामों पर विचार करने और पंचायती राज संस्थाओं को वैज्ञानिक और बौद्धिक सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण स्थापित किया जा रहा है। इससे ग्रामीण समुदायों के स्वास्थ्य, पोषण और जीविका सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए वर्षा जल के संचयन, संरक्षण और वर्षा जल के स्थायी और समान उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और फसल, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य उद्योग की सुरक्षा और उत्पादकता को सुनिश्चत करने में सहायता मिलेगी। यह एक व्यावसायिक निकाय है जिसकी सिफारिशें और कार्य योजना उच्च वैज्ञानिक सहमति तथा आर्थिक विश्वसनीयता से अभिलक्षित होंगी और पारिस्थितिकी, अर्थनीति, साम्यता तथा रोजगार सृजन के सिद्धान्तों से निर्देशित होंगी।

61. **ऋण:** कृषि और उससे संबंधित कार्यकलापों के लिए ऋण के वितरण की राशि में तेजी से वृद्धि की गई है और इसे सस्ती ब्याज दर पर अधिक से अधिक लोगों को मुहैया कराया गया है।

62. जून, 2004 में सरकार ने अगले तीन वर्षों में कृषि ऋण को दुगुना करने के लिए व्यापक नीति की घोषणा की थी। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पार करने की उम्मीद है। बैंकों को 50,000 रुपये तक के कृषि ऋण और कृषि व्यापार और कृषि-क्लिनिक के मामले में 5 लाख रुपये तक के ऋण के लिए मार्जिन/जमानत अपेक्षाओं में छूट की अनुमति दी गई है। उपज विपणन योजना के अंतर्गत किसानों को दिए जाने वाले ऋण की सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है। दो वर्षों में वार्षिक ऋण प्राप्ति का स्तर लगभग 74% बढ़ा है। वर्ष 2003-04 में यह स्तर 86,901 करोड़ रुपये था और वर्ष 2004-05 में यह 1,25,309 करोड़ रुपये हो गया और वर्ष 2005-06 में 1,51,000 करोड़ रुपये का वितरण होने का अनुमान है। वर्ष 2006-07 में ऋण का लक्ष्य 1,75,000 करोड़ रुपये रखा गया है। कृषि क्षेत्र में ऋण प्राप्ति को बढ़ाने तथा गोदाम रसीद के एवज में बैंकों से वित्तीयन की सुविधा के उद्देश्य से सभी पण्य परक्राम्य लिखतों के लिए गोदाम रसीद बनाने के लिए संसद में विधेयक प्रस्तुत किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्न ऋण जमा अनुपात की समस्या से उभरने के लिए विशेषज्ञ ग्रुप द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए बैंकों को निदेश दिए हैं। अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में 196 जिलों में जिला स्तरीय ऋण समितियों की विशेष उप समितियों का गठन किया जा रहा है, जहां ऋण-जमा अनुपात चालीस प्रतिशत से कम है ताकि इन जिलों में ऋण जमा अनुपात में सुधार के लिए मॉनीटरन योग्य कार्य योजनाएं तैयार की जा सकें और कृषि तथा लघु उद्योगों को दिए जाने वाले ऋण की प्रगति की भी समीक्षा की जा सके।

63. औपचारिक ऋण व्यवस्था और व्यष्टि (माइक्रो) वित्तीयन के माध्यम से ऋण सुविधा बढ़ाने पर भी समान रूप से ध्यान दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों ने वर्ष 2004-05 और वर्ष 2005-06 के दौरान अपने उधारकर्ताओं की सूची में 1-1/2 करोड़ नए किसानों को शामिल किया है और वर्ष 2006-07 में 50 लाख और नए किसानों को शामिल करने का लक्ष्य है। पिछले दो वर्षों में किसानों को दिए गए 15000 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण का पुनर्विन्यास किया गया। वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान लगभग 8 1/2 लाख स्वरोजगार ग्रुपों (एस एच जी) को 5200 करोड़ रुपये से अधिक ऋण दिया गया जो यह दर्शाता है कि मार्च, 2004 तक ऋण सुविधा प्राप्त स्वरोजगार ग्रुपों (एस एच जी) की समन्वित संख्या और उन्हें दिए गए ऋण की तुलना में इन दो वर्षों में स्वरोजगार ग्रुपों की संख्या में लगभग 80% और दिए गए ऋण में 135% से अधिक समन्वित वृद्धि हुई है। वर्ष 2006-07 के दौरान

3.85 लाख नए स्वरोजगार ग्रुपों (एस एच जी) को ऋण दिए जाने का लक्ष्य है। माइक्रो-फाइनेंस सेक्टर (व्यष्टि वित्तीयन सेक्टर) के संवर्धन, विकास और विनियमन के लिए सांविधिक ढांचा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कानून बनाया जा रहा है। स्वरोजगार ग्रुपों के माध्यम से कृषि उत्पादन के लिए वित्तीयन और निवेश गतिविधियों के लिए नाबार्ड को एक पृथक ऋण नीति प्रारंभ करने के लिए कहा गया है। वितीय समावेश समिति देश के लगभग आधे किसान परिवारों को ऋण सुविधा उपलब्ध न होने के कारणों के बारे में पता लगाएगी और ऋण दाता संस्थानों से ऋण लेने के इच्छुक प्रत्येक परिवार को ऋण उपलब्ध कराने के लिए योजना तैयार करेगी।

64. सरकार के वर्ष 2005-06 की खरीफ और रबी फसलों के लिए एक लाख रुपये तक के सस्य ऋण पर ब्याज दर में 2% की दर से राहत देने के लिए 1700 करोड़ रुपये की सहायता दी है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2006-07 की खरीफ की फसल से किसानों को दिए जाने वाले 3 लाख रुपये तक के अल्पावधि ऋण को 7% प्वाइंट तक सस्ता किया गया है।

65. प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटियों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंकों के वित्तीय पुनर्गठन के लिए और उनके तुलन-पत्रों के समाशोधन और उनके पूंजीगत आधार को मजबूत करके उनकी वित्तीय स्थिति को स्वीकार्य स्तर तक लाने के लिए अल्पावधि ग्रामीण सहकारी ढांचे को पुनर्जीवित करने के लिए लगभग 13,596 करोड़ रुपये के पैकेज को कार्यान्वित किया जा रहा है। इस पैकेज में संचित हानि अदत्त मांगी गई गारंटी, राज्य सरकारों से प्राप्त होने वाली राशियां, राज्य सरकारों को शेयर पूंजी की वापसी, मानव संसाधन विकास, विशेष लेखा परीक्षा का संचालन, कंप्यूटरीकरण आदि को शामिल किया गया है और सहायता को सुधारों से जोड़ा गया है। दीर्घावधि के लिए सहकारी क्रेडिट ढांचे को पुनर्जीवित करने के लिए कार्यबल द्वारा की गई सिफारिशों से संबंधित अंतरिम रपोर्ट प्राप्त हुई है और इसकी जांच की जा रही है।

66. **एकीकृत बाजार:** सरकार कृषि उपज के लिए साझा बाजार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि किसानों को बेहतर फार्म मूल्य मिल सके। इसके लिए गोदाम रसीदों को परक्राम्य लिखत बनाया जा रहा है। आवश्यक पण्य अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है। स्थानीय कृषि उपज विपणन अधिनियमों में संशोधन के लिए राज्यों से बातचीत की जा रही है और खाद्य आपूर्ति और भंडारण श्रृंखला में विस्तार किया जा रहा है। अधिकांश राज्यों में राज्य स्तरीय वैट (मूल्य वर्धित कर) लागू किया गया है और वैट के अंतर्गत सृजित किया जाने वाला एकीकृत बाजार किसानों के लिए उपयोगी होगा। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अपने-अपने कृषि उपज विपणन समिति (ए पी एम सी) अधिनियमों में संशोधन करने के लिए राजी किया जा रहा है और अभी केवल चौदह राज्य और संघ राज्य क्षेत्र ही अपने अधिनियमों में संशोधन कर रहे हैं। सरकार के घरेलू कृषि उपज के निर्यात से उपकर को हटाने के उद्देश्य से कृषि उपकर अधिनियम, 1940 और उपज उपकर अधिनियम, 1966 को निरस्त करने के लिए संसद में विधेयक प्रस्तुत किया है ताकि निर्यात को विश्व-बाजार की दृष्टि से और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जा सके। तदनुसार मांग में वृद्धि कर कृषि उपज का बेहतर मूल्य ले सके। आवश्यक पण्य की श्रेणी से कच्चे कपास, बिनौले और मवेशी-चारे को हटाने के लिए संसद में विधेयक पेश किया गया है ताकि उनकी मुक्त आवाजाही सुनिश्चित हो सके तथा किसानों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हो सके।

67. **जैव प्रौद्योगिकी:** आनुवंशिक रूप से रूपांतरित सस्यों और बीजों को जारी करने, आयात करने और उनके निर्गम के बाद की कार्रवाई (पोस्ट-रिलीज) के लिए शीर्ष प्राधिकरण के रूप में राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण की स्थापना की जा रही है। साथ ही गुणवत्ता नियंत्रण के लिए राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ किया जाएगा।

68. **बागवानी:** प्रौद्योगिकी आधारित सामूहिक उपागम और स्थान आधारित क्षेत्रीय रूप से पृथक कार्यनीति के माध्यम से पश्च और अग्र संपर्क युक्त बागवानी के समग्र विकास के लिए मई, 2005 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन प्रारंभ किया गया। अधिकांश राज्यों ने वार्षिक कार्य योजना तैयार की हैं और इसका अनुमोदन प्राप्त किया है।

69. **कपास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन:** कपास के उत्पादन में वृद्धि और इसके लिए कीटनाशी के उपयोग में कमी के संदर्भ में मिशन को परिणाम मिलने लगे हैं। 1200 करोड़ रुपये के निवेश से 96 बाजार स्थल विकसित किए गए और 369 ओटाई और संपीड़न (प्रेसिंग) कारखानों का आधुनिकीकरण किया गया है और मार्च, 2007 तक शेष 185 बाजार स्थलों और 644 ओटाई और संपीड़न कारखानों का आधुनिकीकरण पूरा करने का लक्ष्य है। इससे कपास के आयात में कमी आई है।

70. **पशुपालन:** सरकार पशुधन और पशुधन उत्पादों में गुणात्मक सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय पशुधन नीति तैयार कर रही है। आनुवंशिक रूप से मवेशी और भैंसों को उन्नत करने की आवश्यकता को समझते हुए और राष्ट्रीय मवेशी और भैंस प्रजनन परियोजनाओं की पूर्ववर्ती उपलब्धियों को समेकित करते हुए प्रजनन नेटवर्क को मजबूत करने, क्षीयमान देशी नस्लों के संरक्षण, किसान संगठनों और प्रजनक समितियों की स्थापना करने और अधिक प्रभावी विस्तार नेटवर्क के सृजन के लिए सरकार राष्ट्रीय मवेशी और भैंस प्रजनन परियोजना के दूसरे चरण को अंतिम रूप दे रही है।

71. **बीमा:** कृषि कार्यों में शामिल जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के कार्य क्षेत्र में विस्तार किया गया है। बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए) ने व्यष्टि बीमा (माइक्रो इंश्योरेंस) के लिए विनियमों का मसौदा प्रकाशित किया है और गैर-सरकारी संगठनों, स्वरोजगार ग्रुपों (एस एच जी), सहकारी समितियों और व्यष्टि वित्तीयन संस्थानों को लघु बीमा एजेंट बनने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। सरकार व्यष्टि बीमा के संवर्धन के लिए बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण को सहायता देगी। सरकार ने मवेशी-पालकों को अपने संकर और अधिक दूध देने वाले मवेशियों और भैंसों का बीमा कराने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते लगभग सौ जिलों में पशुधन बीमा की एक नई केंद्र प्रायोजित योजना का अनुमोदन किया है। सरकार बीमा किस्त पर 50% की आर्थिक सहायता (सब्सिडी) दे रही है।

72. **मत्स्य पालन:** अपने देश में मछली उत्पादन की अपार संभावना को देखते हुए सरकार राष्ट्रीय मत्स्यपालन विकास बोर्ड की स्थापना कर रही है।

73. **विस्तार:** 252 जिलों को शामिल करते हुए व्यापक स्तर पर कृषि विस्तार सुधार के लिए राज्य सरकारों को आवश्यकता आधारित सहायता देने हेतु वर्ष 2005 में शुरू किए गए विस्तार सुधार के वास्ते राज्य विस्तार कार्यक्रमों की सहायता संबंधी योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय मानव संसाधन विकास संस्थानों को चिन्हित किया गया है। जिलों में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसियों का गठन किया गया है। राज्य विस्तार कार्य योजनाओं को अनुमोदित कर दिया गया है और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के भागीदारी प्रयासों का प्रायोगिक परीक्षण किया जा रहा है।

74. **अनुसंधान:** वर्ष 2003-04 में कृषि अनुसंधान के लिए 775 करोड़ रुपये का बजट आबंटित किया गया था जिसे वर्ष 2005-06 में बढ़ाकर 1150 करोड़ रुपये कर दिया गया। कृषि क्षेत्र में मूलभूत और कार्यनीतिगत अनुसंधान के लिए 50 करोड़ रुपये परिव्यय की राष्ट्रीय निधि को अनुमोदन दिया गया है। राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से संबंधित संस्थानों में आधारिक संरचना को मजबूत करने के लिए 199 करोड़ रुपये की परियोजना की मंजूरी दी गई है। बाजार, गरीबी और उत्पादकता से संबंधित अनुसंधान के लिए 1190 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना प्रारंभ की गई है। वर्ष 2007 तक सभी 578 ग्रामीण जिलों में कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की जाएगी। कृषि और संबंद्ध क्षेत्रों में सूक्ष्मजीवों के अनुप्रयोग से संबंधित परियोजना को भी अनुमोदित किया गया है।

75. **भंडारण और विपणन:** अक्तूबर, 2004 में सरकार ने ग्रामीण गोदामों के निर्माण के लिए पूंजीगत सब्सिडी उपलब्ध कराने की व्यापक पात्रता मुक्त संशोधित ग्रामीण भंडारण योजना स्कीम प्रारंभ की है। विपणन, श्रेणीकरण और मानकीकरण के लिए आधारित संरचना के विकास के लिए पूंजीगत सब्सिडी उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2005 में कृषि उपज विपणन समिति अधिनियम में सुधार से संबंधित एक नई स्कीम प्रारंभ की गई है।

76. **शिक्षा:** सरकार ने कृषि शिक्षा को सुदृढ़ करने और इसके विकास के लिए एक नई स्कीम प्रारंभ की है जिसके लिए 804 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है - 34 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, पांच मानित विश्वविद्यालयों और तीन केंद्रीय विश्वविद्यालयों का विकास करना और उन्हें सुदृढ़ करना। ग्रामीण जागरूकता कार्य अनुभव कार्यक्रम का संचालन, अनेक प्रोत्साहन योजनाएं लागू करना, जम्मू में शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना करना आदि। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय को 100 करोड़ रुपये के विशेष अनुदान देने की घोषणा की गई है जो कि एक उत्कृष्ट संस्थान है।

77. **सहकारी समिति:** सरकार जल्द ही संसद में सहकारी समिति से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पेश करने जा रही है। इस विधेयक में दिए गए उपबंधों में सहकारी समितियों के प्रबंधन को सदस्यों के प्रति जवाबदेह बनाने, राज्य द्वारा किए जाने वाले हस्तक्षेप को नियंत्रित करने, प्रबंधन द्वारा किए जाने वाले शक्तियों के दुरूपयोग को रोकने और लोकतांत्रिक समिति के रूप में सहकारी समितियों के कार्य में बेहतर पारदर्शिता लाने के मुद्दों को शामिल किया गया है।

78. **उर्वरक:** सरकार उर्वरकों के निरंतर उपयोग पर ध्यान केंदित करने के लिए जैव उर्वरक संबंधी नीति के साथ-साथ सभी उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय उर्वरक नीति तैयार कर रही है।

79. **गन्ने से संबंधित बकाया राशि:** सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप वर्ष 2002-03 के गन्ने के मौसम के लिए गन्ने से संबंधित बकाया राशि के एक बड़े हिस्से को परिसमाप्त किया गया है। पैकेज अपनाने वाली राज्य सरकारों, नामतः, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश को अतिरिक्त बाजार ऋण लेने तथा इसके लिए केवल 4% वार्षिक की उच्चतम दर से अधिक दर पर ब्याज लागत को शामिल करने की अनुमति के रूप में केन्द्र से कुल 816 करोड़ रुपये की एक मुश्त वित्तीय सहायता दी गई है। चीनी मिलों को इस निम्न दर पर ऋण दिया गया और ऋण अदायगी की अवधि 10 वर्ष निर्धारित की गई और उन्हें 5 वर्षों के लिए ऋण अदायगी से छूट भी दी गई।

- **भारत निर्माण के अंतर्गत वर्ष 2009 तक एक करोड़ हैक्टेयर भूमि के लिए नई सिंचाई सुविधा।**
- **टपकन और छिड़काव (ड्रिपिंग व स्प्रिंक्लर) सिंचाई के लिए स्कीम प्रारंभ की गई।**
- **वर्षा सिंचित क्षेत्र में जल संसाधन प्रबंधन के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण की स्थापना की जा रही है।**
- **ग्रामीण आधारिक संरचना विकास निधि को पुनः बहाल किया गया और उसका विस्तार किया गया।**
- **तीन वर्षों के भीतर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लक्षित ऋण को दुगुना किया जाएगा।**
- **निम्न मूल्य अल्पावधि ऋण के लिए मार्जिन/संपापार्श्वि की आवश्यकता को हटा दिया गया।**
- **बैंक ऋण में वृद्धि के लिए गोदाम रसीदों को परक्राम्य लिखत बनाने के लिए विधेयक संसद में पेश।**
- **वर्ष 2005-06 कृषि मौसम के लिए 1700 करोड़ रुपये की अल्पावधि ऋण राहत।**
- **वर्ष 2006-07 कृषि मौसम से 7% की दर पर सस्ता ऋण।**
- **अप्रत्याशित रूप से लाखों एस एच जी (स्वरोजगार ग्रुपों) को ऋण सुविधा दी गई।**
- **लघु-वित्तीयन सेक्टर के लिए सांविधिक ढांचा उपलब्ध कराने के लिए विधेयक लाया जा रहा है।**
- **नाबार्ड एस एच जी के माध्यम से फार्म उत्पादन और निवेश गतिविधियों के लिए पृथक ऋण नीति प्रारभ करेगा।**
- **दो वर्षों में 1 1/2 करोड़ से अधिक नए ऋण ग्राही शामिल किए गए।**
- **15000 करोड़ रुपये से अधिक कृषक ऋण का पुनर्विन्यास किया गया।**
- **प्रत्येक किसान परिवार को ऋण उपलब्ध कराने की योजना तैयार करने के लिए वित्तीय समावेश समिति का गठन।**
- **अल्पावधि ग्रामीण सहकारी ढांचे को पुनर्जीवित करने के लिए 13,596 करोड़ रुपये का पैकेज**
- **वैट के अंतर्गत एकीकृत बाजार का सृजन।**
- **कृषि उपज विपणन समिति अधिनियम में संशोधन** करने के लिए 14 को छोड़कर शेष राज्य/संघराज्य क्षेत्र सहमत।
- **कृषि उपज के निर्यात पर उपकर समाप्त।**
- **आनुवंशिक रूप से रूपांतरित सस्यों और बीजों के लिए राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण की स्थापना की जा रही है।**
- पशुधन/उत्पादों में गुणात्मक सुधार के लिए राष्ट्रीय पशुधन नीति तैयार की जा रही है।
- राष्ट्रीय मत्स्यपालन विकास बोर्ड का गठन किया जा रहा है।
- राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और आई सी ए आर संस्थानों में आधारिक संरचना को मजबूत किया जा रहा है।
- **वर्ष 2007 तक सभी ग्रामीण जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना।**
- कृषि विज्ञान अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना प्रारंभ की गई है।
- सहकारी समितियों के कार्य में सुधार के लिए संविधान संशोधन विधेयक लाया जा रहा है।
- **राष्ट्रीय बागबानी मिशन प्रारंभ।**
- उर्वरक के संतुलित उपयोग और निरंतर कृषि के लिए जैव उर्वरक के उपयोग संबंधी नीति तैयार
- विस्तार, कृषि शिक्षा, भंडारण, विपणन, आधारिक संरचना, **पशुधन बीमा** के लिए स्कीम प्रारंभ।
- गन्ने से संबंधित पुरानी बकाया राशि का भुगतान किया गया।

XII. आपदा प्रबंधन

80. **दीर्घावधि पुनर्वास और पुनर्गठन के लिए सहायता:** सामान्यत: क्षतिग्रस्त आधारिक संरचना के दीर्घावधि पुनर्वास और पुनर्गठन पर होने वाले व्यय की पूर्ति राज्य सरकारें अपने योजनागत संसाधनों से करती हैं, किंतु स्थिति की गंभीरता और धन की आवश्यकता के अनुसार दीर्घावधि पुनर्वास और पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने भी अपेक्षित वित्तीय सहायता का प्रावधान रखा है।

81. **सुनामी पीड़ितों के लिए राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण:** सरकार ने सुनामी-प्रभावित क्षेत्रों के लिए 3,644 करोड़ रुपये के राजीव गांधी पुनर्वास पैकेज को मंजूरी दे दी है ताकि मत्स्य उद्योग और कृषि क्षेत्र के पुनर्वास, अस्थायी आश्रयों के निर्माण, अवसंरचना की मरम्मत/नवीकरण, अनाथों, अविवाहित युवतियों, विधवाओं और अशक्त व्यक्तियों को विशेष राहत देने के लिए राज्यों और संघ क्षेत्रों को तत्काल सहायता प्रदान की जा सके और संबंधित कार्रवाई की जा सके। सरकार ने चार वर्ष में पूरे किए जाने वाले 9,870 करोड़ रुपये के परिव्यय के सुनामी प्रभावित क्षेत्रों के दीर्घावधि पुनःनिर्माण कार्यक्रम को भी मंजूर कर दिया है जिसमें राजीव गांधी पैकेज के अंतर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पूर्वनिर्धारित 1,607 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है। इससे आजीविका, पत्तन और पोत घाट (जेटी), सड़कें और पुल, विद्युत जल और मल निकास, सामाजिक अवसरंचना और कल्याण पर्यावरणीय और तटीय सुरक्षा, पर्यटन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में पुनर्गठन किया जा सकेगा। इसके अलावा, सुनामी की पूर्व चेतावनी के लिए भी एक प्रणाली विकसित की जा रही है।

82. **बाढ़ के बाद राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण:** वर्ष 2005 में, बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित राज्यों को विस्तृत मूल्यांकन प्राप्त किए बिना 3,151 करोड़ रुपये की राशि की लेखागत अदायगी की गई। वर्ष 2005-06 में आपदा सहायता निधि से केंद्र के योगदान के रूप में 2,671 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई और नियत प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एन सी सी एफ) से 2,771 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। इसके साथ ही भारत सरकार ने बचाव और राहत कार्यों के लिए सशस्त्र और अर्धसैन्य बल भेजे, महामारियों से बचाव के लिए आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराईं, अनिवार्य वस्तुओं और पेट्रोल उत्पादों के अतिरिक्त स्टॉक पहुँचाए, और मंत्रालयों/विभागों/पत्तन एजेंसियों, सड़क परिवहन और राजमार्ग, दूरसंचार, विद्युत, पेयजल आपूर्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सीमा सड़क संगठन के माध्यम से क्षतिग्रस्त मूलभूत सुविधाओं की तत्काल मरम्मत और उनका पुनर्गठन कराया। आपदा की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने भी दीर्घावधि पुनर्वास और पुनर्गठन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का निश्चय किया और राज्यों से उनकी विस्तृत योजना 1 जून 2006 तक प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

83. **जम्मू-कश्मीर भूकंप पीड़ितों के लिए राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण:** भारत सरकार ने सर्दी शुरू होने से पहले ही भूंकप प्रभावित परिवारों को आश्रय उपलब्ध कराने के लिए सहायता प्रदान की और राज्य सरकार को वायु, रेल तथा सड़क मार्ग से राहत सामग्री भिजवाई जिसमें शिविर सामग्री, कंबल, गद्दे, स्लीपिंग बैग, गरम कपड़े, दवाइयां, चीनी, पेयजल और पोषण/अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाले पूरक खाद्य-पदार्थ आदि शामिल थे। सरकार की विभिन्न एजेंसियों ने राहत, पुनर्वास और पुनर्गठन कार्य के लिए 23 गांवों की जिम्मेदारी ले ली है। भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों और राज्य सरकार के माध्यम से कुल 745 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध कराई गई है। दीर्घावधि पुनर्गठन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्य किया जा रहा है।

84. **सूखा-पीड़ितों के लिए राहत:** वर्ष 2004-05 और 2005-06 में सूखे से राहत के लिए दस राज्यों को राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से 935 करोड़ रुपये की सहायता राशि और 3,200 करोड़ रुपये की खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई गई।

85. **नीति संबंधी प्रयास:** आपदा प्रबंधन, 2005 को अधिनियमित किया गया है और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है।

- दीर्घावधि पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए भी वित्तीय सहायता।
- सुनामी-प्रभावित लोगों को राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान की गई ; 11,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि संस्वीकृत
- बाढ़ पीड़ितों को राहत के लिए राज्यों को 5000 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता, पुनर्गठन के लिए भी सहायता दी जा रही है।
- जम्मू कश्मीर में भूकंप के बाद राहत और पुनर्निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर सहायता।
- सूखा राहत के लिए राज्यों को 4,000 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता
- आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया गया और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई।

XIII. जल प्रबंधन

86. **जल संरक्षण के लिए जन-आंदोलनः** अपेक्षित जल संरक्षण के लिए शीघ्र ही पंचायत स्तर की निधियों के प्रयोग से जल संरक्षण का एक जन आदोलन आरंभ किया जाएगा, जिसकी कम से कम लागत भी कई हजार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष होगी।

87. **शुष्क भूमि खेती संबंधी पहलः** वर्षा सिचिंत क्षेत्रों में जल संसाधनों के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए एक राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण की स्थापना की जा रही है।

88. **जलाशयों की मरम्मत, नवीकरण और पुनर्स्थापनाः** किसानों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले जलाशयों की मरम्मत, नवीकरण और पुनर्स्थापना के लिए, विशेषकर शुष्क भूमि पर, दूरस्थ व जनजातीय क्षेत्रों में, 2005-06 में एक राष्ट्रीय परियोजना का आरंभ किया गया है ताकि जलाशयों की भरण क्षमता को बढ़ाया जा सके और उनकी खोई हुई अथवा अप्रयुक्त सिंचाई क्षमता को पुनः स्थापित किया जा सके। इसका आरंभ 13 राज्यों के 23 जिलों की प्रायोगिक परियोजना से किया गया है। वर्ष 2006-2007 के प्रथम चरण में इस कार्य के लिए 1.47 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में व्याप्त 20,000 जलाशयों का निर्धारण किया गया है। इसकी अनुमानित लागत 4,481 करोड़ रुपये है।

89. **जलविभाजक (वाटर-शैड) विकासः** जल विभाजकों के विकास के लिए डी पी ए पी और आई डब्ल्यू डी पी, दो कार्यक्रमों को एक साझा नेतृत्व के अंतर्गत लाया गया है।

90. **छतों से वर्षाजल संचयनः** राज्यों से कहा गया है कि वे नगरपालिकाओं को निदेश दें कि वर्षाजल संचयन को स्थानीय निकायों के डिजाइन अनुमोदनों का हिस्सा बना लें। दस राज्यों ने वर्षा जल संचयन पर कार्य किया है और/अथवा नगरपालिका अथवा निर्माण कानूनों में संशोधन किया है।

91. **बाढ़ प्रबंधनः** यह राज्यों के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है किंतु केंद्र उनकी सहायता कर रहा है। बाढ़ से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों में एक कार्यदल के अल्पावधि व दीर्घावधि उपाय परिचालित किए गए हैं। भूक्षरणरोधी कार्यों के तत्काल कार्यान्वयन के लिए फरक्का बैराज के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया गया है और अन्य उपाय अनुमोदन व कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं। इसमें शामिल राज्यों के बीच प्रस्तावित उत्तरपूर्वी जल संसाधन प्राधिकरण के लिए सहमति उत्पन्न करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

92. **नदियों को परस्पर जोड़नाः** केन और बेतवा नदियों को परस्पर जोड़ने के लिए मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच करार किया गया है। इन दो नदियों को जोड़ने के कार्य से शुरू होकर प्रायद्वीपीय नदियों को परस्पर जोड़ने के लिए भी कार्य आरंभ किया जा चुका है।

- **जल संरक्षण के लिए जन आंदोलन शीघ्र ही आरंभ किया जाएगा।**
- **जलाशयों की मरम्मत, नवीकरण और पुनर्स्थापना की राष्ट्रीय परियोजना का तीव्रीकरण**
- **राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण की स्थापना**
- राज्यों को बाढ़ प्रबंधन के लिए सहायता
- **उत्तर पूर्वी जल संसाधन प्राधिकरण:** शामिल राज्यों के बीच सहमति का प्रयास।
- **नदियों को परस्पर जोड़ने की पहली परियोजना के करार पर हस्ताक्षर**

XIV. पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण

93. **नीति संबंधी प्रयास:** शीघ्र ही एक नई पर्यावरण नीति को अपनाया जाएगा। और इसके तुरंत बाद उपयुक्त नीति सुरक्षा और हस्तक्षेपों के माध्यम से विविध जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय जैव विविधता नीति और कार्ययोजना को अपनाया जाएगा।

94. **वन्यजीवन संरक्षण:** सरकार ने राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड को सक्रिय बनाया है और बाघ परियोजना के प्रबंधन में सुधार लाने के लिए एक बाघ कार्य दल का गठन किया है। इस कार्यदल की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना की जा रही है और संसद के सामने एक राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है।

95. **निर्बाध विकास तंत्र:** निर्बाध विकास तंत्र में भारत सबसे आगे है और कई निजी क्षेत्र की परियोजनाएं आरंभ की गई हैं। इस तंत्र के अंतर्गत परियोजनाएं विकसित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों को प्रोत्साहित करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। परियोजना डिजाइन दस्तावेज तैयार करने के लिए पांच राज्य स्तर के संगठनों की संस्थागत क्षमता का विकास किया जा रहा है। एक परामर्श समूह का गठन करके उद्योग से नियमित परामर्श आरंभ किए गए हैं।

96. **प्रक्रियाओं और अधिसूचनाओं की समीक्षा:** तटीय क्षेत्रों के सुरक्षोपायों के लिए तटीय विनियमन जोन अधिसूचना की व्यापक रूप से समीक्षा की गई है। यहां नियामक ढांचे से हटकर वैज्ञानिक सिद्धातों पर आधारित प्रबंधन ढाँचे में आने की आवश्यकता है ताकि विनियमन के अतिरिक्त शिक्षा सामाजिक गतिशीलता और समान विकास संबंधी कार्य किए जा सकें। पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण अधिसूचना, 1994 की समीक्षा की जा रही है ताकि विकास और संरक्षण के हितों को संतुलित किया जा सके। समय सीमा को कम करने के लिए पर्यावरण संबंधी अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को पुनर्गठित किया गया है। पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने की अच्छी कार्यप्रणाली के संबंध में सुविस्तृत अनुदेश दिए गए हैं। सभी विनियामक प्रक्रियाओं को पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत लाने के उद्देश्य से प्रचालन संबंधी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इस प्रकार की अच्छी कार्यप्रणाली और प्रचालन संबंधी दिशानिर्देशों से प्रक्रिया को समयबद्ध बनाया जा रहा है और ऐसा मामलों पर विचार करने के मानक नियत करके, बैठकों के लिए तारीखें निर्धारित करके और विनियामक की बैठकों के लिए तारीखें निर्धारित करके, अनावश्यक विलंब को दूर करके और मामले की व्यक्तिगत प्रस्तुति के माध्यम से आवेदकों को शामिल करके किया जा रहा है।

97. **जनता के माध्यम से संरक्षण:** जनता के माध्यम से संरक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार कर रही है। इसके अंतर्गत स्थानीय समुदायों की बहुपणधारी भागीदारी, भू-स्वामित्व एजेंसियों और राज्य वन विभागों, दसवीं और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान वन सीमा पर बसे सभी 1.7 लाख गांवों में संयुक्त वन प्रबंधन के सर्वव्यापीकरण और वनेतर भूमि पर उगाई लकड़ी को काटने और भेजने पर प्रतिबंधों की संकल्पना की गई है।

98. **खनन क्षेत्रों को कृषि योग्य बनाना और उनमें सुधार करना:** खनन संबंधी कानून में संशोधन किए गए हैं ताकि खनन क्षेत्रों में खनन कार्य बंद होने के पश्चात उन्हें कृषि योग्य बनाने व उनमें सुधार के लिए खानों के अंतिम व एक के बाद एक बंद किए जाने की एक स्कीम बनाई जा सके।

- **नई पर्यावरणीय नीति और राष्ट्रीय जैवविविधता नीति और कार्ययोजना शीघ्र अपनाई जाएंगी।**
- **राष्ट्रीय वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो** की स्थापना
- संसद के समक्ष राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का प्रस्ताव रखा गया।
- निर्बाध विकास तंत्र के अंतर्गत कई परियोजनाएं आरंभ।
- तटीय विनियमन जोन अधिसूचना की समीक्षा।
- पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण अधिसूचना,1994 की समीक्षा।
- समय सीमा कम करने के लिए पर्यावरण संबंधी अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया का पुनर्गठन।
- जनता के माध्यम से राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की जा रही है।
- खान क्षेत्र में खनन कार्य बंद होने के बाद क्षेत्र को कृषि योग्य बनाने और पुनर्स्थापित करने के लिए कानून संशोधित।

XV. शासन संबंधी सुधार और नागरिक समाज को सशक्त करना

99. **प्रशासन संबंधी सुधार:** सभी स्तरों पर सरकारी तंत्र की व्यापक समीक्षा के लिए दूसरे प्रशासन सुधार आयोग का गठन किया गया और उसने अपना कार्य आरंभ कर दिया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की जवाबदेही और क्षमता में सुधार के लिए नई व्यवस्था की गई है। इनमें कार्य मूल्यांकन रिपोर्टों, पदोन्नतियों, अनिवार्य मध्य कैरियर प्रशिक्षण और अग्रणी व्यक्तियों के समूह द्वारा अनिवार्य मध्य कैरियर स्क्रीनिंग (छानबीन) और संवीक्षा शामिल है। सरकार लोक सेवाओं के संबंध में एक विधान लाने वाली है जिसमें लोक सेवा मानक, मूल्य संहिता और नीतिशास्त्र, निर्णय लेने वालों को सुरक्षा प्रदान करने, निष्पादन, प्रबंधन आदि के लिए प्रावधान होंगे। सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों को चुनने के लिए केंद्रीय लोक सेवा उपक्रमों, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और बीमा कंपनियाँ भी शामिल हैं, के बोर्डों में नियुक्ति के क्षेत्र का विस्तार करना होगा। विकेंद्रीकरण, सरलीकरण, पारदर्शिता, जवाबदेहिता और ई-शासन के संदर्भ में कई मंत्रालयों/विभागों में संस्थागत सुधार किए गए हैं।

100. **सूचना का अधिकार अधिनियम:** जनता को सरकार की कार्यप्रणाली की जानकारी देने के लिए सरकार ने एक ऐतिहासिक विधान तैयार किया ताकि सरकार की कार्यप्रणाली में सभी स्तरों पर पारदर्शिता बनी रहे। यह एक व्यापक अधिनियम है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें, पंचायती राज संस्थाएं, स्थानीय निकाय और सरकारी अनुदान प्राप्तकर्त्ता शामिल हैं। इससे जनता को कुछ के अतिरिक्त सभी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है और इससे उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, यदि सूचना प्राप्ति से होने वाले लाभ सूचना के प्रकटीकरण से होने वाले नुकसान से ज्यादा हों। अब भ्रष्टाचार आरोप अथवा मानवाधिकार हनन के मामलों में सुरक्षा एजेंसियों को भी सूचना उपलब्ध करानी होगी। इससे सरकारी एजेंसियों पर स्वतः सूचना उपलब्ध कराने की बाध्यता भी है, जिससे प्राप्ति की लागत कम हो जाएगी। केंद्र और राज्य सूचना आयुक्तों के रूप में स्वतंत्र अपील तंत्र और सूचना संबंधी वृहत प्रकटीकरण दायित्वों व कठोर दंडों ने इस अधिकार को अतिरिक्त शक्ति प्रदान की है और बेहतर शासन का एक सशक्त माध्यम बना दिया है।

101. **ई-शासन:** राष्ट्रीय ई -शासन योजना तैयार की गई है। इसमें 26 मिशन मोड परियोजनाएं हैं जिनमें से कुछ लगभग समाप्त हो चुकी हैं। मार्च 2006 मे प्रधानमंत्री द्वारा आरंभ 'MCA-21' मिशन मोड परियोजना के अंतर्गत कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत विभिन्न सेवाओं के लिए सरल व सुरक्षित ऑन लाइन एक्सेस प्रदान की गई है; इसमें दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग और कॉर्पोरेट सूचना तक जनता की पहुँच शामिल है। एक अन्य मिशन मोड परियोजना के अंतर्गत हमारे कई राजनयिक मिशनों में आवेदनों की ऑन -लाइन प्रस्तुति की सुविधा आरंभ की गई है, सभी 30 पासपोर्ट कार्यालयों में कंप्यूटर लगा दिए गए हैं और मशीन ग्राह्य पासपोर्ट जारी करने का सभी नेमी कार्य इलेक्ट्रॉनिकली किया जा रहा है। स्थायी लेखा संख्या (पैन) की जानकारी के लिए, नाम, पते, स्थायी लेखा संख्या/अस्थायी लेखा संख्या सहित प्रिंटेड चालान डाउनलोड करने के लिए, कर अदायगी की पुष्टि के लिए, 'स्रोत पर कर कटौती की जानकारी के लिए इंटरनेट पर सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आयकर की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए एक स्कीम अधिसूचित कर दी गई है और ई-माध्यमों का रजिस्ट्रेशन और विवरणियों की ई-प्रस्तुति आरंभ हो गई है। शीघ्र ही आयकर से संबंधित शिकायतों को भी इंटरनेट माध्यम से प्रस्तुत करने की सुविधा आरंभ कर दी जाएगी। दिसंबर 2007 तक 'इंडिया पोर्टल ' सभी सरकारी विभागों की सूचना और सेवाओं के इंटरनेट एक्सेस एक मात्र 'स्रोत भी आरंभ हो जाएगा। 2007 तक सभी राज्यों में स्टेट-वाइड एरिया नेटवर्क (SWAN) भी तैयार हो जाएंगे। मार्च 2006 तक 22 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के एस डब्ल्यू ए एन (SWAN) प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई थी, इन पर कुल निवेश 1,428 करोड़ रुपये था। दिसंबर 2007 तक एक राष्ट्रीय डाटा बैंक और राज्य स्तर के डाटा केंद्र भी आरंभ हो जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लाभ उपलब्ध कराने के लिए और जन सेवा प्राप्ति के केंद्र बनाने के लिए शीघ्र ही ग्राम स्तर पर सार्वजनिक सेवा केंद्र स्थापित करने की स्कीम आरंभ की जा रही है। निजी क्षेत्र की क्षमताओं को राष्ट्रीय ई-शासन प्रयास में शामिल करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस की स्थापना की गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति के समग्र निर्देशों के अंतर्गत 13,348 जिला व अधीनस्थ न्यायालयों को कंप्यूटरीकृत करने की स्कीम अलग से आरंभ की गई है।

102. **आपराधिक न्याय तंत्र में सुधार:** न्याय तंत्र और प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने, अभियोजन तंत्र को सशक्त करने, प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाने और उसमें सुधार लाने के लिए विशेष रूप से विचाराधीन न्याय प्रक्रिया के शीघ्र निपटान के लिए, विचाराधीन व्यक्तियों की समस्याओं को निपटाने और जमानत देने से संबंधित मामलों को सशक्त करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। महिलाओं को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार किए जाने पर निषेध, गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा नामित व्यक्ति को, उसकी गिरफ्तारी के बारे में तथा गिरफ्तार व्यक्ति को कहां रखा गया है इस संबंध में सूचना प्रदान करने की पुलिस के लिए अनिवार्यता, पुलिस अभिरक्षा के दौरान व्यक्ति की मृत्यु, गायब होने या बलात्कार के मामले में अनिवार्य न्यायिक जाँच, रोके जाने की अवधि अभिकथित अपराध के लिए अधिकतम कारावास की अवधि के आधी से अधिक हो जाने पर मुचलके पर विचारणाधीन व्यक्ति को छोड़ा जाना, अभियोजन निदेशालय की स्थापना करना, प्रतिवादी और अभियोजन के बीच पूर्व-विचारण चर्चाओं के माध्यम से तर्क आधारित समझौता (प्ली बार्गेनिंग) और गवाह को धमकी देने के लिए दंड का उपबंध करना विशेष सुधारों में शामिल है। पक्षद्रोही गवाहों से संबंधित चिंताओं के समाधान, गवाहों के संरक्षण और पीड़ितों को प्रतिपूर्ति दिए जाने के नए उपाय करने पर विचार किया जा रहा है।

103. **न्यायिक सुधार:** सरकार न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या और उनके निर्णय में लगने वाले समय को कम करने, छोटे-मोटे अपराधों को अपराधों की कोटि से बाहर करने, तंत्र की जबावदेही को सुदृढ़ करने, त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए आधारिक स्तर पर सिविल एवं दांडिक न्याय करने के लिए स्थानीय न्यायालयों (ग्राम न्यायालयों) की प्रणाली स्थापित करने हेतु स्थानीय न्यायालय विधेयक पेश किए जाने के लिए न्यायिक सुधार संबंधी अनेक उपाय करेगी।

104. **लोक पाल विधेयक:** मंत्रियों का एक समूह विधेयक के मसौदे पर विचार-विमर्श कर रहा है।

105. **निर्वाचन सुधार:** सरकार ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीच चुनाव खर्च के आंशिक खर्च के वित्तपोषण विषय पर सहमति जुटाने की दृष्टि से, भारत निर्वाचन आयोग से यह अनुरोध किया है कि वह मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों से विचार-विमर्श करके, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और उनके प्रत्याशियों को उनके चुनाव खर्च के आंशिक वित्तपोषण, वस्तु के रूप में प्रदान की जाने वाली विभिन्न मदों की मात्रा और वितरण योजना के बारे में सिफारिश करे। आयोग राजनीतिक दलों से विचार-विमर्श करके आगे कदम उठा रहा है। आयोग ने भी प्रस्तावों की एक सूची और उन कार्रवाई योग्य बिंदुओं के बारे में, औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है।

106. **काले धन को नियंत्रित करना:** यह आशा की जा रही है कि बैंकिंग नकद लेन-देन कर की उगाही, अनजान व्यक्तियों से फर्जी उपहारों को रोकने के लिए प्रतिबंध, कुछ अतिरिक्त क्षेत्रों में स्रोत पर कर कटौती/संग्रहण के लिए व्यवस्था, कर-वंचन के आशय से गलत प्रविष्टियां करने और मिथ्या वाउचर आदि जारी करने पर कारावास और जुर्माने के साथ दंडनीय बनाना, कुछ विवरणियों को फाइल करने की अनिवार्यता से काले धन की वृद्धि पर रोक लगाई जा सकेगी।

107. **सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को स्वायत्तता:** केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रशासन को सरल बनाने के लिए इनसे संबंधित 762 दिशा-निर्देश वापस ले लिए गए हैं और अन्य अनेक दिशा-निर्देश आशोधित या आमेलित कर दिए गए हैं। सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के सफल उद्यमों को अधिक प्रबंधकीय और वाणिज्यिक स्वायत्ता प्रदान की है। सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश के संबंध में तथा मानव संसाधन प्रबंधन से संबंधित शक्तियों को प्रत्यायोजित करने के लिए नवरत्न और मिनीरत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की शक्तियों को बढ़ाया गया है। सरकार ने नवरत्न और मिनीरत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को आमेलन और अर्जन के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं तथा नवरत्न और मिनीरत्न की हैसियत बनाए रखने की सरकारी गारंटी की शर्तों में छूट प्रदान की है। मिनीरत्न और अन्य लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए पूँजी व्यय करने की शक्तियां बढ़ाई गई हैं और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को नवरत्न वर्ग में शीघ्रता पूर्वक शामिल करने/इनसे बाहर करने के लिए तंत्र सृजित किया गया है।

108. **बैंक:** प्रबंधकीय स्वायत्तता के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। बैंकिंग में उदार परिवेश तथा साथ ही साथ समुचित सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 के अनेक संशोधन लागू करने के लिए एक विधेयक संसद में पेश किया गया है ताकि भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) को इस बात के लिए सशक्त किया जा सके कि वह अंतरराष्ट्रीय स्तर की सर्वोत्तम पद्धतियों के समान बैंकिंग क्षेत्र को समुचित ढंग से विनियमित और पर्यवेक्षित कर सके। नए शासन-मानक अपनाने वाले और सुविज्ञ विनियमों से बद्ध आर आर बी अपनी पुनर्संरचना के लिए सरकार से निधियां प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। आर आर बी के समेकन के लिए आर आर बी अधिनियम,1976 के अधीन अधिसूचनाएं जारी की जा चुकी हैं और कुछ आमेलन अनुमोदित कर दिए गए हैं। अल्कालिक ग्रामीण सहकारी संरचना को पुनर्जीवित करने के लिए लगभग 13,596 करोड़ रुपये का एक पैकेज वित्तीय पुनर्संरचना को कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी

बैंकों के तुलन-पत्रों का शोधन तथा उनके पूँजी आधारों को दृढ़ करके उनकी वित्तीय लाभप्रदता को स्वीकार्य स्तर तक लाया जा रहा है। बैंककारी लोकपाल स्कीम की सीमा और कार्यक्षेत्र को, जनवरी, 2006 से आर आर बी और अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों सहित सभी बैंकों को शामिल करने के लिए और आन लाइन शिकायत करने की व्यवस्था करने के लिए विस्तारित किया गया है।

109. **भूमि प्रशासनः** भूमि हकदारी के अभिलेखों को स्पष्ट रखने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। विधि आयोग से यह अनुरोध किया गया है कि वह राज्यों के लिए व्यापक भूमि के विधान के लिए मॉडल कानून तैयार करे। भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण के लिए योजना में पूरे देश के अधिकांश जिलों को शामिल कर लिया गया है। भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण के लिए आबंटन को दो-गुना से अधिक कर दिया गया है। सरकार भूमि सर्वेक्षण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए उपाय तैयार कर रही है।

- प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन
- **विभिन्न मानव संसाधन प्रयास,** इसमें पी ए आर और ई पी जी के माध्यम से कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन की अधिक उद्देश्यपरक प्रणालियां, त्वरित पैनल/प्रोन्नतियां, अनिवार्य मध्य-कैरियर प्रशिक्षण, अनिवार्य मध्य-कैरियर स्क्रीनिंग (छानबीन), लोक सेवाओं पर एक कानून, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/बीमा कंपनियों आदि के बोर्डों में नियुक्तियों के लिए अवसर सृजित करना शामिल है।
- **अनेक मंत्रालयों/विभागों में विकेंद्रीकरण, सरलीकरण, पारदर्शिता, जवाबदेही और ई-शासन के रूप में संस्थागत सुधार किए गए हैं।**
- **सूचना का अधिकार** अधिनियम के माध्यम से सिविल समाज को सशक्त बनाया गया है।
- **राष्ट्रीय ई-शासन (ई-गवर्नेंस) योजना** कार्यान्वित की जा रही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस तथा कंपनी मामलों, पासपोर्ट और वीज़ा और आयकर पर परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं। राज्य व्यापी नेटवर्क, राष्ट्रीय पोर्टल, राष्ट्रीय डाटा बैंक, राज्य डाटा केंद्र, नागरिक सेवा केंद्र आदि का प्रारंभ वर्ष 2007 तक होने की आशा है।
- **13,000 से अधिक न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण का कार्य प्रारंभ किया गया है।**
- **मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों तथा उनके प्रत्याशियों के निर्वाचन खर्च के राज्य द्वारा वस्तु रूप में आंशिक वित्तपोषण पर कार्रवाई प्रारंभ करने संबंधी उपाय निर्वाचन आयोग को भेजे गए हैं।**
- **दांडिक न्याय प्रणाली सुधारः** अधिवाक सौदेबाजी (प्ली बार्गेनिंग) प्रारंभ की गई, रात्रि के समय महिलाओं की गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई, गिरफ्तारी पर अधिकारों को कूटबद्ध किया गया, विचाराधीन कैदियों को राहत दी गई, बलात्कार के मामलों में डी एन ए परीक्षण को अनिवार्य बनाया गया, पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु/गायब होने/बलात्कार के लिए न्यायिक जाँच को अनिवार्य बनाया गया, अभियोजन को सुदृढ़ बनाया गया जमानत संबंधी दुरुपयोग पर रोक लगाई गई, गवाह को धमकी देने को दंडनीय बनाया गया, पक्षद्रोही गवाह, गवाह के संरक्षण तथा पीड़ितों को प्रतिपूर्ति देने के लिए नए उपाय करने पर विचार किया जा रहा है।
- लंबित मामलों की संख्या को तथा उनके निर्णय में लिए जाने वाले समय को कम करने के लिए, छोटे-मोटे अपराधों को अपराध की कोटि से बाहर करने के लिए, जवाबदेही को सुदृढ़ करने और स्थानीय न्यायालयों को प्रारंभ करने के लिए **न्यायिक सुधार प्रारंभ किए जाएंगे।**
- काले धन पर अंकुश लगाने के लिए कई उपाय किए गए।
- **केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अधिक स्वायत्तता दी गई है।**
- **ग्रामीण क्षेत्रीय बैकों (आर आर बी) और ग्रामीण सहकारी संरचना को पुनर्जीवित किया और सुदृढ़ बनाया जा रहा है।**
- बैंककारी लोकपाल स्कीम को और व्यापक बनाया गया है इसके लिए आन लाइन शिकायत करने की सुविधा प्रदान की गई है।
- मॉडल भूमि कानून तैयार किया जा रहा है, भूमि प्रशासन को आधुनिक बनाया जा रहा है।

XVI. पंचायती राज

110. **कार्यसूची तैयार करना:** पंचायती राज मंत्रालय ने राज्य पंचायती राज मंत्रियों के साथ पंचायती राज के 18 अभिनिर्धारित आयामों पर सात गोल मेज सम्मेलन पूरे किए हैं और इसमें पंचायती राज के प्रत्येक पहलू के संबंध में 150 सिफारिशें की गई हैं। मंत्रालय ने एक वार्षिक कैंलेंडर तैयार किया है जिसमें सभी राज्यों में होने वाले क्रियाकलापों का मानचित्रण, केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों को पुनः तैयार करना आदि को शामिल किया गया है। अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए मंत्रियों का एक समूह गठित किया गया है तथा इसके विचारार्थ विषयों में वित्तीय अंतरण से संबंधित सिफारिशों के कार्यान्वयन को भी शामिल किया गया है।

111. **पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि:** अभिनिर्धारित पिछड़े जिलों के लिए 3,750 करोड़ रुपये की वार्षिक आबंटन वाली एक ' पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि ' पंचायतों के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी। स्थानीय सरकारी संस्थाओं के माध्यम से जिला-स्तरीय आयोजना और जिला स्तरीय बजटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला योजनाएं तैयार करने को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अधीन निधियां प्राप्त करने के लिए एक पूर्व-शर्त माना गया है।

112. **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अधीन केंद्रीय भूमिका:** ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग में पंचायतों को केंद्रीय भूमिका प्रदान की गई है। कम से कम आधा कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा उनके अधीन रखी गई निधियों का इस्तेमाल करके किया जाएगा।

113. **पंचायतों को स्कीमों का अंतरण:** ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में स्कीमों को पंचायतों में अंतरित करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

114. **प्राकृतिक संसाधन:** सरकार ने पंचायतों के माध्यम से वन रोपण के लिए वृहत कार्यक्रम तैयार करने और पंचायत स्तरीय सामुदायिक वन स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ परामर्श करना प्रारंभ कर दिया है। राज्यों से यह अनुरोध किया गया है कि वे वी ई ई एस ए के अनुरूप अपने नियमों को संशोधित करें और खपत में ग्राम सभाओं/पंचायतों को शामिल करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करें। अनुसूचित क्षेत्रों वाले अधिकांश राज्यों ने ऐसा कर लिया है।

- **सभी पहलुओं पर राज्यों से विचार-विमर्श किया गया और कार्यान्वयन के लिए उनके साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।**
- **पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधियों को पंचायतों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा।**
- **ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में पंचायतों की मुख्य भूमिका।**
- **ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में स्कीमों को पंचायतों को अंतरित करने के लिए कदम उठाए गए हैं।**
- **पंचायत स्तर के सामुदायिक वन स्थापित करने के लिए वृहत कार्यक्रम विचाराधीन है।**

XVII. शहरी नवीकरण

115. **जवाहर लाल नेहरूराष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशनः** जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन दिसंबर, 2005 में प्रारंभ किया गया है तथा इस मिशन में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों, सभी राज्यों की राजधानियों तथा धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने गए कुछ नगरों को शामिल किया गया है। स्वतंत्रता के बाद शहरी विकास के लिए किया गया यह सबसे बड़ा प्रयास है। ऐसा नए निवेश को शासन सुधार में लगाते हुए इन्हें शहरी आधारिक संरचना में व्यापक विकास करने, शहरी गरीबों को आधारभूत सेवाएं प्रदान करने में समर्थ बनाने के लिए किया गया है। यह गरीबों के लिए मूलभूत सेवाओं जैसे आवास, जल-आपूर्ति, सफाई, गंदी बस्ती सुधार, सामुदायिक शौचालय/स्नान घर आदि की व्यवस्था पर विशेष बल देते हुए आधारिक संरचना और सेवाओं के समेकित विकास पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि स्थानिक विकास और आम आदमी के जीवन स्तर मे सुधार, दोनों साथ-साथ किए जा सकें। यह बताया गया है कि केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारें और शहरी स्थानीय निकाय एक साथ मिलकर आगामी सात वर्षों में इस कार्यक्रम के अधीन एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करेंगे।

116. जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन प्रारंभ करने के तीन माह के भीतर ही मिशन में शामिल 63 नगरों में से 8 नगरों ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और नगर स्तरीय सुधारों जैसे गंदी बस्ती सुधार कार्यक्रमों, संसाधन जुटाने के प्रयास, स्टांप शुल्क के युक्तिकरण और इसमें कमी करने, सार्वजनिक प्रकटीकरण, सामुदायिक सहभागिता आदि को प्रारंभ करने का वचन दिया है। अन्य अनेक नगर परियोजना प्रस्तावों तथा नगर विकास योजनाओं को तैयार करने में लगे हुए हैं। 864 करोड़ रुपये लागत वाली 24 परियोजनाओं को आठ नगरों के लिए मंजूरी प्रदान कर दी गई है।

117. **राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीतिः** सरकार ने राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति, 2006 को अपनाया है ताकि शहरी भारत के निवासियों को कार्य, शिक्षा, मनोरंजन और अन्य ऐसी सुख-सुविधाओं के लिए सुरक्षित, पहुँच योग्य, त्वरित, आरामदायक, विश्वसनीय, पोषणीय अभिगमन के लिए इसकी गतिशीलता में सुधार करने के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। यह, वाहनों को न रखकर, व्यक्तियों को शहरी परिवहन आयोजना के केंद्र स्तर पर रखती है। यह 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में एकीकृत महानगरीय परिवहन प्राधिकरण स्थापित करने का सुझाव देती है तथा सभी राज्यों की राजधानियों तथा 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले अन्य नगरों को आम परिवहन प्रणालियां स्थापित करने के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव करती है। यह जवाहर लाल नेहरूराष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अधीन साइकिल मार्गों तथा पैदल पथों में निवेश के लिए प्राथमिकता आधार पर सहयोग का प्रस्ताव करती है। नीति को कार्यान्वित करने की विशिष्ट स्कीमें तैयार की जा रही है और इन्हें शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा, इसके बाद नमूने के रूप में चुने हुए नगरों में पायलट परियोजनाएं प्रारंभ की जाएंगी।

118. **शहरी मेट्रोः** दिल्ली मेट्रो परियोजना के सफल कार्यान्वयन ने अनेक अन्य नगरों में उन्नत शहरी परिवहन के लिए मांग पैदा की है। बेंगलूर मेट्रो परियोजना को 2011 तक पूरा करने के लिए वित्तीय मंजूरी दे दी गई है। मुंबई मेट्रो के लिए योजना विचारण के अंतिम चरण में हैं।

- **जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन** आधारिक संरचना और सेवाओं को विकसित करने, गरीबों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने तथा शासन में सुधार के लिए प्रारंभ किया गया।
- आगामी सात वर्षों में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश।
- आठ शहरों के लिए 864 करोड़ रुपये की 24 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है।
- जन केंद्रित **राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति** अपनाई गईःस्कीमों को शीघ्र कार्यान्वित किया जाना।
- दिल्ली मेट्रो परियोजना सफलता पूर्वक कार्यान्वितः **मुंबई मेट्रो** के लिए योजना विचारण के अंतिम चरण में हैं। **बेंगलूर मेट्रो परियोजना** को 2011 तक पूरा करने के लिए वित्तीय मंजूरी दे दी गई है।

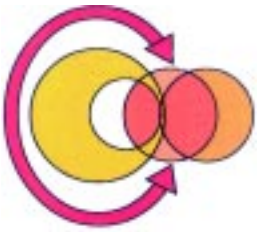

XVIII. केंद्र-राज्य संबंध

119. **सामूहिक विचार-विमर्श:** ऐसे अतिमहत्वपूर्ण मामलों के संबंध में, जिन पर केंद्र और राज्यों द्वारा समन्वित कार्रवाई करना आवश्यक है, सामूहिक रूप से विचार-विमर्श करने तथा आम सहमति और रणनीतियां तैयार करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्रियों के साथ विभिन्न मंचों जैसे राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर-राज्य परिषद, राष्ट्रीय अखंडता परिषद, आंतरिक सुरक्षा तथा कानून और व्यवस्था आदि पर सम्मेलनों में निरंतर चर्चाएं की गई हैं। पुनर्गठित अंतर-राज्य परिषद की बैठक आयोजित गई है तथा परिषद के सचिवालय ने अनेक नए प्रवर्तन किए हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक आयोजित की जा चुकी है और इसके बाद, राष्ट्रीय लघु बचत निधि से राज्यों को दिए गए ऋणों के लिए ऋण राहत को बढ़ाने की जांच करने हेतु केंद्रीय वित्त मंत्री के अधीन एक समिति का गठन कर दिया गया है।

120. **केंद्र-राज्य संबंध आयोग:** आयोग गठित करने के संबंध में अधिसूचित किया जा चुका है।

121. **राज्यों के ऋण के बोझ को कम करना:** इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) इस बात की अनुमति दी जा चुकी है कि वह संस्थाओं से लिए गए ऋणों को बाजार से अतिरिक्त उधार लेकर/नए संस्थागत ऋणों के रूप में सस्ते ऋणों से पुनः वित्तपोषित करें।

(ii) 10.5% या इससे अधिक ब्याज दर वाले नाबार्ड के ऋणों को बाजार से अतिरिक्त उधार लेकर पुनः वित्तपोषित करने की अनुमति दी चुकी है।

(iii) 9% ब्याज वाले केंद्र सरकार के ऋणों के स्थान पर सामान्य केंद्रीय सहायता के वित्तपोषण ऋण घटक के लिए 6.0% से 6.5% तक के ब्याज पर बाजार से उधार लेने के लिए विकल्प दिया गया है।

(iv) बाह्य सहायता ऋणों को, पिछले ऋणों को चुकाने के तुरंत बाद, राज्यों को अंतरित करने पर सहमति दी जा चुकी है ताकि उन्हें अधिक परिपक्वता राशि और निम्न ब्याज दर का लाभ प्रदान किया जा सके।

(v) 31.3.04 तक संविदत्त तथा 31.3.05 को बकाया सभी केंद्रीय ऋणों को उस वर्ष से, जब से राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून को अधिनियमित करता है, 20 वर्ष के लिए 7.5% ब्याज दर वाले नए ऋणों के रूप में पुनः अनुसूचित करने के लिए ऋण राहत स्कीम प्रारंभ की गई हैं।

(vi) बारहवें वित्त आयोग (टी एफ सी) की सिफारिशों के आधार पर ऋण को बट्टे खाते में डालने को राज्य द्वारा राजस्व घाटे में की गई कमी से जोड़ दिया गया है।

(vii) योजना आयोग ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर अध्ययन करने के लिए एन आई पी एफ पी का गठन किया है और रिपोर्ट पूर्ण योजना आयोग के सामने प्रस्तुत की जाएगी।

122 **केन्द्रीय अंतरण में वृद्धि:** ग्यारहवें वित्त आयोग की स्वीकृत की गई सिफारिशों के अधीन कर अंतरण की नई स्कीम के परिणामस्वरूप राज्यों की भागीदारी में 20% की अत्यधिक वृद्धि हुई है, अर्थात् वर्ष 2004-05 में यह राशि 78,595 करोड़ रुपये थी जो बढ़कर 94,402 करोड़ रुपये हो गई और 2006-07 के लिए अंतरण 20% की और वृद्धि के साथ 1,13,448 करोड़ रुपये तक हो जाने का अनुमान है। केंद्रीय सहायता अनुदान दुगुने से अधिक हो गया है अर्थात वर्ष 2004-05 में यह 12,081 करोड़ रुपये था जो वर्ष 2005-06 में बढ़कर 25,154 करोड़ रुपये हो गया।

123. **खनिज रायल्टी में बढ़ा हुआ शेयरः** सरकार ने फरवरी 2005 में राज्य सरकारों को देय खनिज रायल्टी की दरों को बढ़ा दिया है। इसके परिणाम स्वरूप राज्यों को प्राप्त होने वाली खनिजों की रायल्टी में 11.16% (96.39 करोड़ रुपये) की वार्षिक वृद्धि होने की संभावना है। कोयले और लिग्नाइट के लिए रायल्टी में संशोधन का कार्य प्रगति पर है।

124. **केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों का अंतरण और उनका युक्तिकरणः** योजना आयोग ने केंद्र द्वारा प्रयोजित स्कीमों को युक्तियुक्त बनाने का अभ्यास किया है और स्कीमों को बनाए रखने, राज्यों को अंतरित करने, छोड़ने, अमेलित करने तथा केंद्रीय क्षेत्र के लिए अंतरित करने के लिए चिह्नित किया है।

- मुख्य मंत्रियों के साथ अनेक बार चर्चा हो चुकी है।
- **केन्द्र-राज्य संबंध आयोग की अधिसूचना जारी कर दी गई है।**
- अंतर-राज्यीय परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद को सक्रिय कर दिया गया है।
- **राज्यों के कर्ज को समाप्त करने तथा उनकी वित्तीय दशा को सुधारने के लिए अनेक प्रमुख कदम उठाए गए हैं।**
- **केन्द्रीय क्षेत्र (सेक्टर) संबंधी स्कीमों को शीघ्र युक्तिसंगत बनाया जाएगा और इन्हें एम डी जी के इर्द-गिर्द पुनर्गठित किया जाएगा।**

XIX. पूर्वोत्तर

125. **शांति स्थापित करना:** पिछले कई वर्ष की तुलना में 2004-2005 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में असैनिक तथा सैनिक नागरिकों के मारे जाने एवं अपहरण की घटनाओं में भारी कमी आई है। सरकार ने आतंकवादी समूहों से हिंसा त्यागकर बिना शर्त वार्ता के लिए आगे आने की अपील की है। एन एस सी एन (आई/एम), एन एस सी एन (के), यू पी डी एस, डी एच डी,एन एल एफ टी (एन बी), एन एल एफ टी (के एम के),ए एन वी सी और एन डी एफ बी ने आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाने संबंधी करार पर सहमति व्यक्त कर दी है। एन एस सी एन (के) को छोड़कर अन्य सभी आतंकी समूहों से वार्ता जारी है। असम के पीपल्स कन्सलटेटिव ग्रुप के माध्यम से असम यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट से बातचीत करने की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है। इन सभी के साथ संपन्न बातचीत में रचनात्मक प्रगति हुई है और उससे हमारे कुछ नागरिकों में पलायन की प्रवृत्ति कम हुई है। ब्रू/रियंग जनजाति को राज्य में वापस लाने के लिए बी एन एल एफ एवं मिजोरम सरकार के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बोडो प्रांतीय परिषद के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने क्षेत्र के विकास हेतु 225 करोड़ रुपये की विकास राशि मंजूर कर दी है तथा वर्ष 2004-2005 से ही 100 करोड़ रुपये की वार्षिक सहायता राशि परिषद को दी जा रही है। आतंकी समूहों की गतिविधियों से निपटने के लिए बंग्लादेश, म्यामार और भूटान के साथ राजनयिक पहल प्रारंभ की जा चुकी हैं। भारत बांग्लादेश सीमा पर ऐसे सीमावर्ती क्षेत्र जहां द्विपक्षीय अथवा स्थलाकृति संबंधी कठिनाइयाँ नहीं हैं, वहां 2007 तक तार-बाड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार पूर्वोत्तर में आतंकवादियों के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास से संबंधित योजनाओं की समीक्षा कर रही है। रोजगार के अवसर पैदा करने और युवावर्ग को हिंसा के मार्ग से दूर रखने के लिए सीमा आरक्षी बलों में सिपाहियों के 20 प्रतिशत पद आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों को आबंटित किए गए हैं। असम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा के अतिरिक्त एस आर ई प्रतिपूर्ति सुविधा मेघालय एवं अरुणाचल प्रदेश राज्यों में प्रारंभ कर दी गई है। राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए केन्द्र द्वारा विशेष सहायता उपलब्ध कराई जा रही है और संशोधित योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर में वर्ष 2005-2006 से 7 राज्यों को 100 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान के लिए पात्र बनाया गया है। इस प्रकार इन राज्यों के लिए केन्द्रीय अनुदान राशि में वृद्वि हुई है।

126. **सड़कें:** सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए (एस ए आर डी पी-एन ई) विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य सड़क और सामान्य सड़कों के लगभग 7,639 कि. मी. का सुधार निहित है जिसमें कुल 83 सड़क पुल निर्माण आदि शामिल है। इससे अब तक एक-दूसरे से न जुड़े 34 जिला मुख्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ जाएंगे जिसकी कुल लागत लगभग 12,123 करोड़ रुपये होगी। इस परियोजना के प्रथम चरण में 4,618 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि से 1,310 कि.मी. सड़क निर्माण को मंजूरी दे दी गई है और यह कार्य 2009 तक पूर्ण हो जाएगा। दूसरे चरण में सड़कों को सुधारने संबंधी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का कार्य दिसम्बर 2007 तक पूर्ण हो जाएगा और इस कार्य को 7 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

127. **रेलवे:** सिलचर, त्रिपुरा राज्य की राजधानी एवं मणिपुर तथा नगालैंड राज्य को बड़ी लाइन से जोड़ने के लिए 3450 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत से कुमारघाट-अगरतल्ला और जिरिबम-टुपुल (इंफाल रोड) में नई रेलवे लाइन बिछाने तथा लम्बडिंग-सिल्चर रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी पर इस अतिरिक्त पुल का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए असम एवं रंगिया-मुरकांगसेलेक रेलवे लाइन परिवर्तन परियोजना के अंतर्गत बोडीबील पर रेल-सह-सड़क पुल निर्माण हेतु एक विशेष प्रयोजन वाहन चलाने का निर्णय लिया है जिसके परिणामस्वरूप पूर्वोत्तर-क्षेत्र शेष भारत से जुड़ जाएगा। इस कार्य की कुल लागत लगभग 2339 करोड़ रुपये होगी।

128. **बिजली:** नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन 3000 करोड़ रुपये की लागत से वर्ष 2009 तक असम में सलकट्टी नामक स्थान पर 500 मेगावाट क्षमता वाला एक थर्मल पावर प्लांट स्थापित करेगा। इस संयंत्र को कोयले की आपूर्ति करने के लिए कोल इंडिया लि. के अंतर्गत पूर्वोत्तर कोल फील्ड असम में मारघेरिटा नामक स्थान पर कोयला उत्पादन को वर्ष 1013 तक 1.1 मिलियन टन से 3.13 मिलियन

टन तक बढ़ाने का कार्य करेगा जिसकी अनुमानित लागत 3000 करोड़ रुपये होगी। प्रधानमंत्री ने सितम्बर 2005 में त्रिपुरा में 750 मेगावाट क्षमता के एक गैस आधारित थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला रखी है जिसमें निजी क्षेत्र का अनुमानित निवेश 3900 करोड़ रुपये होगा। 2497 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से तैयार होने वाली 600 मेगावाट क्षमता की कमेंग हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना को मंजूरी दे दी गई हैं। सर्वोच्य न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश हटाने के परिणामस्वरूप 6285 करोड़ रूपए की अनुमोदित लागत से तैयार होने वाली 2000 मेगावाट सुबनसिरी लोअर हाइड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना पर अक्टूबर 2004 से कार्य प्रारंभ हो गया है। इस परियोजना का कार्य 2010 -2011 तक पूरा होने का अनुमान है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, जिसे भारत निर्माण के एक अंग के रुप में प्रारंभ किया गया था, इसके तहत शेष गांवों में बिजली 2009 तक पहुंच जाएगी। असम गैस क्रैकर परियोजना का अनुमोदन कर दिया गया है। यह परियोजना 5,460 करोड़ रुपये की लागत से पांच वर्षों की अवधि में कार्यान्वित की जाएगी। पूर्वोत्तर में स्थित परियोजनाओं के लिए मेगा पावर प्रोजेक्ट का स्तर प्राप्त करने हेतु न्यूनतम विद्युत अर्हक उत्पादन क्षमता और सीमा शुल्क छूट आधी कर दी गई हैं।

129. **औद्योगिक उन्नतिः** पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए शीघ्र ही एक नई औद्योगिक नीति की घोषणा की जाएगी।

130. **पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए पूर्वोत्तर परिषद (एन ई सी) और संसाधनों का अव्यपगत केन्द्रीय पूलः** पूर्वोत्तर परिषद् का नवीकरण कर इसे मजबूत बना दिया गया है। पूर्वोत्तर परिषद/एन एल सी पी आर से मंजूरी प्रक्रिया तथा निधि जारी करने संबंधी प्रक्रिया को त्वरित बनाने के लिए समीक्षा की जा रही है।

131. **स्वास्थ्यः** पूर्वोत्तर में बसे सभी राज्यों को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विशेष फोकस वाले राज्यों के रूप में शामिल कर दिया गया है। पूर्वोत्तर स्वास्थ्य पैकेज भी तैयार किया जा रहा है।

132. **शिक्षाः** मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2004-05 से पूर्वोत्तर के लिए अलग से निधि चिह्नित कर दी गई है। पूर्वोत्तर में राज्य सरकारों की सहायता के लिए 100% अनुदान राशि देकर अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता संबंधी प्रावधान किए गए हैं जिससे 2005-06 और 2006-07 में एक मुश्त विशेष छूट के रूप में राज्य के एस एस ए शेयर के रूप में कुल 25% निधियों की मांग में से 15% आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। मणिपुर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने, अरुणाचल प्रदेश में राजीव गांधी विश्वविद्यालय और त्रिपुरा विश्वविद्यालय को केंद्रीय यूनिवसिटीं में परिवर्तित करने के लिए कानून बनाने संबंधी निर्णय और सिक्किम में एक विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने से मौजूदा विश्वविद्यालयों के त्वरित विकास को सुनिश्चित किया जा सकेगा और राज्य के प्रत्येक श्रेत्र में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने से व्यावसायिक क्षमताओं की विषमता को कम किया जा सकता है। पूर्वोत्तर में एक आई आई एम की स्थापना भी की जा रही है। एक केंद्रीय तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना कोकराझार में की जा रही है और राष्ट्रीय तकनीकी विश्वविद्यालय त्रिपुरा में स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी में रहते हुए पूर्वोत्तर राज्यों के विद्यार्थियों एवं कार्यरत महिलाओं की समस्याओं के निराकरण हेतु दिल्ली विश्वविद्यालय में एक 500 सीटों की क्षमता का कन्या हॉस्टल और कार्यरत महिलाओं के लिए 500 सीटों की क्षमता वाला एक हॉस्टल मंजूर कर दिया गया है।

133. **शहरी नवीकरणः** जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए पूर्वोत्तर में स्थित कस्बे एवं शहरों के विकास हेतु 90 प्रतिशत केंद्रीय सहायता दी जा रही है।

- **शांति सुनिश्चित करने संबंधी व्यापक प्रयास सफल हुए हैं।**
- आतंकवादी संगठनों को वार्ता में शामिल किया गया है।
- **ब्रू समस्या का समाधान हो गया है।**
- **भारत बांग्लादेश सीमा पर तारवाली बाड़ लगाने का कार्य 2007 तक पूरा।**
- **सुरक्षा, पुलिस बल के आधुनिकीकरण, आत्मसमर्पण पैकेज के लिए राज्यों को अधिक सहायता।**
- **7639 कि.मी. लंबे सड़क मार्ग को सुधारने हेतु विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम का शुभारंभ**। 12123 करोड़ रुपये की लागत से 34 जिला मुख्यालयों को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ना, 2009 तक प्रथम चरण में 1310 कि.मी.सड़क का निर्माण, दूसरे चरण में डी पी आर तैयार होने के सात वर्ष में कार्य पूरा होना प्रस्तावित है।
- **सिलचर, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड के साथ रेल मार्ग को सुधारने** हेतु कुमारघाट-अगरतल्ला, और जिरिबम-टुपूल लाइन का अमान परिवर्तन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।
- बोगीबील रेल सह सड़क पुल, रंगियां-मुरकोंगसेलेक के बीच बड़ी लाइन बिछाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।
- **3000 करोड़ रुपये की लागत से एन टी पी सी ने असम में सलाकरी पर 500 मेगावाट संयंत्र की स्थापना और 3000 करोड़ रुपये की लागत से कोल इंडिया लि. द्वारा मारघेरिटा से कोयला के लिए लिंक स्थापित करना लगभग 3900 करोड़ रुपये की लागत से त्रिपुरा में निजी क्षेत्र द्वारा 75 मेगावाट क्षमता के गैस आधारित संयंत्र पर कार्य प्रारंभ, 600 मेगावाट क्षमता की कामेंग परियोजना मंजूर, 2000 मेगावाट क्षमता की सुबनसिरी परियोजना पुनः प्रारम्भ, 100 प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण प्रारंभ, गैस क्रेकर परियोजना मंजूरी के अंतिम चरण में।**
- **शीघ्र ही नई पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति बनाई जाएगी।**
- **एन ई सी पुनर्जीवित, एन ई सी एवं एन एल सी पी आर की मंजूरी प्रक्रिया में गति लाया जाना।**
- **एन आर एच एम के अंतर्गत पूर्वोत्तर को विशेष फोकस प्राप्त होना, पूर्वोत्तर पैकेज तैयार हो रहा है।**
- **मणिपुर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त, अरुणाचल प्रदेश एवं त्रिपुरा में राजीव गांधी विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में बदलने संबंधी विधेयक लाने का निर्णय, और सिक्किम में नये केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, आई आई एस की स्थापना किया जाना तथा कोकराझार में केंद्रीय तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना, मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर के लिए निधि चिह्नित किया जाना, दिल्ली में विद्यार्थी तथा कार्यरत महिलाओं के लिए 500 सीटों की क्षमता का हॉस्टल बनाया जाना।**

XX. जम्मू एवं कश्मीर

134. **शांति प्रक्रिया:** कानून व्यवस्था में प्रशंसनीय सुधार आया है। हिंसा, नागरिकों की हत्या तथा अपहरण की घटनाओं में भारी कमी आयी है। सरकार उच्चतम स्तर सहित दोनों क्षेत्रों में बड़ी संख्या में राजनैतिक दलों से वार्ता कर रही है। यह वार्ता सकारात्मक ढंग से आगे बढ़ रही है और इससे हमारे नागरिकों के पलायन की प्रवृत्ति पर रोक लगी है। जम्मू-कश्मीर पर गोलमेज सम्मेलन के माध्यम से वार्ता प्रक्रिया आगे बढ़ी है। अनेक बंधकों को रिहा कर दिया गया है। श्रीनगर-मुजफ्फराबाद बस सेवा प्रारंभ कर दी गई है और भूकंप पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए नियंत्रण रेखा पर पांच रास्ते खोल दिए गए हैं।

135. **पुनर्गठन योजना:** प्रधान मंत्री जी ने नवंबर 2004 में जम्मू-कश्मीर के लिए पुनर्गठन योजना की घोषणा की थी और अपने जून 2005 में लद्दाख क्षेत्र के दौरे के दौरान इसे और बढ़ा दिया गया। पुनर्गठन योजना में लगभग 24000 करोड़ रुपये का निवेश होना है जिसमें 67 परियोजनाएं/स्कीम शामिल हैं। इनका उद्देश्य जम्मू-कश्मीर के तीनों क्षेत्रों के विकास संबंधी संतुलन को बनाए रखते हुए मूलभूत संरचनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करना तथा विकास से संबंधित अन्य अपेक्षाओं की पूर्ति करना है।

136. **आर्थिक मूलभूत अवसंरचना का विस्तार:** ऊरी-II 240 मेगावाट पावर परियोजना और दो जिलों के विद्युतीकरण की परियोजनाएं मंजूर हो चुकी हैं। 390 मेगावाट क्षमता वाली दुलहस्ती परियोजना 2006 तक पूरी हो जाएगी। 353 माइक्रो-हाइड्रोइलैक्ट्रिक परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। 450 मेगावाट क्षमता की बगलिहार परियोजना को 2007 तक पूरा किए जाने के लिए 630 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता दी जा रही है और 120 मेगावाट क्षमता की सेवा-II परियोजना भी 2007 तक पूर्ण होने की आशा है। श्रीनगर-कारगिल-लेह सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया गया है। उरी-नियंत्रण रेखा सड़क मार्ग खोल दिया गया है और श्रीनगर-मुजफ्फराबाद बस सेवा अप्रैल 2005 से नियमित रूप से चल रही है। अन्य सड़कों का कार्य मंजूर हो गया है और प्रगति पर है। श्रीनगर एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित कर दिया गया है और लगभग 78 करोड़ की अनुमानित लागत से एयरपोर्ट पर वास्तविक सुधार कार्य 2006 तक पूरा होने की आशा है। कारगिल एवं श्रीनगर के बीच उड़ानों की संख्या बढ़ा दी गई है। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, लेह एवं कारगिल के लिए संयुक्त रूप से पर्याप्त अनुदान राशि दी गई है जिससे अनेक अवसंरचना संबंधी परियोजनाएं प्रारंभ हो चुकी है।

137. **मूलभूल सेवाओं में विस्तार:** 14 नए कॉलेज और नौ नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रारंभ हो चुके हैं। राज्य के शेष, जिलों के लिए समग्र साक्षरता अभियान को मंजूरी दे दी गई है। 19 आई सी डी एस परियोजनाएं और 6,817 आँगनवाड़ी केंद्रों को मंजूरी इस आशय से दी गई है कि प्रत्येक गाँव में आबादी के मानदंडों के अनुसार एक केंद्र होना चाहिए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य को विशेष फोकस की श्रेणी में शामिल किया गया है। श्रीनगर एवं जम्मू में एशियन डेवलपमेंट बैंक की मूलभूत अवसंरचना संबंधी परियोजनाएं जैसे, जल आपूर्ति, जल-मल निकासी व्यवस्था आदि को मंजूरी दे दी गई है और प्रारंभिक कार्य प्रारंभ हो चुका है। यहां केंद्र, राज्य के हिस्से की राशि का भी वित्तपोषण कर रहा है।

138. **रोजगार और आय वृद्धि पर जोर देना:** भारत सरकार ने शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों से संबंधित पदों को भरने के लिए राज्य सरकार द्वारा की जा रही भर्ती पर लगी रोक हटा ली है। प्रस्तावित 24000 रोजगारों के अवसरों में से 15000 रोजगार के अवसर बना लिए गए हैं। 14000 से अधिक नियुक्तियाँ आई सी डी एस परियोजनाओं और ऑगनवाड़ी केंद्रों की मंजूरी के माध्यम से तैयार की गई हैं और इसमें 11000 से अधिक नियुक्तियाँ अब तक की जा चुकी है तथा शेष नियुक्तियों से संबंधित प्रक्रिया चल रही है। पांच नई आरक्षित बटालियनों को मंजूरी दे दी गई है जिससे अगले पांच वर्षों में लगभग 5000 स्थानीय युवकों को रोजगार प्राप्त होगा और राज्य से इन रिजर्व बटालियनों तथा केंद्रीय पैरा मिलिट्री सैन्य बलों में भर्ती संबंधी प्रक्रिया चल रही है। राज्य के लिए छूट, प्रशिक्षण व्यवस्था और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत केंद्रीय अनुदान राशि में भारी वृद्धि की गई है। सूचना प्रौद्योगिकी/बी पी ओ क्षेत्र में हजारों युवकों को प्रशिक्षण दिया गया है और 129 से अधिक प्रशिक्षित विद्यार्थियों को निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त हो गया है। अपनी क्षमता में विस्तार करने के लिए 87 पर्यटन

उद्योग कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। खाद्यान्न एवं पेय सेवाओं, (कुकिंग) पाक विद्या, घर की साज-सज्जा और झीलों के किनारे कार्यालय से संबंधित क्रियाकलापों को चलाने संबंधी विषयों पर लगभग 100 विद्यार्थियों के लिए एक वर्षीय क्षमता विकास पाठ्यक्रम प्रारंभ कर दिया गया है। इसके परिणाम स्वरूप कुछेक प्रशिक्षित व्यक्तियों ने एग्री क्लीनिक खोल दिए हैं। डल झील के संरक्षण संबंधी परियोजना को मंजूरी दे दी गई है और वुलर, मनशेर और तुसोमोरिरी झीलों की संरक्षण संबंधी योजना तैयार की जा रही है। पर्यटन से संबंधित 22 परियोजनाओं में से चार पर्यटन विकास प्राधिकरणों, पांच पर्यटन गाँव और चार पर्यटक सर्किटों के लिए वित्तीय सहायता मंजूर कर दी गई है।

139. **आतंकवाद से विस्थापित और प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाना और/अथवा उनका पुनर्वास करना:** अखनूर तहसील के 6072 सीमा पर रहने वाले परिवारों की 59.18 करोड़ रुपये की लागत से पुनर्वास योजना मंजूर कर दी गई है और निधि दे दी गई है। पुनर्वास परिषद को 3 करोड़ रुपये बढ़ी हुई परिव्यय राशि दे दी गई है। सभी विस्थापित कश्मीरियों के लिए दो कमरों का आवास मंजूर कर दिया गया है और इस संदर्भ में कार्य प्रारंभ हो चुका है।

140. **पुनर्गठन योजना के अतिरिक्त कार्यक्रम:** ऊधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेलवे लाइन का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है और प्रधानमंत्री जी ने अप्रैल 2005 में नागरिकों के आवागमन हेतु जम्मू-ऊधमपुर मार्ग का शुभारंभ कर दिया है। इसके अतिरिक्त, जम्मू तवी-जालंधर रेलवे लाइन को दोहरी लाइन बनाने का कार्य प्रगति पर है। लद्दाख क्षेत्र की बिजली संबंधी जरुरतों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जून 2005 में निमो बज्गो और चुटक हाइड्रोइलैक्ट्रिक परियाजना (89 मेगावाट) की आधार शिला रख दी है। हिमाचल प्रदेश से लद्दाख क्षेत्र में रोहतांग पास से आवागमन के वैकल्पिक मार्ग खोजने संबंधी परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। जम्मू एवं कश्मीर में स्थित बिजली परियोजनाओं को मेगा पावर परियोजना का दर्जा देने के लिए एवं सीमाशुल्क में छूट प्राप्त करने के लिए न्यूनतम बिजली उत्पादन क्षमता को आधा कर दिया है। इसाकला क्षेत्र के विकास के लिए लागू किए जा रहे कार्यक्रमों में, ऊन प्रौद्योगिकी मिशन, पशमीना विकास, परम्परागत हस्तकला विकास, कालीन निर्यात हेतु समग्र विकास पैकेज, हस्तकला (कालीन के अलावा) के निर्यात के बढ़ावे के लिए समग्र विकास पैकेज, हस्तकला क्षेत्र के प्रोत्साहन हेतु अवसंरचना सहायता को मजबूत करना, कनी जवाहर शाल को पुनर्जीवित करना, रेशम के कीड़े पालन और रेशम उद्योग का विकास करना और जुलाहा सेवा केंद्र स्थापित करना आदि शामिल हैं। पर्यटन विकास के लिए शिकारा मालिकों को अपनी नावों का जीर्णोद्धार करने और उन्हे क्रियाशील करने के लिए सुलभ कर्ज दिए गए हैं, होटलो के जीर्णोद्धार एवं उनके कमरों को पुनः सुसज्जित करने के लिए आसान दरों पर कर्ज दिए गए हैं, शिकारा की मरम्मत एवं उन्हें उन्नत बनाने के लिए इनके मालिकों को पूंजीगत अनुदान दिया गया है और नए खच्चर खरीदने के लिए खच्चर मालिकों को पूंजीगत सहायता एवं सुलभ कर्ज उपलब्ध कराया गया है। इन स्कीमों से 15000 से अधिक व्यक्ति लाभान्वित हो चुके हैं। पर्यटकों की संख्या जो 2002 में 0.29 लाख थी वर्ष 2005 में यह बढ़कर छः लाख तक पहुंच गई है। जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए राज्य के शहरी क्षेत्रों के लिए 90 प्रतिशत तक केंद्रीय अनुदान दिया जा रहा है। कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शेर-ए-कश्मीर विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है।

141. **उदार केंद्रीय सहायता:** वर्ष 2005-06 के दौरान जम्मू-कश्मीर के लिए वार्षिक योजना राशि 4200 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है जो विगत वर्षों की योजना की तुलना में 1192 करोड़ रुपये अधिक है। यह राशि पिछले वर्ष 3008 करोड़ रुपये थी और तीन वर्षों में वार्षिक योजना राशि लगभग दोगुनी कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2006-07 में बिजली संबंधी लागत को पूरा करने के लिए राज्य को 1300 करोड़ रुपये की अनुदान राशि दी जा रही है।

- जम्मू-कश्मीर पर गोल मेज सम्मेलन के माध्यम से **वार्ता प्रक्रिया आगे बढ़ी** है; अनेक बंधकों को रिहा कर दिया गया है, **हिंसा में उल्लेखनीय गिरावट, श्रीनगर-मुजफ्फराबाद बस सेवा** प्रारंभ और भूकंप राहत के लिए नियंत्रण रेखा पर पांच स्थानों पर आवागमन की छूट।
- 24000/- करोड़ रुपये की लागत वाली **पुनर्गठन योजना सफलतापूर्वक प्रारंभ, और आशातीत प्रगति**
- उधमपुर रेल लाइन चालू और श्रीनगर रेल लाइन ट्रैक पर कार्य प्रारंभ
- **रिकार्ड तोड़ पर्यटकों का आगमन।**
- **बिजली बिलों की अदायगी हेतु 1300 करोड़ रुपये का अनुदान, तीन वर्षों में वार्षिक योजना राशि लगभग दोगुनी।**
- **भूकंप और हिम राहत तथा पुनर्वास प्रयासों** में चहुंदिशी सहायता।

XXI. औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देना

142. **संस्थागत सहयोग:** नेशनल मेन्यूफेक्चरिंग कम्पीटिटिवनेस काउंसिल और निवेश आयोग स्थापित किया गया है और उसने अपना काम करना आरंभ कर दिया है।

143. **विनिर्माण कार्यों में पहल:** सरकार रोजगार और आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने वाले मुख्य बल के रूप में विनिर्माण क्षेत्र को तैयार करने के लिए दस वर्षीय विनिर्माण संबंधी कार्यक्रम का आरंभ करेगी। विनिर्माण संबंधी पहल को लागू करने से उत्पन्न होने वाले मसलों को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में विनिर्माण संबंधी उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। विनिर्माण संबंधी पहल का उद्देश्य विनिर्माण में 12% की सतत वृद्धि प्राप्त करना, विनिर्माण क्षेत्र में सुधार के लिए नीति तैयार करना, समष्टिगत आर्थिक मसलों को सुलझाना जो विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि और प्रतिस्पर्धा में बाधा डालते हैं, नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करना, नई कार्य प्रणालियों और प्रौद्योगिकी में निवेश, कौशल निर्माण, सही बाजार ढाँचा और नियंत्रणकारी वातावरण, विभिन्न मंत्रालयों द्वारा अपनाए जा रहे विभिन्न दृष्टिकोणों के बीच समन्वय स्थापित करना, फर्म के स्तर पर प्रतिस्पर्धा में सुधार लाने के लिए मानीटरिंग कार्यक्रम जैसे मार्गदर्शन प्रदान करना है। अधिक श्रमिक की आवश्यकता वाले क्षेत्रों जैसे वस्त्र और परिधान, चमड़ा और चमड़े से बनी वस्तुएं, खाद्य प्रसंस्करण, आई टी हार्डवेयर और इलेक्ट्रानिक्स और ऑटो हिस्से-पुर्जों के क्षेत्रों पर अधिक जोर दिया जाएगा।

144. **विनियामक व्यवस्था:** परिवर्तनों के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए सरकार एक नए कंपनी अधिनियम को अधिनियमित करने के लिए शीघ्र ही एक विधेयक पेश करेगी। प्रतिस्पर्धा के लिए उपयुक्त विनियामक प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने प्रतिस्पर्धा आयोग अधिनियम में संशोधन करने के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया है जिससे ऐसे मामले सुलझ पाएं जिनके संबंध में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग निरन्तर पूरी तरह कार्रवाई नहीं कर सका। आयोग न केवल गैर-प्रतिस्पर्धा कार्यों को रोकने के लिए बाजार विनियामक के रूप में ही कार्य नहीं करेगा बल्कि सलाह देने का कार्य करने वाले विशेषज्ञ निकाय के रूप में भी कार्य करेगा। 16 श्रम अधिनियम में निर्धारित फार्मों और रजिस्टरों को सरल और औचित्यपूर्ण बनाने के लिए और इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से निर्धारित विवरण प्रस्तुत करने के उपबंध बनाने के लिए संसद में एक बिल पेश किया गया है। एम सी ए-21 और आयकर के कंप्यूटरीकरण, राष्ट्रीय ई-शासन योजना के अंतर्गत ई-शासन प्रोजेक्ट जैसी पहलों के जरिए उद्योग और कराधान प्राधिकरणों और पूंजीकरण प्राधिकरणों के बीच पारदर्शी, सरल और बाधा रहित अंतर्संबंध बनाए जा रहे हैं। बड़े नगरों में कर की बड़ी रकम का भुगतान करने वाले करदाताओं के लिए उत्पाद शुल्क, आयकर और कारपोरेट कर का भुगतान एक ही स्थान पर करने के लिए बड़ी करदाता यूनिटें आरंभ की जाएंगी। मुकदमेबाजी को कम करने और विवादों के निपटान को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम और सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन सभी अपराधों को एक ही स्थान पर लाने की स्कीम आरंभ की गई है।

145. **एफ आई आई:** एफ आई आई को प्रोत्साहित करने के लिए और सट्टेबाजी में पूँजी के प्रवाह को कम करने के लिए और साथ ही वित्तीय प्रणाली की कमियों को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं।

(i) एफ आई आई के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया और कार्यों को सरल और द्रुत बनाना।

(ii) एफ आई आई के लिए ऋण निधियों में निवेश जुटाने की सीमा 1.75 बिलियन डालर करना।

(iii) वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण में घोषणा की थी कि एफ आई आई को घरेलू बाजार से प्राप्त होने वाले उत्पादों का व्यापार करने पर सेबी (एस ई बी आई) द्वारा यथा निर्धारित उचित राशि नकद या अन्य किसी रूप में जमा कराने की अनुमति दी जाएगी।

(iv) एफ आई आई को प्रोत्साहित करने और सट्टेबाजी में पूँजी के प्रवाह को कम करने के लिए पूँजी बाजार के दोषों को कम करने

संबंधी विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट वेबसाइट पर प्रसारित की गई थी और उस पर प्राप्त टिप्पणियों को देखते हुए इस रिपोर्ट की जाँच की जा रही है।सेबी (एस.ई.बी.आई.) के आंकड़ों के अनुसार, एफ आई आई निवेश के पिछले 12 वर्षों में 1992-93 से 2003-2004 तक 25.75 बिलियन अमेरिकी डालर था जबकि केवल अगले दो वित्तीय वर्षों में यह 19 बिलियन अमेरिकी डालर से अधिक था।

146. **एफ डी आई:** सामान्य स्वीकृति प्रक्रिया के अधीन एफ डी आई के लिए प्रक्रिया को सरलीकृत किया गया है। विदेशी सहयोग की वैधता की अवधि बढ़ाने के मामलों में ढील दी गई है। प्रेसनोट 18 की अधिसूचना को निरस्त कर दिया गया है। नागर विमानन में एफ डी आई सीमा को 40% से 49% तक और दूर संचार में 49% से 74% तक बढ़ाने की अधिसूचना जारी की गई है। उप नगरों के विकास, आवास, आधारभूत संरचना तैयार करने और निर्माण विकास प्रोजेक्टों के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अधीन 100% एफ डी आई की अनुमति दी गई है। नीति को औचित्यपूर्ण बनाने और अनावश्यक बाधाओं तथा प्रतिबंधों को हटाने के लिए निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं।

(i) अल्कोहल के आसवन और शराब तैयार करने की स्वाभाविक प्रक्रिया पर और औद्योगिक विस्फोटक और खतरनाक रसायन के विनिर्माण के लिए, नए हवाई अड्डे के प्रोजेक्ट, मान्य क्रियाकलापों के लिए आबद्ध उपभोग के लिए कोयले और लिग्नाइट के खनन, कॉफी और रबड़ उद्योग में उनके प्रसंस्करण और वेयर हाउस में रखने, विपणन से संबंधित आधारभूत संरचना, प्राकृतिक गैस या एल एन जी पाइपलाइनों, बाजार अध्ययन और उसे बनाने और पेट्रोलियम क्षेत्र में निवेश या वित्त पोषण, बिजली की खरीद-फरोख्त, थोक व्यापार और निर्यात के 'स्रोत और हीरों और कीमती पत्थरों की खोज और खनन, पहले से निश्चित स्थानों पर विनिर्माण क्रियाकलापों पर 100% एफ डी आई की अनुमति।

(ii) पहले से सेबी (एस ई बी आई) 'टेक ओवर कोड रूट ' के अंतर्गत आने वाली वित्तीय सेवाओं और क्रियाकलापों में निवासी से अनिवासियों में शेयरों के स्वतः अंतरण की अनुमति

(iii) बी 2 बी-ई कामर्स क्षेत्र के संबंध में भारतीय साझेदार/जनमा के पक्ष में 26% विदेशी ईक्विटी देने की शर्त को वापिस लेना।

(iv) उप नगर, आवास, तैयार आधारभूत संरचना और निर्माण विकास और एक्वाकल्चर के विकास में अनुमेय क्रियाकलापों का उल्लेख किया जाएगा और

(v) 'एकल ब्रांड' के उत्पादों की फुटकर बिक्री में पूर्व अनुमोदन के साथ 51% तक एफ डी आई की अनुमति।

147. **बहुत छोटे, छोटे और मध्यम उद्यम:** बहुत छोटे, छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों के विकास के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया गया है। इससे यह क्षेत्र मजबूत बनेगा। वित्त मंत्री ने अगस्त, 2005 में संसद में छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों को ऋण प्रदान करने के लिए एक नीतिगत पैकेज की घोषणा की है।

148. **औद्योगिक आधारभूत संरचना को उन्नत करना:** औद्योगिक आधारभूत संरचना उन्नयन स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उच्चस्तरीय निदेश दिए जा रहे हैं ताकि इसका कार्यान्वयन प्रभावी बन सके।

149. **निर्यात से संबंधित उद्योग:** निर्यातोन्मुख विनिर्माण और सेवाओं के द्रुत गति से विकास के लिए अपेक्षित आधारभूत संरचना और उचित फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए एस ई जेड अधिनियम,2005 बनाया गया है। राष्ट्रीय निर्यात बीमा लेखा बनाने को अनुमोदन दे दिया गया है। संशोधित सरल स्कीम में निर्यात उत्पादों के विनिर्माण में प्रयुक्त उत्पादों पर लगाए गए सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए शुल्क की वापसी के आंकड़ों के पूर्व-सत्यापन को समाप्त कर दिया गया है। नई शुल्क वापसी अनुसूची को एच एस नामावली से पूरी तरह से जोड़ा गया है और पूर्व अनुसूची की तुलना में इस अनुसूची में ज्यादा उत्पादों को शामिल किया गया है। शुल्क वापसी और अन्य निर्यात संवर्धन स्कीमों के अंतर्गत निर्यातकों द्वारा 21 घोषणाओं को दाखिल करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।

150. **टेलीकॉम सेवाएं:** प्रविष्टि के अवरोधों को कम करते हुए तथा उपभोक्ताओं के लिए लागत कम करते हुए निवेश को बढ़ावा देने के लिए, एन एल डी और आई एल डी अनुज्ञप्तियों के लिए वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क और प्रवेश शुल्क को व्यावहारिक रूप से घटा दिया गया है। तेज गति से ब्राड बैंड कनेक्टिविटी के विस्तार को बढ़ावा देने के लिए wi-li और wi-Max सिस्टम के लिए विनिर्दिष्ट स्पैक्ट्रम बैंड के उपयोग पर लाइसेंस को समाप्त कर दिया गया है। 3 सेवाओं को समाप्त करने के लिए स्पैक्ट्रम उपलब्ध कराया जा रहा है। मौजूदा उपभोक्ता, जैसे कि सेना द्वारा स्पैक्ट्रम के इस्तेमाल को कम करने की दृष्टि से और समयबद्ध तरीके से वाणिज्य उपयोग के लिए इसे उपलब्ध कराने के लिए मंत्रियों के एक दल का गठन किया गया है।

151. **आई. टी. सेवाएं, आई. टी. आधारित सेवाएं और पर्यावरण:** 2009 में साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्कीम और इस क्षेत्र के एस ई जेड एक्ट (अधिनियम) के तहत सम्बद्ध आई.टी. विशेष एस ई जेड की अवस्था के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए अध्ययन प्रारंभ किया गया है। मूल्यांकन के आधार पर, इस क्षेत्र (सेक्टर) में एस. एम. ई. सहित, सेक्टर की वृद्धि से संबंधित संस्थानों के अभिभाषण के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। अन्य बातों के साथ-साथ, आई. सी. ई. की मानव संसाधन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, समयबद्ध तरीके से डिजिटल कार्य के विकास और ऐनीमेशन तथा गेमिंग के अवसर प्रदान कर, सूचना, प्रेषण और मनोरंजन (आई सी ई) के बारे में गठित उच्च स्तरीय समिति, शीघ्र सुझाव देगी। भारतीय मनोरंजन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाएंगे ताकि यह वैश्विक मानक हासिल कर सके और अपनी क्षमता को पहचान सके।

152. **इलैक्ट्रॉनिक्स, आई. टी. हार्डवेयर और टेलीकॉम उपस्कर निर्माण:** आई टी. और टेलीकॉम सेवा सेक्टरों में हमारे प्रभुत्व के बढ़ने के साथ-साथ हमें अब भारत में इलैक्ट्रॉनिक्स, आई.टी. हार्डवेयर और टेलीकॉम उपस्करों के निर्माण को बढ़ाने के अवसर प्राप्त हुए हैं। इलैक्ट्रॉनिक्स और आई.टी. हार्डवेयर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक कार्य बल का गठन किया है। सेमी कन्डक्टर बनाने और अन्य माइक्रो और नैनोप्रौद्योगिकी विनिर्माण उद्योगों की स्थापना के लिए निवेश को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, भारत में इलैक्ट्रॉनिक्स और आई.टी. हार्डवेयर विनिर्माण उद्योगों को और अधिक बढ़ावा देने की नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सरकार ने स्थापित प्रमुख दूरसंचार कंपनियों को भारत में विनिर्माण सुविधाओं को भारत में विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना के लिए अनुमोदन देकर दूर संचार उपस्करों के उत्पादन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। हमारा लक्ष्य वर्ष 2007 से शुरू करके अगले कुछ वर्षों में प्रत्येक वर्ष उच्च गुणवत्ता वाले टेलीकॉम उपस्करों में गुणवत्ता के स्तर को बढ़ाने का है।

153. **पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन:** पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रो रसायन के क्षेत्र में, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र में 10 बिलियन अमरीकी डालर तक निवेश किया जा सकता है, विश्वस्तरीय विकासक (डेवलपर्स) और निवेशकर्ताओं के योगदान के साथ अपेक्षित मात्रा और स्तर की सुविधाओं के विशिष्ट निवेश क्षेत्र के विकास के लिए शीघ्र और समन्वित निर्णय ले सकने और उचित नीति उपलब्ध कराने के लिए एक उच्च स्तरीय कार्य बल का गठन किया गया है। पेट्रोरसायन पर एक राष्ट्रीय नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

154. **खनन:** खनन क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए एक राष्ट्रीय खनिज नीति तैयार की गई है और खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम,1957 में संशोधन किया जा रहा है। सरकार खनन पट्टे, परमिट और रियायतों की एकल विंडो पर निकासी के लिए व्यापक प्रणाली को अंतिम रूप देने पर कार्य कर रही है।

155. **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग:** फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण, परिरक्षण और पैकेजिंग करने वाले नए उद्योगों को पाँच वर्षों तक आयकर में छूट और अन्य रियायतें प्रदान की गई हैं। कृषि उत्पादों के कारोबार को बढ़ावा देने के लिए एक एकीकृत कार्यनीति तैयार की जा रही है। खाद्य पदार्थों के संबंध में एक सांविधि तैयार कर और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के व्यवस्थित और वैज्ञानिक विकास की व्यवस्था करने के लिए सरकार ने एकीकृत खाद्य विधि को अधिनियमित करने के लिए संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया है। इस समय ऐसे तेरह विभिन्न कानून हैं जो खाद्य और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर लागू होते हैं। खाद्य व्यापार और उद्योग को मार्गदर्शन देने और विनियमित करने के लिए इन उद्योगों को संरक्षण देने की नीति बनाने और 'एकल विंडो' का प्रावधान करने पर विचार किया जा रहा है। यह विधेयक सहयोगात्मक और व्यापक है और इसका उद्देश्य इसका कानूनी रूप से अनुपालन करने के उत्तरदायित्व के साथ स्व-स्वीकृति आधारित खाद्य पदार्थ सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों को बेहतर सुरक्षा उपलब्ध करवाना भी है। इसके अनुसार पारदर्शी तरीके से वैज्ञानिक मानदण्ड निर्धारित किए जाने हैं और इसका लक्ष्य भारतीय खाद्य व्यापार और उद्योग की परिवर्तनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करना है।

156. **चमड़ा:** चमड़ा उद्योग के लिए समयबद्ध तरीके से कुछ उपायों को लागू किया जा रहा है जिससे इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बनी रहे और यह क्षेत्र वृद्धि करता रहे।

157. **वस्त्र:** वस्त्र उद्योग के विकास के लिए करों में राहत सहित एक बड़ा पैकेज दिया गया है और मल्टी फाइबर एग्रीमेंट (एम एफ ए) व्यवस्था के बाद विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा की चुनौती का सामना करने के लिए इसे तैयार किया जाना है। विभिन्न वस्त्र मशीनरी और अतिरिक्त-पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया गया है, प्रोसेसिंग के लिए अतिरिक्त पूँजी उपदान उपलब्ध कराया गया है, विशिष्ट वस्त्र मशीनरी मदों, कच्चे माल और अतिरिक्त-पुर्जों पर शुल्क कम किया गया है, बुने हुए परिधानों और बुने हुए वस्त्रों को अनारक्षित किया गया है और पॉलीएस्टर फिलामेंट यार्न पर उत्पाद शुल्क कम किया गया है। केवल पिछले दो वर्षों में प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम से कुल अनुमोदित सहायता सात वर्ष पहले अप्रैल,1999 में इस स्कीम के आरंभ होने से लेकर अब तक अनुमोदित संचयी राशि का लगभग आधा भाग बनती है और इसमें 15,000 करोड़ रुपये से अधिक का निजी निवेश हुआ है। जबकि 2006-07 के लिए इसी प्रकार के निवेश का लक्ष्य है। इस उद्योग में उच्च स्तरीय निवेश हुआ है और बैंक ऋण की 100% वसूली की सूचना प्राप्त हुई है। सार्वजनिक और निजी साझेदारी में 2007-08 तक 25

एकीकृत वस्त्र पार्कों के विकास की नई स्कीम के अंतर्गत अनेक पार्कों की मंजूरी दी गई है और अन्य अनेक पार्कों के विकास के लिए पहचान की गई है। इन सब उपायों की सहायता से भारत का निर्यात 2005-06 के दौरान लगभग 25% बढ़ा है और विश्व निर्यात में भारत के हिस्से में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई है।

158. **हथकरघा:** बुनकरों की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए और इस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए एक व्यापक हथकरघा नीति बनाई जा रही है। बुनकरों को धागों की निरंतर आपूर्ति के लिए सूत के धागों के डिपों की स्थापना की जा रही है। आवधिक ऋणों पर ब्याज में सब्सिडी प्रदान करने के लिए हथकरघा सेक्टर के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी यू एफ एस) के समान योजना बनाई जाएगी।

159. **जूट:** जूट की मांग में वृद्धि और जूट उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए अप्रैल, 2005 में एक व्यापक राष्ट्रीय जूट नीति की घोषणा की गई और भारतीय जूट निगम की पुनःसंरचना का बीड़ा उठाया गया। बजट 2006-2007 में 355 करोड़ रुपये के परिव्यय से जूट प्रौद्योगिकी मिशन को शुरू करने की घोषणा की गई। जिसका उपयोग जूट सेक्टर के पूर्ण विकास और जूट सेक्टर में विभिन्न संगठनों की गतिविधियों की सहक्रिया को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय जूट बोर्ड की स्थापना के लिए किया जाएगा। वर्ष 2005-2006 के लिए पर्याप्त मांग सुनिश्चित करने के लिए चीनी और खाद्यान्नों तथा जूट के लिए अनिवार्य पैकेजिंग के स्तर में 100% वृद्धि की गई।

- **प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति** के साथ विनिर्माण को रोजगार एवं विकास की विनिर्माण को प्रेरक-शक्ति बनाने के लिए श्रम प्रधान क्षेत्रों पर बल देते हुए शीघ्र ही **दस वर्षीय एक विनिर्माण कार्यक्रम शुरू** किया जाएगा
- एन.एम.सी.सी. और निवेश आयोग का गठन
- **नए कंपनी अधिनियम के लिए एक विधेयक शीघ्र लाया जाएगा, प्रतियोगिता आयोग को सक्रिय बनाना; श्रम प्रतिफल संबंधी कानून का सरलीकरण, निर्बाध नियंत्रण के लिए ई-शासन**
- **एफ.आई.आई द्वारा अत्यधिक निवेश**
- **दूर संचार, सिविल विमानन और निर्माण में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी. आई.) सीमा में छूट; प्रैस विज्ञप्ति 18-अधिसूचित न करना; विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी आई) में रखे गए अन्य सेक्टरों की संख्या**
- **लघु-उद्यमों (माइक्रो-एंटरप्राइजेस) और एस.एम.ई. के विकास के लिए शीघ्र विधेयक लाना; क्रेडिट बढ़ाने के लिए भी पैकेज**
- **विश्व-स्तरीय अवसंरचना एस.ई जेड अधिनियम और उचित नियामक ढांचा बनाने के लिए निर्यात**
- राष्ट्रीय निर्यात बीमा लेखा का सृजन
- इलेक्ट्रॉनिक और आई.टी.हार्डवेयर के विनिर्माण के लिए कार्यों को अंतिम रूप देना; दूर-संचार उपकरणों का विनिर्माण ; सूचना, संचार और मनोरंजन (आई.सी.आई.); पैट्रोलियम, रसायन और पैट्रोकैमिकल्स उद्योगों के लिए वृहत निवेश क्षेत्र स्थापित करना
- **राष्ट्रीय खनिज नीति, खान और खनिज (डी एवं आर) अधिनियम में संशोधन, और खानों को पट्टे पर देने तथा मंजूरी के लिए एकल खिड़की प्रणाली**
- **खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की सहायता के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और एकीकृत खाद्य सामग्री नियम कानून**
- **एम.एफ. ए.पश्च परिदृश्य में कपड़ा उद्योग को सहायता देने के लिए कार्यों का पैकेज**
- राष्ट्रीय पटसन मिशन शुरू किया जा रहा है और राष्ट्रीय पटसन बोर्ड का गठन किया जा रहा है।

XXII. ऊर्जा

160. **ऊर्जा समन्वय समिति:** प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ऊर्जा समन्वयन समिति का गठन किया गया ताकि ऊर्जा संबंधी योजना और सुरक्षा के क्षेत्र में नीति निर्माण और निर्णय करने के व्यवस्थित और समन्वित दृष्टिकोण को विकसित किया जा सके। इसमें कोयला, बिजली और पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के क्षेत्रों में ऊर्जा संबंधी मुद्दे भी शामिल हैं।

161. **बिजली उत्पादन:** दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान बिजली-उत्पादन क्षमता में कुल 34,000 मेगावाट की वृद्धि का आकलन किया गया है, जो एक रिकार्ड है। 82 परियोजनाओं में कार्य चल रहा है और 1से 3 वर्षों में जब ये पूरी हों जांएगी तो इससे सार्वजनिक क्षेत्र में 33,000 मेगावाट की क्षमता और निजी क्षेत्र में 6500 मेगावाट की क्षमता की वृद्धि होगी। इनमें से लगभग 15,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन मार्च 2007 तक शुरू हो जाएगा दाभोल पावर प्रोजेक्ट को फिर से शुरू हो चुका है और इसने इस वर्ष से बिजली उत्पादन शुरू कर दिया है। भुगतान प्रतिभूति के रूप में केंद्रीय वित्तीय अंतरण में अपना हिस्सा देने का प्रस्ताव करने वाले खरीददार राज्यों की शर्त को समाप्त कर दिया गया है ताकि मेगा पावर परियोजनाओं के लिए स्वतंत्र बिजली परियोजना पर सीमा शुल्क में छूट दी जा सके। निजी उद्यमों के माध्यम से प्रतियोगी बोली लगाने के आधार पर 4,000 मेगावाट से अधिक बिजली उत्पादन की क्षमता वाले पांच अल्ट्रा मेगा थर्मल बिजली उत्पादन संयंत्र लगाए जा रहे हैं। कोयले के दो पिट हैड (गर्तमुख) (छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश) में है जबकि आयातित कोयले के तीन पिटहैड तटीय क्षेत्र (गुजरात,कर्नाटक और महाराष्ट्र) में है। इसके वर्ष 2006 के अंत तक पूरा होने का लक्ष्य है। मांग-आपूर्ति के बीच के अंतर को पाटने के लिए इसी प्रकार की और बिजली परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं।

162. **बिजली ट्रांसमिशन और वितरण:** सरकार ने मुख्य मंत्रियों और बिजली मंत्रियों की एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन करने का अपना आशय घोषित किया है; यह समिति ट्रांसमिशन और वितरण संबधी सुधारों में स्थायी सुधार लाने के लिए और अधिक समर्थ ढांचा तैयार करेगी।

163. **कोयला:** कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अनापेक्षित 79 कोयला ब्लॉकों को ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना की अवधि के अंत तक अनारक्षित किया जा रहा है ताकि हमारी ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इनका विकास किया जा सके। सरकार कोयले के कैप्टिव खनन को प्रभावी बनाने हेतु व्यवस्था में पारदर्शिता और सुधार लाने के लिए वचनबद्ध है तथा इसके लिए कार्य भी किए जा रहे हैं।

164. **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस:** पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के नियंत्रण प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और बिना पक्षपात के पाइपलाइनों को बिछाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड कच्चे तेल का भंडारण करने के लिए प्राप्त करने के लिए विदेशों में तेल के क्षेत्रों में निवेश कर रहा है। सरकार पड़ोसी देशों में भी प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों को बिछाने के लिए कार्य कर रही है। जैव-डीजल को बढ़ावा देने के लिए 2006-07 में राष्ट्रीय बायो-डीजल कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है।

165. **नाभिकीय ऊर्जा:** सरकार यह अपेक्षा करती है कि भारत और अमेरिका के बीच आपसी वचनबद्धता के आधार पर हमारे असैनिक (सिविलियन) नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र के विस्तार के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने में सफल होगी।

- **प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ऊर्जा समन्वयन समिति, का गठन ताकि वह ऐसे क्षेत्रों में ऊर्जा की योजना और सुरक्षा के लिए नीति निर्माण और निर्णय करने की क्षमता विकसित कर सके।**
- **4000 मेगावाट के 5 अल्ट्रा मेगा थर्मल पावर प्लांट जिसमें से प्रत्येक प्राइवेट स्तर पर स्थापित किए जा रहे हैं।**
- **दाभोल पावर प्रोजेक्ट को फिर से शुरू हो चुका है और इसने इस वर्ष से बिजली उत्पादन शुरू कर दिया है।**
- **अगले वर्ष तक लगभग 15,000 मेगावाट की नई क्षमता और अगले 3 वर्षों में लगभग 40,000 मेगावाट की क्षमता।**
- **टी.एवं डी. सुधारों के लिए मुख्य मंत्रियों और बिजली मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाना है।**
- **ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना के अंत तक कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अनापेक्षित 79 कोयला ब्लॉकों को अनारक्षित किया जा रहा है।**
- **कोयले के कैप्टिव खनन के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।**
- **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के नियंत्रण, प्रतियोगिता को बढ़ाने और बिना भेदभाव के पाइपलाइनों को बिछाने के लिए कानून बनाया जा रहा है।**
- कच्चे तेल के रिजर्व के लिए विदेश में तेल क्षेत्रों में निवेश किए गए।
- पड़ोसी देशों में प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों को बिछाने के लिए सरकार कार्य कर रही है।
- **वर्ष 2006-07 में राष्ट्रीय जैव डीजल कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा**
- भारत असैनिक नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त कर सकता है।

XXIII. अवसंरचनाएं

166. **आधारिक संरचना समिति:** विश्वस्तरीय आधारिक संरचना सृजित करने के लिए कार्यों की समीक्षा की जा रही है और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इस समिति को मार्गदर्शन दिया जा रहा है। समिति जोर-शोर से ऐसी नीति में विनियामक पर्यावरण बनाने में लगी है जिसमें आधारिक संरचना दीर्घकालिक प्राइवेट निवेश किया जा सकेगा।

167. **सड़कें:** राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विकास संबंधी कार्ययोजना को अंतिम रूप दे दिया गया है जिसमें अगले सात वर्षों में 1,75,000 करोड़ रुपये का कुल निवेश करना शामिल है। कार्यक्रम के मुख्य घटक, जैसा कि स्पष्ट है चार लेन वाली गोल्डन क्वाड्रिलेटरल (एन.एच.डी.पी.-I) उत्तर-दक्षिण-पूर्व-पश्चिम कॉरीडोर (एन.एच.डी.पी-II), 10,000 कि.मी. (एन.एच.डी.पी.-III) की चार लेन, 20000 कि.मी. (एन.एच.डी.पी.-IV) की दो लेन, छह लेन की गोल्डन क्वाड्रिलेटरल (एन.एच.डी.पी.V) 1000 कि.मी. का अभिगम नियंत्रण एक्सप्रैस मार्ग, (एन.एच.डी.पी.-VI) का और अन्य हाइवे परियोजनाओं जैसे रिंग रोड, उप मार्ग, तल वियोजक (ग्रेड-सेपरेटर्स), पिछली सड़क (सर्विस रोड) (एन.एच.डी.पी.-VII) का विकास करना शामिल है।

168. एन.एच.डी.पी. को लागू करने में राष्ट्रीय प्राथमिकता दी जा रही है। एन एच डी पी के अंतर्गत मई 2004 से पूर्व तक जहां एक दिन में 186 किमी लंबी सड़क बनाने का कार्य पूरा हो पा रहा था वहीं अब एक दिन में 4.48 किमी लंबी सड़क बनाने का कार्य हो रहा है। आज तक जितनी संख्या और जितने मूल्य के ठेके दिए गए हैं उनमें सबसे अधिक और सबसे अधिक मूल्य के ठेके वर्ष 2005 में दिए गए। स्वर्णिम चतुर्भुज सहित पूर्व एन एच डी पी प्रथम चरण का 90 प्रतिशत से अधिक कार्य पूरा हो चुका है और जून 2006 तक अधिकतर कार्य (96 प्रतिशत) पूरा हो जाने की संभावना। एन एच डी पी के द्वितीय चरण के अंतर्गत ठेके प्रदान किए जाने/कार्यान्वित किए जाने संबंधी कार्य विभिन्न अवस्थाओं में है और दिसंबर 2008 तक इनके पूरा हो जाने की संभावना है। 22000 करोड़ रुपये की लागत से 4,014 किमी लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों को एन एच डी पी के तृतीय चरण (क) के अंतर्गत चार लेन का बनाने की स्वीकृति दे दी गई है और 2009 तक इस कार्य के पूरा हो जाने की संभावना है। 6000 किमी लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों की पहचान की गई है जिन्हें 33000 करोड़ रुपये की लागत से एन एच डी पी तृतीय (ख) चरण के अंतर्गत चार लेन का बनाया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार की जा रही हैं।

169. वर्ष 2003-04 के बजट अनुमान में सड़कों संबंधी जो योजना परिव्यय 6370 करोड़ रुपये का था वह 2006-07 के बजट अनुमान में बढ़कर 13,180 करोड़ रुपये का हो गया है। देश में सड़कों का जाल बिछाने के कार्य को विस्तृत आयाम देने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के उद्देश्य से पैट्रोल और डीजल पर 50 पैसे प्रतिलीटर का उपकर लगाया गया है। सड़कों के मामले में सरकारी और निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए मॉडल कंशेसन एग्रीमेंट नामक एक नए करार को स्वीकृत किया गया है।

170. **हवाई अड्डे:** भारत सरकार देश में विश्वस्तरीय हवाई अड्डों का निर्माण करना चाहती है। एक विस्तृत नागरिक उड्डयन नीति तैयार करने पर भी विचार चल रहा है। दिल्ली और मुंबई के हवाई अड्डों को सरकारी और निजी भागीदारी के सहयोग से आधुनिक बनाने और उनका विस्तार करने के कार्य का श्रीगणेश हो चुका है। बंगलौर तथा हैदराबाद में इस कार्य के लिए ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एअरपोर्ट्स को अनुमोदित किया गया है। कोलकाता और चैन्ने हवाई अड्डों का विकास करने और उन्हें आधुनिक बनाने की योजना तैयार की जा रही है। 35 छोटे शहरों में स्थित हवाई अड्डों के योजनाबद्ध विकास संबंधी विस्तृत योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इस योजना को चरणबद्ध तरीके से कार्यरूप दिया जाएगा। हवाई अड्डों को आधुनिक बनाने संबंधी इन उपायों पर कुल मिलाकर 40,000 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है। इसके साथ-साथ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को नया रूप देने संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसमें वायु यातायात नियंत्रण कक्ष संबंधी सेवाओं को और बेहतर बनाने का कार्य भी शामिल है।

171. **पत्तन:** आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक है कि हमारे पत्तनों पर विश्वस्तरीय सुविधाएं मौजूद हों। पत्तनों के उन्नयन और उनके

आधुनिकीकरण के लिए अनिवार्य है कि इसमें निजी क्षेत्र को धन लगाने के लिए प्रेरित किया जाए। भारत के प्रमुख पत्तनों पर सरकारी और निजी भागीदारी से घाटों का निर्माण करके उन्हें आवंटित करने के कार्यक्रम का विस्तार किया जा रहा है। इस प्रयोजनार्थ मॉडल कंशेसन एग्रीमेंट तैयार किया जा रहा है। सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य योजना से पत्तन संबंधी सुविधाओं के लिए कुल मिलाकर 60,000 करोड़ रुपये का व्यय होने की संभावना है। 2,118 करोड़ रुपये की संभावित लागत से कोचीन पत्तन पर पी पी पी पद्धति से द इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांस-शिपमेंट टर्मिनल तैयार किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में गहरे समुद्र में एक नया पत्तन स्थापित करने के स्थान की पहचान करने के लिए एक विस्तृत अध्ययन आरंभ किया गया है। एक व्यापक राष्ट्रीय समुद्र विकास नीति तैयार की जा रही है।

172. **रेल:** दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-कोलकाता रेल लाइनों पर भारी दबाव को देखते हुए सरकार ने इन भारी भीड़ वाले रूटों पर आपस में जुड़े दो बहुउद्देशीय माल गाड़ी कॉरीडोर बनाने का निर्णय लिया है। इन दो कॉरीडोरों की कुल लंबाई 2700 किमी. होगी। इस कार्य पर 21,000 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है और इस कार्य के एक वर्ष के भीतर आरंभ हो जाने की संभावना है। माल को कंटेनरों से लाने-ले जाने की बढ़ती मांग को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि इस क्षेत्र को प्रतियोगिता के लिए खोल दिया जाए और कंटेनर ट्रेनों को चलाने के लिए निजी क्षेत्र को पात्र समझा जाएगा। सुधार एजेंडे पर कार्य चल रहा है, आधुनिकीकरण की योजना तैयार की गई है और आधुनिकीकरण में पूंजी निवेश को बढ़ावा दिया गया है।

173. **दूर संचार:** सेंट्रल टेलीफोन पी एस ईज द्वारा समुद्र में आप्टीकल फाइबर केबल बिछाने की परियोजना आरंभ की गई है। अक्तूबर 2004 में घोषित की गई ब्राडबैंड नीति में ढांचागत निर्माण और विकास को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की गई है। यू एस ओ निधि से पूंजी निवेश को उल्लेखनीय बढ़ावा दिया गया है तथा इस निधि को ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल दूर संचार संबंधी ढांचागत निर्माण के लिए उपलब्ध कराने हेतु कानून में संशोधन किया जा रहा है।

174. **ढांचागत विकास को बढ़ावा देने संबंधी अभिप्रेरक योजनाएं:** सरकार उन ढांचागत परियोजनाओं को समर्थन देने के लिए वचनबद्ध है जो सक्षम होने योग्य अनुदान प्राप्त करके आर्थिक रूप से सक्षम होने के बावजूद वित्तीय रूप से अक्षम हैं। अर्थक्षमता अंतर निधि को प्राप्त करने के पश्चात् अर्थक्षम हो जाने वाली परियोजनाओं संहित ढांचागत परियोजनाओं को दीर्घावधि ऋण प्रदान करने के लिए वर्तमान में दीर्घावधिक ऋण नहीं दे सकने वाले बैंक और वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए जा रहे ऋण के साथ ही दीर्घावधिक ऋण प्रदान करने के लिए विशेष प्रयोजन उपाय (स्पेशल परपज वेहिकल) योजना बनाई गई है। ढांचागत परियोजनाओं को अर्थक्षमता अंतर निधि और दीर्घावधिक ऋण प्रदान करने संबंधी दो योजनाओं से ढांचागत योजनाओं को निजी क्षेत्र द्वारा वित्त प्रदान करने संबंधी व्यापक अंतर को दूर किया जा सकेगा और यह सुनिश्चित हो सकेगा कि दीर्घावधिक ऋण की अनुपलब्धता के कारण उत्पादन अवधि के लंबा खिंच जाने की वजह से ढांचागत परियोजनाएं अनर्थक्षम होकर उपेक्षित नहीं हुई हैं। इस पैकेज के माध्यम से सरकार विशाल निजी पूंजी को आकर्षित करके बजट संसाधनों की कमी को पूरा करना चाहती है। ये परियोजनाएं सड़कों, पुलों, रेल, समुद्री पत्तनों, विमानपत्तनों, अंतर्देशीय जलमार्गों और अन्य परिवहन, विद्युत, शहरी परिवहन, जल आपूर्ति, गंदे पानी की निकासी, मल व्ययन प्रबंधन और शहरी क्षेत्रों की अन्य बुनियादी सुविधाओं, गैस पाइपलाइनों, विशिष्ट आर्थिक जोनों संबंधी बुनियादी सुविधाओं,अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्रों तथा पर्यटन संबंधी अन्य ढांचागत सुविधाओं से संबंधित होंगी। विशेष प्रयोजन उपाय (एस पी वी), इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस बैंक लिमिटेड (आई आई एफ सी एल), जो जनवरी, 2006 में शामिल किया गया, को अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और इसने कुछ परियोजनाओं को सैद्धांतिक रूप में अनुमोदन दे दिया है। परियोजना के पहले सैट पर अंतिम निर्णय मार्च, 2007 तक लिए जाने की आशा है।

175. **विशिष्ट आर्थिक जोन:** विशिष्ट आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 लाया गया जिसमें विशिष्ट आर्थिक जोनों में कराधान, सीमाशुल्क और श्रम आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में निजी भागीदारी और सरल तथा सुविधाजनक नियमों के माध्यम से विश्वस्तरीय ढांचागत सुविधाओं के निर्माण की व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम के अंतर्गत विशिष्ट आर्थिक जोनों में ढांचागत सुविधाओं के विकास की लागत को काफी हद तक कम करने के लिए विशिष्ट आर्थिक जोन निर्माता द्वारा खरीदी जाने वाली सभी सामग्री और सेवाओं को सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवाशुल्क और केंद्रीय बिक्री कर से मुक्त रखा जाएगा। विशिष्ट आर्थिक जोन में विशिष्ट आर्थिक जोन द्वारा स्वीकृत इकाइयों में विद्युत आपूर्ति करने के लिए विद्युत संयंत्रों की स्थापना की जाएगी और इसके लिए उन्हें पूंजीगत उपस्करों पर शुल्क में छूट देने के साथ ही कच्चे माल पर भी शुल्क में छूट दी जाएगी ताकि वे प्रतियोगी मूल्यों पर दक्षतापूर्वक गुणवत्तापूर्ण विद्युत की आपूर्ति कर सकें।

176. **ढांचागत अन्य पहल:** उपर्युक्त प्रयासों के अलावा ग्रामीण विकास, पूर्वोत्तर, जम्मू और कश्मीर तथा जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिन्युअल मिशन संबंधी क्षेत्रों में संबंधित प्रयासों के बारे में अनेक ढांचागत पहल की गई हैं।

- **प्रधानमंत्री ढांचागत संचालन प्रयासों के अंतर्गत बुनियादी सुविधाओं संबंधी समिति**
- **अगले सात वर्षों के दौरान 1,75,000 करोड़ रुपये के कुल पूंजी निवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विकास संबंधी कार्ययोजना को अंतिम रूप प्रदान किया गया।**
- **सड़कों संबंधी योजना परिव्यय मात्र तीन वर्षों के भीतर दो गुने से भी अधिक हो गया।**
- **40,000 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत से विश्वस्तरीय विमान पत्तनों का निर्माण किया जा रहा है;** नागरिक विमानन नीति विचाराधीन है; दिल्ली और मुबई के विमान पत्तनों के आधुनिकीकरण और उनके विस्तार का कार्य आरंभ हो चुका है; बंगलूर और हैदराबाद के विमानपत्तनों को ग्रीनफील्ड के लिए अनुमोदित किया गया; कोलकाता, चेन्नै और क्षेत्रीय विमानपत्तनों के आधुनिकीकरण संबंधी विचार विमर्श अपने अंतिम चरण में है; भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को नया रूप देने संबंधी निर्णय को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
- **60,000 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश के लिए पत्तनों को पी पी पी के माध्यम से विश्वस्तरीय स्वरूप प्रदान करने के लिए कार्ययोजना तैयार की गई है।**
- **मुंबई-दिल्ली और कोलकाता-दिल्ली रूटों के साथ रेल मालगाड़ी कॉरीडोर संबंधी कार्य के लिए अनुमानित 21,000 करोड़ रुपये की लागत वाले कार्य के इसी वर्ष के भीतर आरंभ होने की संभावना है।**
- **कंटेनर ट्रेनों को चलाने के लिए निजी क्षेत्र पात्र होगा।**
- समुद्र में आप्टीकल फाइबर केबल बिछाने संबंधी परियोजनाएं सेंट्रल टेलीफोन पी एस ईज ने आरंभ कर दी हैं।
- ब्रॉडबैंड नीति 2004 में ढांचागत सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रोत्साहन की व्यवस्था की गई है।
- यू एस ओ फंड इन्वेस्टमेंट्स ने तेजी से अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। इसका उपयोग ग्रामीण मोबाइल दूरसंचार के लिए भी किया जाएगा।
- **आई आई एफ सी एल ढांचागत परियोजनाओं को दीर्घावधिक ऋण प्रदान करेगा जिसमें अर्थक्षमता अंतर निधियन वाली परियोजनाएं और ढांचागत परियोजनाओं के निजी क्षेत्र संबंधी निधि के बीच के अंतर को पूरा करना शामिल है।**
- **विशिष्ट आर्थिक जोन अधिनियम में ढांचागत सुविधाओं के निर्माण के लिए भारी प्रोत्साहनों की व्यवस्था की गई है।**

XXIV. विदेश नीति, विदेशों में रहने वाले भारतीय और सीमाएं

177. **विदेशी नीति संबंधी पहलः** विदेश नीति संबंधी नवीन प्रयासों के बारे में एक विस्तृत टिप्पणी संलग्न है।

178. **विदेशों में रहने वाले भारतीयः** विदेशों में रहने वाले भारतीयों को नागरिकता प्रदान करने संबंधी योजना में विदेशों में रहने वाले उन सभी भारतीयों को शामिल किया गया है जिन्होंने 26 जनवरी 1950 से प्रवास किया था। विदेशी भारतीय नागरिकों को आर्थिक, वित्तीय और शैक्षिक क्षेत्रों में, कुछ अपवादों को छोड़कर, वही सुविधाएं प्राप्त होंगी जो अनिवासी भारतीयों को प्राप्त होती हैं। संसद में एक ऐसा विधेयक पारित किया गया है जिसके अंतर्गत विदेशों में रहने वाले नागरिकों को यह सुविधा दी जाएगी कि वे भारत में अपने जिस निवास स्थान पर आज नहीं रह रहे हैं, वे अपने सामान्य निवास स्थान वाले निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं।

179. **सीमा प्रबंधनः** सीमा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए सरकार पड़ौसी देशों के साथ निरंतर संपर्क बनाए हुए है। सरकार सीमाओं के सहारे ढांचागत सुविधाओं के विकास पर जोर दे रही है। भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के कार्य पर विशेष ध्यान दिया गया है और प्राथमिकता प्रदान की गई है। बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान से लगने वाली सीमाओं पर समेकित जांच चौकियां स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। तत्संबंधी विकास के लिए अपनी सीमा के सहारे महत्त्वपूर्ण संपर्क सड़कें बनाए जाने वाले सीमा खंडों की पहचान कर ली गई है। भारत-पाक सीमा/नियंत्रण रेखा के पार आने जाने के लिए श्रीनगर-मुजफ्फराबाद, दिल्ली-लाहौर, अमृतसर-लाहौर और अमृतसर-ननकाना साहिब बस सेवा तथा खोखरापार-मुनाबाओ रेल सेवा आरंभ हो चुकी है। वाघा सीमा पर ढांचागत सुविधाओं का उन्नयन किया जा रहा है। वाघा/अटारी में समेकित जांच चौकी की स्थापना का कार्य आरंभ हो चुका है। वहां पर सड़क मार्ग को चौड़ा किया जा रहा है और अटारी रेलवे स्टेशन पर ढांचागत सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है।

- **26.1.1950 के बाद प्रवास पर गए सभी विदेशी भारतीयों को विदेशी नागरिकता योजना में शामिल किया गया।**
- **अनिवासी भारतीयों को मतदान का अधिकार प्रदान करने के लिए संसद में विधेयक पारित किया गया ।**
- **बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान से लगने वाली सीमाओं पर समेकित जांच चौकियां स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है।**
- भारत-पाक सीमा/नियंत्रण रेखा के आर पार आने-जाने के लिए श्रीनगर-मुजफ्फराबाद, दिल्ली-लाहौर, अमृतसर-लाहौर तथा अमृतसर-ननकाना साहिब बस सेवा तथा खोखरापार-मुनाबाओ रेल सेवा आरंभ की गई।
- वाघा/अटारी में ढांचागत सुविधाओं का उन्नयन किया गया।

XXV. व्यापार

180. **व्यापार संवर्धन:** प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में व्यापार और आर्थिक संबंध समिति का गठन अन्य देशों के साथ हमारे आर्थिक संबंधों के समुचित और समकालिक रूप में विस्तार, कार्य-क्षेत्र और कार्यात्मक पैरामीटर तैयार करने के लिए किया गया है। इस समिति ने मुक्त व्यापार और क्षेत्रीय व्यापार समझौतों, व्यापक आर्थिक सहयोग समझौतों, डब्ल्यू टी ओ वार्ताओं, द्विपक्षीय व्यापार और निवेश मुद्दों आदि की समीक्षा की है और इस संबंध में निर्देश दिए हैं।

181. **व्यापार का सरलीकरण:** पत्तनों पर कार्गो की आवाजाही शीघ्रता से करने और अवरोध समाप्त करने के लिए, वाहनांतरण के तहत जलयानों और कंटेनरयुक्त कार्गो वाहनों द्वारा माल के परिवहन के लिए बैंक गारंटी देने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। कंटेनर फ्रेट स्टेशनों के बीच अंशतः भारित कंटेनरों की आवाजाही करने की अनमुति दी गई है जिससे कि पत्तनों पर काम चलता रहे और कोई अवरोध पैदा न हो। व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए इलैक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज को पूरी तरह से लागू किया गया है जिससे कि पत्तनों, विमानपत्तनों, कंटेनर फ्रेट स्टेशनों, विदेश व्यापार महानिदेशालय, सी ओ एल सी ओ आर, बैंक, सीमा-शुल्क और उत्पाद-शुल्क कार्यालयों, ई आई सी आई शिपिंग और एयरलाइन कार्यालयों और एजेंटों, आयातकों और निर्यातकों, रेल आदि में ऑन लाइन फाइलिंग, डाटा संग्रहण आदि किया जा सके। शुल्क के ई-भुगतान की सुविधा शीघ्र शुरू की जाएगी। अंतरराष्ट्रीय मानकों और डब्ल्यू सी ओ के मार्गनिर्देशों के अनुसार कूरियर पारेषणों की ऑटोमेटेड (स्वचालित) निकासी के लिए परियोजना शुरू की गई है। इस आशय के अनुदेश जारी किए गए हैं कि प्रतिषिद्ध/विनिषिद्ध सामान को छोड़कर, जब्त किए गए सामान को अनंतिम रूप से जारी कर दिया जाना चाहिए और बांड निष्पादित करने पर निर्यात की अनुमति दी जानी चाहिए।

- **प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में व्यापार और आर्थिक संबंध समिति जिसका उद्देश्य व्यापार और निवेश मुद्दों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल बनाना है।**
- **व्यापार सरलीकरण के लिए किए गए उपायों की संख्या।**

XXVI. अन्य पहलें

182. **विद्युत अधिनियमः** राज्य विद्युत बोर्डों के पुनर्गठन के लिए अधिक समय की मांग करने वाले राज्यों को अतिरिक्त समय दिया गया है। अन्य बातों के साथ-साथ, ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों के लिए विद्युत आपूर्ति को केंद्र और राज्य सरकारों का संयुक्त उत्तरदायित्व बनाने और प्रति-आर्थिक सहायता (क्रॉस सब्सिडी) की आवश्यकता समाप्त करने के लिए विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2005 संसद में प्रस्तुत किया है। सरकार विधेयक में और संशोधन करने के बारे में विचार कर रही है।

183. **एफ एम रेडियोः** जुलाई, 2005 में निजी एफ एम रेडियो सेवाओं के लिए नई नीति की घोषणा की गई थी और 29 शहरों में 243 एफ एम रेडियो चैनल स्थापित करने के लिए लाइसेंस दिए गए इससे एफ एम रेडियो की कवरेज में कई गुना वृद्धि हुई और पहले 12 शहरों में केवल 21 प्राइवेट एफ एम रेडियो स्टेशन थे।

184. **कमोडिटी डेरिवेटिब्ज मार्केटः** जिंस वायदा बाजार (कमोडिटी फ्यूचर मार्केट) में हुए परिवर्तनों और जोखिम प्रबंधन के लिए व्यापक विकल्प उपलब्ध कराने हेतु विकल्पों में और नई पीढ़ी के कमोडिटी डेरिवेटिब्ज में ट्रेडिंग की अनुमति की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया है ताकि फॉरवर्ड मार्केट कमीशन को, सेबी की तर्ज पर, गठित और सुदृढ़ किया जा सके। कमीशन को पुनर्गठित, सुदृढ़ और अधिक सांविधिक शक्तियां प्रदान करने के साथ-साथ विकल्पों (आप्शन) में ट्रेडिंग की अनुमति के लिए विधेयक में उपबंध किया गया है जिससे कि यह कमोडिटी डेरिवेटिब्ज मार्केट को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सके।

185. **प्रतिभूति बाजारः** वर्ष 2005 के दौरान सेबी द्वारा 19 स्टॉक एक्सचेंजों के कारपोरेटाइजेशन और डीम्यूचुअलाइजेशन की स्कीम अधिसूचित करने के साथ ही स्टॉक एक्सचेंजों के आधुनिकीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। इसमें सभी स्टॉक एक्सचेंजों को 'लाभार्थ' संगठन बनाया गया है, और स्वामित्व, ट्रेडिंग अधिकार और प्रबंधन को अलग-अलग करके हितों के बीच टकराव को समाप्त किया गया है। सेबी प्रतिभूति बाजार में मध्यवर्तियों को शिक्षित और प्रशिक्षित करने, अनुसंधान को बढ़ावा देने और बाजार तथा पेशेवरों का 'सर्टिफिकेशन डाटाबेस' तैयार करने के लिए राष्ट्रीय प्रतिभूति प्रबंधन संस्थान गठित करने की प्रक्रिया में है।

186. **पोटा निरस्त करनाः** आतंकवाद के विरुद्ध पर्याप्त रक्षोपाय सुनिश्चित करते हुए इसे निरस्त कर दिया गया है।

187. **सेवारत और पूर्व-सैनिकों का कल्याणः** सेवारत और पूर्व-सैनिकों के कल्याण के लिए अनेक उपाय किए गए हैं:

(i) पूर्व-सैनिक कल्याण विभाग का गठन।

(ii) 1996 से पहले सेवानिवृत्त हुए अधिकारी से नीचे के रैंक के कार्मिकों के पेंशन के संबंध में विसंगति ठीक कर ली गई है और निचले रैंक के सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक भी, सेवा की कम अवधि के बावजूद, लगभग पूरी पेंशन प्राप्त करेंगे। इससे लगभग 11.85 लाख कार्मिकों को लाभ होगा और इस पर लगभग 460 करोड़ रुपये सालाना व्यय आएगा।

(iii) ऐसे कार्मिकों के निकटतम संबंधी को लाभ देने के लिए प्रक्रिया जिनकी मृत्यु ड्यूटी के दौरान होती है।

(iv) पेंशन मामलों के निपटान के लिए विशेष मुहिम चलाना और शिकायतों के निपटान के लिए पेंशन अदालतें लगाना।

(v) सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों की संतानों को प्रत्येक वर्ष 5,000 छात्रवृत्तियां देने के लिए, इस वर्ष से प्रधानमंत्री प्रतिभावान (मेरिट) छात्रवृत्ति स्कीम शुरू की जा रही है।

(vi) ई सी एच एस के तहत सुविधाएं प्राप्त करने की प्रक्रिया को और अधिक सरल करना और 200 से अधिक पोलीक्लीनिक खोलना।

(vii) इस वर्ष से सेवारत और पूर्व-सैनिकों के प्रशिक्षण को विस्तारित किया जा रहा है

(viii) सरकार में पूर्व-सैनिकों के पुनर्नियोजन संबंधी सूचना रखना और उसका मॉनीटरन करना।

(ix) मंत्रालयों को सलाह दी गई है कि वे आउटसोर्स आधार पर किए जाने वाले सुरक्षा कार्यों के लिए पूर्व-सैनिकों को रखें।

188. **स्वतंत्रता सेनानी:** सरकार ने 2005 के स्वतंत्रता दिवस से स्वतंत्रता सेनानियों और दिवंगत स्वतंत्रता सेनानियों के पति/पत्नी की मूल पेंशन में 1000 रुपये प्रति माह तक की वृद्धि की है। सरकार ने दिवंगत स्वतंत्रता सेनानियों की अविवाहित और बेरोजगार आश्रित पुत्रियों की मासिक पेंशन बड़ी पुत्री के लिए 600 रुपये से और छोटी पुत्रियों के लिए 350 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी है।

189. **वरिष्ठ नागरिक:** आकर्षक ब्याज दर के साथ वरिष्ठ नागरिक बचत योजना आरंभ की गई है।

190. **सेतुसमुद्रम शिपिंग चैनल:** इस परियोजना पर जुलाई, 2005 में कार्य आरंभ किया गया है और इसे 2009 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। इस पर 2,427 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस परियोजना से 424 नॉटिकल मील (785 कि.मी.) तक की नौवहन दूरी घट जाएगी और लगभग 30 घंटे समय की बचत होगी। इससे तटीय स्थान पर कार्गो की आवाजाही बढ़ेगी, राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी और क्षेत्र का समग्र आर्थिक विकास होगा।

191. **क्लासिकल भाषा के रूप में तमिल:** तमिल को क्लासिकल (प्रतिष्ठित) भाषा घोषित किया गया है और छात्रवृत्तियां देने के लिए एक स्कीम आरंभ की गई है।

192. **विलवणीकरण संयंत्र:** चेन्नै के लिए कोरोमंडल तट के समीप पहले विलवणीकरण संयंत्र की घोषणा वर्ष 2004-05 के बजट में की गई। इसकी क्षमता 300 मिलियन लीटर प्रतिदिन और लागत 1,000 करोड़ रुपये होगी। तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि इसके लिए कार्यनीति तैयार की जा रही है। ऐसे और प्रस्तावों की जाँच की जा रही है अथवा उन्हें तैयार किया जा रहा है।

- **विद्युतीकरण में केंद्र को भी उत्तरदायी बनाने और पावर टैरिफ पर प्रति-आर्थिक सहायता समाप्त करने** की अपेक्षाएं समाप्त करने के लिए विधेयक प्रस्तुत किया गया; राज्य विद्युत बोर्डों के पुनर्गठन के लिए राज्यों को समय दिया गया।
- नई नीति के तहत 29 शहरों में 243 चैनलों के लिए दिए गए लाइसेंस से **एफ एम रेडियो कवरेज में कई गुना वृद्धि हुई** है। पहले 12 शहरों में केवल 21 निजी एफ एम रेडियो स्टेशनों को लाइसेंस दिया गया था।
- **विकल्प और कमोडटी (जिन्स) डेरिवेटिब्ज मार्केट विकसित और नियंत्रित करने के लिए विधेयक प्रस्तुत किया गया।**
- **19 स्टॉक एक्सचेंजों का कारपोरेटाइजेशन और डीम्यूचुअलाइजेशन स्कीम अधिसूचित की गई।**
- **पोटा कानून निरस्त किया गया।**
- **सेवारत और पूर्व-सैनिकों के कल्याण के लिए अनेक उपाय किए गए।**
- **स्वतंत्रता सेनानियों के लिए पेंशन स्कीम के अंतर्गत लाभ बढ़ाए गए।**
- **आकर्षक ब्याज दर सहित वरिष्ठ नागरिक बचत योजना शुरू की गई।**
- **तमिल को क्लासिकल (प्रतिष्ठित) भाषा घोषित किया गया।**
- **चेन्नै के लिए प्रथम विलवणीकरण संयंत्र की घोषणा।**

संलग्नक

विदेश नीति संबंधी पहल

1. पिछले दो वर्ष राष्ट्रों के बीच भारत की उभरती हुई भूमिका एवं प्रतिष्ठा के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। भारत की विदेश नीति, विश्व के तेजी से बदलते हुए परिवेश के अनुकूल रही है और साथ ही, भारत के भीतर हो रहे असाधारण परिवर्तनों से भी मेल खाती है। विश्व समुदाय के साथ भारत के संबंधों में उल्लेखनीय वृद्वि हुई है, क्योंकि आज यह अधिक महत्त्वपूर्ण हो गया है कि भारत के विकास लक्ष्यों के लिए प्रेरक अंतर्राष्ट्रीय परिवेश को शांतिपूर्ण एवं अनुकूल बनाया जाना सुनिश्चित हो सके।

2. देश की आर्थिक प्रगति एवं प्रौद्योगिकीय विकास के अनुकूल भारत ने विकसित देशों के साथ व्यापार एवं निवेश संबंध बढ़ाए हैं और अपने सहयोगी विकासशील देशों के साथ आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग में विस्तार किया है। भारत क्षेत्रीय आर्थिक समूहों यथा, आसियान, मेकांग-गंगा कोऑपरेशन, बिमस्टेक (बी आई एम एस टी ई सी), आई बी एस ए, जी-15 तथा आई ओ सी-ए आर सी के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा है। प्रधानमंत्री ने दिसम्बर-2005 में कुआलालम्पुर में हुए चौथे भारत-आसियान शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया, जहां इस बात पर सहमति हुई कि भारत-आसियान एफ टी ए पर जून, 2006 तक वार्ताएं कर ली जाएंगी। अभी भी भारत गुटनिरपेक्ष आन्दोलन से, संयुक्त राष्ट्र संघ में तथा अन्यत्र जुड़ा है।

3. भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार करने पर बल देता रहा है जिससे कि उसकी संरचना तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में समसामयिक भू-राजनीतिक वास्तविकता परिलक्षित हो। हमने ब्राज़ील, जर्मनी और जापान के साथ जी-4 के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र, विशेष रूप से सुरक्षा परिषद के सुधार के मामले पर बल देने के लिए सक्रिय सहयोग किया है।

4. विश्व की महाशक्तियों के साथ कार्यनीति संबंधी भागीदारी विकसित करने में हुई प्रगति भारत की विदेश नीति की उल्लेखनीय विशेषता रही है। भारत ने संयुक्त राज्य अमरीका, रुस, जापान तथा यूरोपीय संघ के साथ कार्यनीति संबंधी भागीदारी की है तथा अब वह चीन के साथ कार्यनीति संबंधी सहयोग के लिए आगे बढ़ रहा है। इस प्रकार, भारत के नीतिगत विकल्पों और विकास संबंधी विकल्पों में वृद्वि हुई है। भारत ने आई बी एस ए फोरम के माध्यम से दो अग्रणी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं-ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के साथ लाभप्रद संबंध बनाए हैं।

5. भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ घनिष्ठ राजनीतिक, आर्थिक एवं अन्य संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। नवंबर 2005 में ढाका में हुए दक्षेस (सार्क) सम्मेलन में सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र स्थापित करने के लिए भारत का प्रस्ताव स्वीकार किया गया तथा भारत ने वर्ष 2020 तक दक्षिण एशियाई आर्थिक संघ बनाने का समर्थन किया। 1 जनवरी, 2006 से लागू साफ़्टा (साउथ एशिया फ्री ट्रेड ऐग्रीमेंट) से एक सोद्देश्य उपलब्धि हुई है।

6. भारत के भूटान, श्रीलंका तथा मालदीव के साथ संबंध निरंतर राजनीतिक संवाद, आर्थिक एवं व्यापारिक विनिमय, उच्च-स्तर पर विनिमय तथा राजनीतिक नेताओं के सौहार्दपूर्ण मेलजोल से प्रगाढ़ हुए हैं। 2005 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भूटान नरेश मुख्य अतिथि थे तथा वे अगस्त, 2005 में भी भारत पधारे थे। श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री महिंदा राजपाकसे ने नवबंर, 2005 में इस पद का कार्यभार संभाला और वे दिसम्बर, 2005 में भारत पधारे। नेपाल और भारत के संबंध संवैधानिक बलों को सुदृढ़ करने, राजनीतिक स्थिरिता को पुनः बहाल करने तथा सामाजिक-आर्थिक पुनरुत्थान की दृष्टि से बने रहे हैं। बांग्लादेश के साथ भारत का द्विपक्षीय संपर्क व्यापक एवं प्रयोजनमूलक रहा है। लेकिन, दूसरी ओर हिंसा एवं उग्रवाद में तेजी और भारत विरोधी ताकतों की बांग्लादेश की धरती से निरन्तर भारत के खिलाफ विद्वेषपूर्ण कार्रवाई चिंता के विषय बने रहे हैं। 2006 में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के भारत आगमन से हमारे द्विपक्षीय संबंध में सुधार हुआ है।

7. भारत के म्यांमार के साथ संबंधों में काफी वृद्वि हुई है। भारत के राष्ट्रपति के मार्च, 2006 में म्यांमार के दौरे से संबंधों में मजबूती आई है।

8. भारत ने पाकिस्तान के साथ शांतिपूर्ण, मैत्रीपूर्ण तथा सहयोगपूर्ण रिश्ते बनाने के लिए सृजनात्मक संबंधों की नीति अपनाई है। पाकिस्तान के साथ बातचीत की प्रकिया 6 जनवरी, 2004 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा दिए गए इस वचन पर आधारित है कि पाकिस्तान के नियंत्रणाधीन किसी भी प्रदेश में आंतकवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। सभी महत्वपूर्ण पहलुओं तथा द्विपक्षीय संबंधों को निपटाने के लिए हुई संयुक्त वार्ता से महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई जिसके परिणाम दो महत्वपूर्ण करारों पर हस्ताक्षर के रूप में सामने आए। एक प्रक्षेपास्त्रों के उड़ान परीक्षण की पूर्व अधिसूचना तथा दूसरा भारत के तट रक्षकों तथा पाकिस्तान की समुद्री सुरक्षा एजेंसी के बीच संप्रेषण लिंक स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन है। अप्रैल, 2005 में राष्ट्रपति मुशर्रफ के आगमन, सितंबर, 2005 में न्यूयार्क में भारत के प्रधानमंत्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री मुशर्रफ़ की बैठक से चल रही द्विपक्षीय वार्ता को आवश्यक महत्व मिला है। भारत के प्रधानमंत्री तथा पाकिस्तान

के राष्ट्रपति श्री मुशर्रफ की सितंबर, 2005 में न्यूयॉर्क में हुई बैठक के बाद दिए गए एक संयुक्त वक्तव्य के माध्यम से सभी लंबित मामलों के शांतिपूर्ण निपटारे को सुनिश्चित करने की वचनबद्धता की पुनः पुष्टि की गई।

9. 8 अक्तूबर, 2005 में आए भूकंप के बाद, भारत द्वारा पाकिस्तान को तुरंत 25 मिलियन अमरीकी डॉलर की सहायता तथा लोगों के आने-जाने एवं राहत-सामग्री देने के लिए नियंत्रण रेखा पर पाँच रास्तों को खोलना - भारत की सद्भावना की सुस्पष्ट मिसाल है। पाकिस्तान ने अपनी ओर से, अगस्त, 2005 में हुए एक करार के अनुसरण में 371 मछुआरों सहित 435 भारतीय बंदियों को रिहा किया। श्रीनगर-मुजफ्फ़राबाद बस सेवा अप्रैल, 2005 में शुरू की गई, जबकि अमृतसर-लाहौर तथा अमृतसर-ननकाना साहिब बस सेवाएं तथा खोकरापार-मुनाबाओ रेल सेवा इस वर्ष शुरू की गई हैं। इसके बावजूद, इस दिशा में प्रयासरत भारत को यह बात सचेत करती है कि द्विपक्षीय संबंध केवल हिंसा एवं आतंकवाद से मुक्त वातावरण में ही कायम रह सकते हैं।

10. अफगानिस्तान के "दक्षेस" में शामिल होने से यह क्षेत्रीय फोरम पूर्ण क्षेत्रीय पहचान प्राप्त कर लेगा। अगस्त, 2005 में प्रधानमंत्री के अफगानिस्तान दौरे से द्विपक्षीय संबंध मज़बूत हुए हैं। भारत का अवसंरचना, संस्थागत तथा मानव संसाधन विकास के क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए 550 मिलियन अमरीकी डॉलर का योगदान अफगानिस्तान के साथ हमारी चिरस्थाई भागीदारी की मिसाल है।

11. चीन के साथ, हम सामरिक एवं सहयोगपूर्ण भागीदारी की ओर अग्रसर हैं। चीन के प्रधान मंत्री के दौरे के समय अप्रैल, 2005 में हस्ताक्षरित राजनीतिक पैरामीटरों तथा मार्गदर्शी सिद्वांतों के करार से सीमा संबंधी प्रश्न पर हुई हमारी द्विपक्षीय वार्ता के सारगर्भित परिणाम मिले हैं। दोनों देशों ने दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाया है। दोनों देशों के बीच व्यापार का पर्याप्त विस्तार हुआ है।

12. जापान के साथ भारत के संबंधों में पर्याप्त वृद्धि हुई है तथा सामरिक महत्व बढ़ा है। भारत-जापान संबंध भारत की अवसंरचनात्मक चुनौतियों का सामना करने में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। अप्रैल, 2005 में जापान के प्रधानमंत्री जुनीचिरी कोईजूमी के भारत आगमन से हमारी जापान के साथ वैश्विक भागीदारी में पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है। द्विपक्षीय सहयोग में आठ गुना प्रयास तथा एशिया में शांति, स्थिरता तथा समृद्धि लाने के लिए निकट सहयोग पर करार से दोनों देशों के संबंध और गहरे होंगे।

13. भारत की 'पूर्वोन्मुख' (लुक ईस्ट) नीति, "आसियान" देशों के साथ हमारी भागीदारी तथा बिमस्टैक (बी आई एम एस टी ई सी) के साथ सक्रिय रूप से कार्य करना, दक्षिण पूर्वी एशिया के समान हमारी अर्थव्यवस्था के एकीकरण की अटूट प्रक्रिया का भाग हैं। दिसंबर, 2005 में कुआलालम्पुर में चौथे भारत-आसियान शिखर सम्मेलन से तथा पूर्वी एशिया-शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री के भाग लेने से उभरती विश्व अर्थव्यवस्था में भारत की बढ़ती हुई भूमिका एवं उसके साथ जुड़ाव को सार्थकता मिली है। सिंगापुर के साथ हस्ताक्षरित समग्र आर्थिक सहयोग करार तथा इसी प्रकार थाईलैंड के साथ तैयार मॉडल तथा मलेशिया एवं इंडोनेशिया के साथ एफ़ टी ए, के समापन के लिए स्थापित संयुक्त अध्ययन दल, इस क्षेत्र के साथ निकट अंतः संबंधों की ओर संकेत करते हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति तथा फिजी, सिंगापुर एवं थाईलैंड के प्रधान मंत्रियों ने भारत का दौरा किया। भारत के प्रधानमंत्री ने एशियाई-अफ्रीकी सम्मेलन में तथा बांदुंग सम्मेलन के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया का दौरा किया। फरवरी में फिलिप्पींस तथा सिंगापुर के राष्ट्रपति के दौरे से इस क्षेत्र का महत्व रेखांकित हुआ है।

14. हमने खाड़ी के देशों, पश्चिमी एशिया तथा उत्तर अफ्रीकी क्षेत्र के साथ पारंपरिक एवं ऐतिहासिक संबंध बनाने के लिए काफी मेहनत की है और ये क्षेत्र भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। हम मध्य एशियाई राष्ट्रों के साथ अपनी भागीदारी को महत्व देते हैं। खाड़ी एवं पश्चिम एशिया सहित इन राष्ट्रों का हमारी ऊर्जा सुरक्षा बनाने के लिए अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण योगदान है। इस क्षेत्र के साथ भारत के बढ़ते हुए संबंध इस बात का प्रतीक हैं कि भारत ने पहली बार एक प्रेक्षक के रूप में मार्च, 2005 में अल्जीयर्स में हुए अरब लीग सम्मेलन में भाग लिया। एक ऐतिहासिक घटना में सऊदी अरब के शाह हमारे गणतंत्र दिवस, 2006 के समारोह में मुख्य अतिथि रहे हैं। भारत ने इराक में लोकतंत्र लाने की प्रक्रिया का स्वागत किया है, लोकतंत्र के आने से इराक के लोग अपने देश का भविष्य अपने पूर्ण प्रभुत्व में लेने में सक्षम होंगे। भारत फिलिस्तीन के लोगों की समस्याओं के न्यायोचित एवं स्थायी हल ढूंढने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों का समर्थक रहा है, जिससे फिलिस्तीन लोग अपना राष्ट्र प्राप्त कर सकें। इसके साथ–साथ, भारत इस्राइल के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत बनाने को उच्च महत्व देता है।

15. भारत-अमरीकी संबंधों में परिवर्तन भारत के राजनयिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटना है। जुलाई 2005 में प्रधानमंत्री का संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा, जुलाई 18 का संयुक्त वक्तव्य, अक्तूबर, 2005 का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी रूपरेखा करार, जून, 2005 की रक्षा-संबंधों की नई रूपरेखा तथा मई, 2005 में शुरू हुई भारत-अमरीकी ऊर्जा वार्ता, भारत-अमरीकी संबंधों को मौलिक रूप से पुनः परिभाषित करने की क्षमता रखते हैं। पूर्ण सिविल न्यूक्लियर ऊर्जा सहयोग प्राप्त करने के लिए दोनों सरकारों का कार्य करने का निर्णय विश्वास एवं सद्भावना वाले सम्बन्धों का प्रमाण हैं। निवेश, व्यापार एवं प्रौद्योगिकी अंतरण, कृषि में त्वरित सहयोग, स्वास्थ्य एवं मानव-संसाधन विकास में सहयोग तथा विश्व की मुख्य चुनौतियों पर सहयोग के विस्तार को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख कार्य अभी किए जा रहे हैं।

16. दिसंबर, 2005 में प्रधानमंत्री का रूस का दौरा दोनों देशों के बीच सामरिक भागीदारी में व्यापक पुनः संबंध स्थापित करने के लिए अभिप्रेत था। दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार, निवेश, उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग, रक्षा एवं ऊर्जा सुरक्षा को शामिल करने के लिए कार्रवाई हेतु एक व्यावहारिक एवं प्राप्य एजेंडा तैयार करने में समर्थ हुए।

17. यूरोपीय संघ के साथ भारत के संबंधों में 2004 में हुए पांचवें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में सामरिक भागीदारी के साथ वृद्धि हुई। ब्रिटेन की अध्यक्षता में सितंबर, 2005 में हुए नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में, राजनीतिक वार्ता को बल प्रदान करने, आर्थिक नीति वार्ता को आगे बढ़ाने तथा व्यापार एवं निवेश बढ़ाने के लिए सहयोग में वृद्धि करने हेतु संयुक्त कार्य योजना अपनाई गई। इसके अलावा, भारत ने निजी तौर पर ब्रिटेन, फ्रांस तथा जर्मनी के साथ सामरिक भागीदारी स्थापित की है। सितंबर, 2005 में प्रधानमंत्री का फ्रांस का दौरा तथा फरवरी 2006 में फ्रांस के राष्ट्रपति का भारत दौरा इस संबंध में महत्वपूर्ण सफलता दर्शाते हैं।

18. भारत ने लैटिन अमेरिका तथा कैरीबियन (एल ए सी) राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है तथा व्यापार एवं निवेश बढ़ाया है। ब्राजील के साथ भारत के संबंध सामरिक भागीदारों के रूप में द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय (आई बी एस ए) तथा बहुपक्षीय (जी-4 तथा जी-20) के रूप में परस्पर मान्यता के संदर्भ में गहरे हैं। कई लैटिन अमेरिकी राष्ट्रों के राष्ट्रपतियों तथा विदेश मंत्रियों ने भारत का दौरा किया। पहली बार, हमारे देश में भारत-साइका (आठ कैरीबियन राष्ट्र) तथा भारत-कैरीकॉम (14 कैरीबियन समुदाय के राष्ट्रों) का 2005 में मंत्री-स्तरीय परस्पर संपर्क हुआ। लैटिन अमरीकी एवं कैरीबियन राष्ट्रों के साथ हमारा निर्यात 2004 में दो बिलियन डॉलर से 2005 में तीन बिलियन डॉलर तक बढ़ा।

19. अफ्रीका महाद्वीप के राष्ट्रों के साथ अपने पारंपरिक संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए हमने विशेष प्रयास किए हैं। समग्र अफ्रीकी ई-नेटवर्क परियोजना, जिसके लिए भारत और अफ्रीकी संघ के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं, अफ्रीका में डिजिटल अंतर को पाटने के लिए तैयार की गई है। वह सुदूर स्थानों में सामर्थ्य के अनुकूल दूरस्थ शिक्षा तथा चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल जैसे क्षेत्रों में भारत की विशेषज्ञता का इस्तेमाल करेगी। वह सुरक्षित वीडियो क्रांफ्रेसिंग तथा राष्ट्राध्यक्षों तथा सरकारों को बी ओ आई पी सुविधाओं का नेटवर्क भी देगी। भारत ने सड़क रेल यातायात, कृषि मशीनरी तथा खाद्य-प्रसंस्करण तक की परियोजनाओं के लिए अफ्रीका में कई देशों को दस अरब डालर तक का रियायती ऋण दिया है। अफ्रीकी विकास के लिए नई भागीदारी (एन ई पी ए डी) तथा टीम-9 प्रयास, भारत तथा नौ पश्चिमी अफ्रीकी देशों के बीच तकनीकी-आर्थिक सहयोग वेंचर से दक्षिणी सहारा के देशों के साथ भारत के संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण प्रेरणा मिली है। भारत ने अफ्रीका के विभिन्न भागों में शांति-पूर्ण मिशनों को स्थाई सहायता दी है। वर्तमान में, भारतीय कार्मिक बुरुंडी, कोट-डि आइवीर, कोंगो जनतांत्रिक गणराज्य, इथोपिया एवं इरीट्रिया, सिएरा-लिओन तथा सूडान में संयुक्त राष्ट्र संघ के मिशनों में काम कर रहे हैं। आई टी ई सी तथा एस सी ए ए कार्यक्रम, जो कि अफ्रीका में अत्यधिक लोकप्रिय हैं, वर्तमान में भारत में एक हजार से अधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं।

जनता के लिए रिपोर्ट

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार

2004-2006

विषय सूची

I	प्रस्तावना	1
II	स्वास्थ्य	3
III	शिक्षा	6
IV	पोषण एवं आहार सुनिश्चित करना	9
V	बाल अधिकार सुनिश्चित करना	10
VI	सांप्रदायिक सद्भाव तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	12
VII	महिलाओं का सशक्तीकरण	14
VIII	अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों का सशक्तीकरण	16
IX	असंगठित क्षेत्र	18
X	ग्रामीण विकास	20
XI	कृषि एवं सहकारिताएं	22
XII	आपदा प्रबंधन	26
XIII	जल प्रबंधन	28
XIV	पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण	30
XV	शासन संबंधी सुधार तथा नागरिक समाज का सशक्तीकरण	32
XVI	पंचायती राज	35
XVII	शहरी नवीकरण	36
XVIII	केन्द्र-राज्य संबंध	38
XIX	पूर्वोत्तर	40
XX	जम्मू और कश्मीर	43
XXI	औद्योगिक विकास तथा निवेश को बढ़ावा	45
XXII	ऊर्जा	49
XXIII	अवसंरचनाएं	51
XXIV	विदेश नीति, विदेशों में बसे भारतीय तथा सीमाएं	54
XXV	व्यवसाय	55
XXVI	अन्य पहलें	56